सितम्बर 2001

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

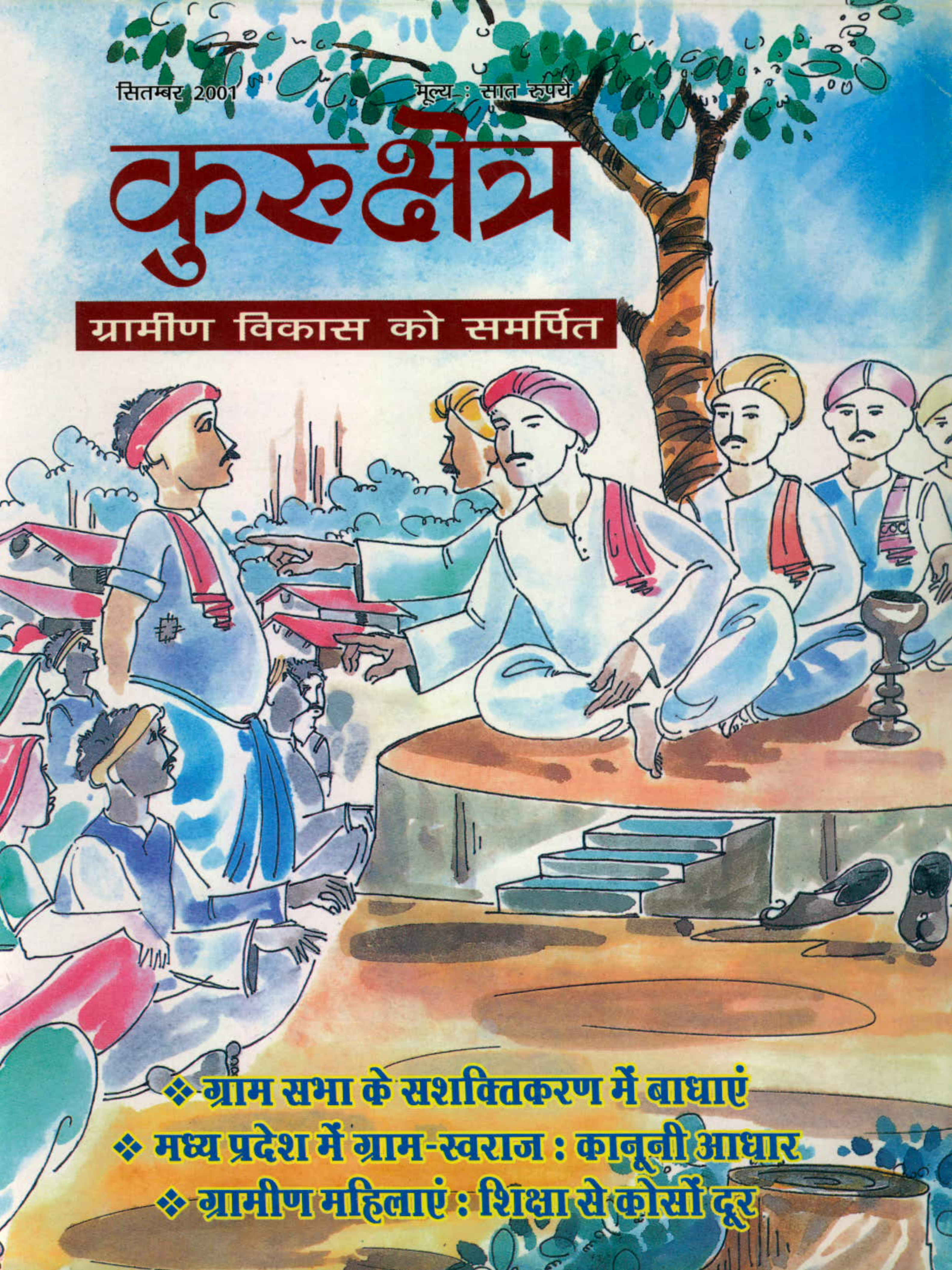

- ग्राम सभा के सशक्तिकरण में बाधाएं
- मध्य प्रदेश में ग्राम-स्वराज : कानूनी आधार
- ग्रामीण महिलाएं : शिक्षा से कोसों दूर

दस हजार करोड़ रुपये की नई ग्रामीण रोजगार योजना

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की घोषणा

इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस दिवस की 54वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण भारत के लिए कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने आर्थिक नीतियों को और अधिक गरीब– परस्त, ग्रामपरस्त और रोजगारमुखी बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि "हमारा यह कृत संकल्प है कि नई आर्थिक नीति सामाजिक न्याय की संवर्धक बने तथा उसका पूरा–पूरा लाभ हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, और पिछड़ों में से पिछड़े वर्गों तक पहुंचे।" उन्होंने कहा कि इस दिशा में गत तीन सालों में हमने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं।

इस क्रम में उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ग्रामीण इलाकों में अधिक और सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की एक नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है। श्री वाजपेयी ने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना *सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना* होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा संचालित स्थायी विकास के कार्यों में काम करने वालों को नकद और अनाज के रूप में मजदूरी मिलेगी। इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये के मूल्य का 50 लाख टन अनाज राज्यों को हर साल आबंटित किया जाएगा। मौजूदा सभी रोजगार योजनाओं, को इस बृहद योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना से लगभग सौ करोड़ श्रम दिन के रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी के बिना विकास में तेजी लाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार दिए जाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, "इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय बहस छेड़ेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के तीस लाख से अधिक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। हम चाहेंगे कि विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण, कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन, ग्रामवासियों की भागीदारी से पंचायतें स्वयं करें। इसके लिए पंचायतों को तथा ग्रामीण विकास कार्यों में लगे गैर–सरकारी संगठनों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने के बारे में भी कदम उठाए जाएंगे।" प्रधानमंत्री ने देश में भुखमरी को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, और किशोरियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाएं गरीबों के लिए सामूहिक भोजन का कार्यक्रम चलाती हैं उन्हें, यदि वे चाहें तो सरकार सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराएगी।"

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष शुरू की गई ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना का प्रायः सभी राज्यों में क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने बताया कि "अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने पांच हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इस पूरी योजना में कुल 60 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। सन् 2007 में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 55 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र

(शेष तृतीय आवरण पृष्ठ पर)

कुरुक्षेत्र

**ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका**

वर्ष 46 अंक 11

भाद्रपद–आश्विन 1923

सितम्बर 2001

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
पी.सी. आहूजा

आवरण सज्जा
रजनीश कुमार सिंह

फोटो साभार :
आई.ई.सी. डिवीजन,
ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

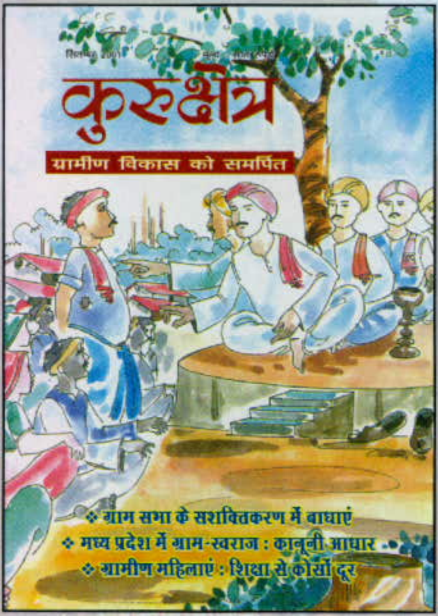

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590, फैक्स : 6175516

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

- ग्राम सभा के सशक्तिकरण में बाधाएं — डा. राजमणि त्रिपाठी — 4
- जयपुर जिले में ग्राम सभाएं : जनसहभागिता, मुद्दे एवं प्रक्रिया — जगदीश प्रसाद गुर्जर — 7
- मध्य प्रदेश में ग्राम–स्वराज : कानूनी आधार — श्री वल्लभ शरण — 10
- बाड़मेर – राहत और सार्थक विकास के इंतजार में रेगिस्तान के गांव — भारत डोगरा — 16
- ग्रामीण बेरोजगारी एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना — डा. एस.के. वार्ष्णेय — 19
- सुनिश्चित रोजगार योजना : एक समीक्षा — सिमरन कौर — 21
- नया आशियाना (कहानी) — डा. शीतांशु भारद्वाज — 24
- ग्रामीण विकास हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम : समस्याएं एवं निदान — डा. ए.सी. जैन, अमर कुमार जैन — 27
- ग्रामीण महिलाएं : शिक्षा से कोसों दूर — महेश कुमार — 32
- 'रें' से 'हों' तक का सफर — डा. संतोष सिंह — 35
- तृप्ति — जसविंदर शर्मा — 37
- पवन ऊर्जा के माध्यम से खुल रहे हैं विकास और रोजगार के नए मार्ग — पी.आर. त्रिवेदी — 38
- ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता के समाधान के रूप में बायोमास का उपयोग — डा. दिनेश मणि — 41

पाठकों के विचार

जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव

कुरुक्षेत्र का जुलाई, 2001 अंक पढ़ने से जनसंख्या विस्फोट के खतरे और नई जनसंख्या नीति के विषय में बेहद उपयोगी व सटीक जानकारी प्राप्त हुई। वर्तमान समय का यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। यह चिन्ता की बात है कि देश की आबादी एक अरब की सीमा को पार कर चुकी है। वास्तव में यह संख्या तब और भयावह प्रतीत होने लगती है, जब हम इन तथ्यों पर गौर करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है, जबकि विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। सचमुच जनसंख्या में हो रही यह वृद्धि किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। जिस रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी रफ्तार से भूमि, वन, जल आदि संसाधनों की कमी हो रही है और गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं भयावह रूप से बढ़ रही हैं। आज देश में लगभग चालीस करोड़ लोग निरक्षर हैं। करोड़ों लोगों को भोजन तो दूर उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, उनके पास घर नहीं है। वे जानवरों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं और सबसे दुःखद पहलू तो यह है कि आज शिक्षित होने पर भी जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो वे असामाजिक कामों को अंजाम देने लगते हैं और इसी क्रम में वे तस्करों, हिंसक गतिविधियों में लिप्त आतंवादियों एवं भाड़े के सैनिक तैयार करने वालों के चंगुल में फंसकर अपने वतन के ही खिलाफ हो जाते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला समय कितना भयावह होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

चन्द्र किशोर जायसवाल
ग्रा. व पो. – प्रतापगंज,
जिला – सुपौल (बिहार), पिन–852125

गांवों में कारखाने लगने चाहिए

देश की जनसंख्या की वृद्धि जितनी रफ्तार से हो रही है उस रफ्तार से हमारे खाद्यान्न,

आवास, पेयजल, शिक्षा, रोजगार, भूमि, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ नहीं पा रही है। इसके वजह से गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

गौरतलब है कि 60 के दशक से केन्द्र सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम समय–समय पर क्रियान्वित किए परन्तु इसमें कारगर सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

देश में 1991 से अधिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई गईं। परन्तु इन नीतियों और हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग की दयनीय स्थिति ने ग्रामीण लोगों को शहरों में पलायन के लिए विवश किया है। सर्वविदित है कि देश के बेरोजगारों में 62 प्रतिशत ग्रामीण तथा 38 प्रतिशत शहरों में हैं। शहरों की स्थिति भी ठीक नहीं है। शहरों में बड़े उद्योगों की स्थापना में मशीनीकरण के बढ़ते प्रयोग से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है।

ऐसी हालात में सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए कल कारखानों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए ताकि ग्रामीण आगे गांव में रहकर ही रोजी–रोटी का अर्जन कर सकें। इस तरह शहरों में बेरोजगार युवकों की फौज में कमी होगी और दोनों जगह रोजगार के अवसर प्राप्त करने की गुंजाइश रहेगी।

नवलकिशोर सिंह
ग्राम + पो. – मेरही
जिला – सीवान (बिहार) 841240

सक्षम हो रही हैं ग्रामीण महिलाएं

जून, 2001 में *महिला सशक्तिकरण पर्व* के विशेष अवसर पर आशारानी व्होरा द्वारा लिखित लेख *जागती हुई औरतें* से पता लगा कि वास्तव में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महिलाएं जागरूक होकर कार्य करने में सक्षम हो रही हैं। पुरुष प्रधान *अबला* वाली कहावत से काफी दूर सबलता को प्रमाणित कर रही हैं। ग्रामीण परिवेश के निम्न स्तर से लेकर देश की ये महिलाएं समाज–सेवा के उच्च स्तर पर कार्य करके विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित कर रही हैं जिसकी पर्याय अरुणा राय, मेधा पाटेकर व अरुंधती राय जग जाहिर हैं। विकास के विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सिडनी 2000 के ओलम्पिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही मल्लेश्वरी ने महिलाओं के महाबली होने का प्रमाण दिया। किरण बेदी जैसी प्रशासनिक क्षेत्रों में सफल व्यक्तित्व से प्रेरित होकर विजय लक्ष्मी बिदारी तथा शहला निगार का देश के उच्च स्तर की सेवाओं में शिखर पर पहुंचना *महिला सशक्तिकरण वर्ष* का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इसके अलावा इस अंक के अन्य लेख *उजड़ते वन : प्राकृतिक त्रासदी को आमंत्रण* वास्तव में शोचनीय विषय है। असन्तुलित

पर्यावरण की स्थिति को सन्तुलित करना हर व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न हो सकें। इन संसाधनों में प्राकृतिक चिकित्सा के अच्छे स्रोत भी हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा पाने में किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण महेश चन्द्र जोशी की कहानी *श्रद्धांजलि* में दिया गया है।

राजेन्द्र कुमार मार्शल
पन्त हास्टल (AU), चैथम लाइन्स,
इलाहाबाद–211002

श्रद्धांजलि कहानी सशक्त लगी

मैंने *कुरुक्षेत्र* के जून 2001 अंक में *श्रद्धांजलि* शीर्षक से उद्धधृत कहानी पढ़ी। कहानी कई मायने में सराहनीय, प्रशंसनीय और शिक्षाप्रद लगी।

इस कहानी के पढ़ने के बाद लगभग सभी यह आसानी से समझ जाएंगे कि अपनी बीमारी को किसी जानकार डाक्टर को ही दिखाना चाहिए। यह सत्य है कि जानकार डाक्टर रोग की जड़, गंभीरता को बड़ी आसानी से समझ जाता है और उचित इलाज करता है जबकि सामान्य डाक्टर मात्र रोगी से पैसा वसूलना ही जानते हैं।

इस कहानी में, डाक्टर रमाकान्त को सभी उच्चगुणों से परिपूर्ण चित्रित किया गया है। यदि देश का हर व्यक्ति इनके समान हो जाए तो देश धन्य ही हो जाए।

साथ ही इस कहानी को पढ़ने से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी पता चलता है। यह सच है कि आज समाज का हर वर्ग, हर जाति और हर पेशे वाले भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं और यदि कार्यवाही हो तो किस–किस पर कार्यवाही हो? ऐसे में यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार न करने

का संकल्प करें।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहानी हर कोण से सशक्त होने के बावजूद और अधिक संवेदनशील होनी चाहिए थी।

मिहिर यादव
एम.जी. 1वी/480, सिविल लाइन्स
इलाहाबाद–211002

सभ्य समाज की, ज्ञान की, जानकारी ग्रामीणों को टेलीविजन से मिलती है

ग्रामीण विकास की पत्रिका *कुरुक्षेत्र* रोचक, ज्ञानवर्धक और ग्रामीणों की पहचान को सम्पूर्ण भारत के सामने प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। जून 2001 के अंक में डा. विनोद गुप्ता का लेख *ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ता है टेलीविजन* पढ़कर पता लगा कि टी.वी. का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान, जानकारी ही देना नहीं है, यह ग्रामीण समाज व शहरी समाज की दूरियों को दूर करने का माध्यम भी है। रहन–सहन, बोल–चाल से लेकर बौद्धिक स्तर भी ग्रामीण बच्चों का शहरी बच्चों के समतुल्य होता है। शिक्षाप्रद धारावाहिक, ज्ञानवर्द्धक प्रसंग आदि कई पहलुओं द्वारा डा. गुप्ता ने सटीक तौर पर समझाया है कि टेलीविजन के कार्यक्रम बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण यह सिद्ध करता है कि बच्चों की पढ़ाई के कार्य में टेलीविजन एक विशेष भूमिका निभाता है।

संदीप तवर राजपूत,
मु.+पो. बातड़िया भाऊ, तह. सिवनी,
मालवा, जिला होशंगाबाद
(म.प्र.)

कुरुक्षेत्र

अक्तूबर 2001 वार्षिक अंक

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक यानी अक्तूबर 2001 का अंक पत्रिका का वार्षिक अंक होगा। इस अंक का विषय है : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेक्नालाजी। आज जब देश टेक्नालाजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नालाजी की कितनी पैठ है जैसे विभिन्न पहलुओं की इस विशेषांक में विश्लेषणात्मक समीक्षा करेंगे जाने–माने विद्वान, इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ और अन्य जानकार तकनीकीविद्। रंगीन चित्रों से सुसज्जित लगभग 72 पृष्ठ के इस अंक का मूल्य होगा मात्र 15 रुपये।

आप अभी से अपने स्थानीय समाचार पत्र विक्रेता से अपनी प्रति सुरक्षित करा लीजिए अथवा निम्न पते पर सम्पर्क कीजिए :

विज्ञापन व प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग,
प्रसारण सूचना और मंत्रालय, भारत सरकार
ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली–110066, फैक्स : 6175516,

ग्राम सभा के सशक्तिकरण में बाधाएं

डा. राजमणि त्रिपाठी

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों की वैधानिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसके तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा की स्थापना अनिवार्य की गई, जो उन अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे राज्य विधान मंडल द्वारा सौंपे जाएंगे। इस प्रकार ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली का केन्द्र बिन्दु बनाया गया और उसे वैधानिक दर्जा देकर गांव में जीवन्त तथा सुव्यवस्थित समुदाय बनाने की परिकल्पना की गई। किन्तु जनजाति क्षेत्रों को इस संशोधन से बाहर रखा गया। ग्राम सभा का अर्थ ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों (महिला पुरुष) से मिलकर बना निकाय है। इसके माध्यम से दलित और निर्धनतम व्यक्ति अपने भविष्य से जुड़े निर्णय में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ग्राम सभा की स्थापना करते समय उसके अधिकारों के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया और यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया कि वे जिस ढंग से और जिस हद तक उचित समझें ग्राम सभा को वैधानिक अधिकार प्रदान करें किन्तु राज्य सरकारी काफी समय तक ग्राम सभा की सार्थकता को नजरअंदाज करती रहीं। केवल ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ बनाने हेतु नित्य नए-नए संविधान संशोधन करती रहीं जिसके चलते ग्राम सभाएं उपेक्षित रहीं।

संविधान संशोधन अधिनियम की मंशा के अनुसार ग्राम सभा सारे देश में स्थापित कर दी गई और उन्हें अनेकानेक अधिकार तथा कार्य सौंप दिए गए। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर ग्राम सभा की व्यवस्था की गई थी उसे वे स्वयं समझ न सकीं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावी नहीं हो सकी और दिनो-दिन आभाहीन होती गई। ऐसे में यह जांचा जाना सर्वथा उपयुक्त होगा कि ग्राम सभाएं किन बाधाओं के कारण सशक्त नहीं हो पा रही हैं। उसके व्यावहारिक होने में किस प्रकार की समस्याएं उठ रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह कि ग्राम पंचायत की निरंकुशता और मनमानी को समाप्त करने में किस सीमा तक योगदान कर सकेंगी। यदि इन तथ्यों की अनदेखी की गई तो ग्राम सभाएं अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकेंगी और उनका स्वरूप दिन-प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा।

ग्राम सभा की स्थापना करते समय उसके अधिकारों के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया और यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया कि वे जिस ढंग से और जिस हद तक उचित समझें ग्राम सभा की सार्थकता को नजर अंदाज करती रहीं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ग्राम सभाएं निम्नलिखित बाधाओं के चलते सुदृढ़ नहीं हो पा रही हैं। यदि समय रहते इन बाधाओं के निराकरण हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ग्राम सभा के अस्तित्व और औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है :

परिसीमन सम्बन्धी बाधाएं

ग्राम सभा की स्थापना के समय इनका भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा यह निश्चित करना राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था जो आज तक निश्चित नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप कुछ राज्यों ने संविधान के प्रावधान को ही अपने पंचायती राज अनिधियम में रख लिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में सम्पूर्ण गांव, एक गांव का भाग या गावों के समूह को परिभाषित किया गया। इन परिस्थितियों में ग्राम सभा कहीं पूरे गांव के लिए, कहीं गांव के हिस्से के लिए और कहीं एक से अधिक गांवों के लिए मानी जाती रही।

वास्तव में एक ग्राम सभा उन ग्राम पंचायतों के लिए जहां एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हैं अव्यावहारिक सिद्ध हुई है। यही कारण है कि ग्राम सभा की बैठकों में आज भी उपस्थिति नाम मात्र की रहती है। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए महिलाओं तथा वृद्धों को अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले ग्राम सभा के परिसीमन सम्बन्धी विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ग्राम सभाओं में महिलाओं और पुरुषों दोनों की भागीदारी बढ़ेगी और ग्राम सभाएं अधिक सुदृढ़ तथा व्यावहारिक हो सकेंगी।

लोगों की उदासीनता

यद्यपि ग्राम सभा समस्त पंचायती राज व्यवस्था का दिल और दिमाग है। लेकिन पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा केरल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में इस संस्था को मात्र बातचीत की संस्था समझा जाता है। मध्य प्रदेश ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए पंच और सरपंचों को बेदखल करने का अधिकार इसी संस्था के हाथों में दे दिया है। अधिकतर राज्यों में ग्रामसभा को ग्रामीण विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना, विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को चुनना, गांव में एकता और सौहार्द का वातावरण बनाना तथा ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष का लेखा-जोखा

तथा आने वाले वर्ष के कार्यक्रम आदि के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है जो वहां की जनता का महत्वहीन प्रतीत होते हैं। चूंकि इस संस्था को कोई शक्ति या अधिकार कुछ समय पहले तक नहीं थे इसलिए आम लोग इसके प्रति काफी उदासीन थे। गरीब परिवार कहते देखे गए हैं कि ग्राम सभा की बैठकों के चक्कर में अपना काम छोड़कर मजदूरी नहीं गंवानी है। लेकिन जब–जब ग्राम सभा की बैठकों में गरीब परिवारों के हितलाभ या ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को चुनने का एजेन्डा रहता है तब–तब ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। इस प्रकार ग्राम सभा के प्रति जनमानस में अवसरवादिता और उदासीनता की भावना का निरन्तर विकास हो रहा है जो ग्राम सभा के सुदृढ़ीकरण में एक बड़ी बाधा है।

बैठकों की अनियमितता

ग्राम सभा से सम्बन्धित दूसरा पहलू उनकी बैठकों से सम्बन्धित है। ग्राम सभा को यह अधिकार और कार्य सौंपे गए थे कि वर्ष में कम से कम चार बैठकें करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी थी, साथ ही अब इन बैठकों की तिथियां प्रायः 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त तथा 2 अक्टूबर निश्चित कर दी गई हैं। ग्राम सभा की बैठकों की तिथियां निश्चित करने के बावजूद भी सरपंचों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती और तो और कई बार बिना सूचना दिए ही औपचारिक रूप से बैठकों की सारी कागजी कार्यवाही सरपंच के घर पर कुछ ही प्रभावशाली लोगों द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोग तथा अन्य सदस्य ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाते। महिला प्रतिनिधि तो बैठकों में खुद न जाकर अपने प्रतिनिधि भेज देती हैं।

प्रारम्भ में हुई एक दो बैठकों के प्रति ग्रामवासियों में काफी उत्साह देखा गया था। किन्तु धीरे–धीरे बाद की बैठकों में उपस्थिति का प्रतिशत कम होता गया। इसका मुख्य कारण यह माना गया कि प्रारम्भ में पंचायती राज का बड़े जोर–शोर से प्रचार–प्रसार किया गया जिसमें लोगों के मन में काफी उत्साह था और उनमें यह धारणा बनी थी कि पंचायतों के माध्यम से हमारे गांव का कायाकल्प हो जाएगा। किन्तु कालान्तर में पंचायत संस्थाओं की कार्य–प्रणाली से उन्हें निराश होना पड़ा और आज ग्राम सभा की नियमित बैठकें न होने से ग्रामीण विकास से सम्बन्धित अनेक कार्य रुके पड़े हैं और पंचायत संस्थाओं की निरंकुशता बढ़ती जा रही है जिससे ग्राम सभा तथा पंचायत प्रतिनिधियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं।

सामाजिक कुंठाएं

गांव में जाति, धर्म और सम्प्रदाय को लेकर सामाजिक कुंठाएं बढ़ी हैं। प्रत्येक गांव में ग्रामीण समुदाय अपनी पुरानी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को बराबर खोता जा रहा है। गांव उत्तरोत्तर राजनीतिक समुदाय में परिवर्तित होते जा रहे हैं जिसमें ग्रामीण वर्ग, पारस्परिक सहयोग पर आधारित न होकर व्यक्तिगत संकीर्ण मुद्दों, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावना से प्रेरित है। इससे गांवों में हिंसा

का विस्तार हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। युवकों का एक बड़ा समूह लक्ष्य–विहीन हो गया। इस परिवेश को देखकर लग रहा है कि ग्रामीण जीवन में पिछले पचास वर्षों के दौरान काफी बदलाव हुआ है। कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है लेकिन उसके विरोधाभास भी प्रकट हो रहे हैं जो ग्रामीण वातावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक स्तर में गिरावट आई है। अब तो गांव में एक दूसरे के प्रति भाइचारे की भावना का अन्त–सा हो रहा है। ऐसे में ग्राम सभाओं का सुदृढ़ और व्यावहारिक होना कठिन लगता है।

पंचायत संस्थाओं की कार्य प्रणाली

देश में पंचायतें भ्रष्ट होती दिखाई दे रही हैं। उन्हें केन्द्र और राज्य की ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के अधिकार दिए गए हैं। इन कार्यों का दायरा इतना व्यापक है कि भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश निकल आती है। सरपंच और बी.डी.ओ. मिलकर ग्राम विकास के किसी भी कार्यक्रम को मनमानी ढंग से करने के लिए स्वच्छन्द हैं और लाभार्थियों को मिलने वाले धन को इधर–उधर कर सकते हैं। इस प्रपंच की पृष्ठ कथा यह है कि पंचायतों को प्रशासन की ही एक इकाई मान लिया गया, जिसकी जिम्मेदारी केवल अपने से ऊंचे प्रशासनिक के प्रति थी और जनता के प्रति जिसकी सेवा करने के लिए उनका चयन किया गया था उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इससे ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी संस्थाओं के प्रति ग्रामवासियों का विश्वास उठने लगा। यही कारण है कि ग्राम सभाएं भी अब शंका की दृष्टि से देखी जाती हैं।

वास्तव में ग्राम सभा को लेकर जो आदर्श तथा पवित्र कल्पना की गई थी उसमें व्यवहारिक बातों को भुला दिया गया था। ग्राम सभा की सफलता के पूर्व अनेक बाधाएं उसके रास्ते में अवरोध बनकर खड़ी हो गईं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने उत्तरदायित्व केवल अपने प्रतिनिधि चुन कर भूल गए। अपने चुने प्रतिनिधियों के क्रिया–कलापों पर नजर रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके कार्यों पर हस्तक्षेप करने की अपनी मानसिकता खो बैठे। यह भी भूल गए कि एक सुदृढ़ ग्राम सभा ही सच्चा उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर सकती है।

चिन्तन का विषय यह है कि किस प्रकार से ग्राम सभा के लोगों की सोच को व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठाकर समष्टि स्तर पर लाया जाए, जिससे पूरे गांव के हित की सोचें, योजनाएं बनाएं और अपने गांव के संसाधनों को नियोजित विकास की दिशा में लगाएं। पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें ठीक समय से आयोजित हों और ग्राम सभा के सदस्य इन बैठकों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तभी गांव स्तर पर लोकतंत्र अधिक कारगर होगा, विकास की गति तेज होगी तभी सुदृढ़ ग्राम सभा की कल्पना पूरी हो सकेगी। गांव के प्रत्येक सदस्य और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी और महत्वपूर्ण भूमिका के बिना यह सम्भव नहीं है।

गोविन्द वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूसी, इलाहाबाद

ग्रामीण विकास एवं उत्थान हेतु समर्पित अर्ध वार्षिक पत्रिका

ग्रामीण विकास समीक्षा

राष्ट्रीय स्तर की एक शोध पत्रिका जिसमें शामिल किए जाते हैं :

* ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक समीक्षा परक उच्च कोटि के शोध पत्र
* विद्वान लेखकों की विश्लेषणात्मक टिप्पणियां
* ग्रामीण जीवन की बारीकियों को दर्शाती घटनाएं
* ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन की सच्ची तस्वीरों का लेखा जोखा

संस्थान उक्त पत्रिका में प्रकाशन हेतु उच्चकोटी के शोध पत्र एवं लेखों को आमंत्रित करता है।

पत्रिका के नियमित ग्राहक बनें

चंदे की दरें :	एक वर्ष	: 75/– रु.
	दो वर्ष	: 150/– रु.
	तीन वर्ष	: 225/– रु.
	आजीवन	: 1000/– रु.

मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के नाम निम्न पते पर भेजें।

संपादक
ग्रामीण विकास समीक्षा
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद–500 030 (आन्ध्रप्रदेश)
टेलीफोन – 4015001/471
फैक्स – 040–4015765

जयपुर जिले में ग्राम सभाएं : जनसहभागिता, मुद्दे एवं प्रक्रिया

जगदीश प्रसाद गुर्जर*

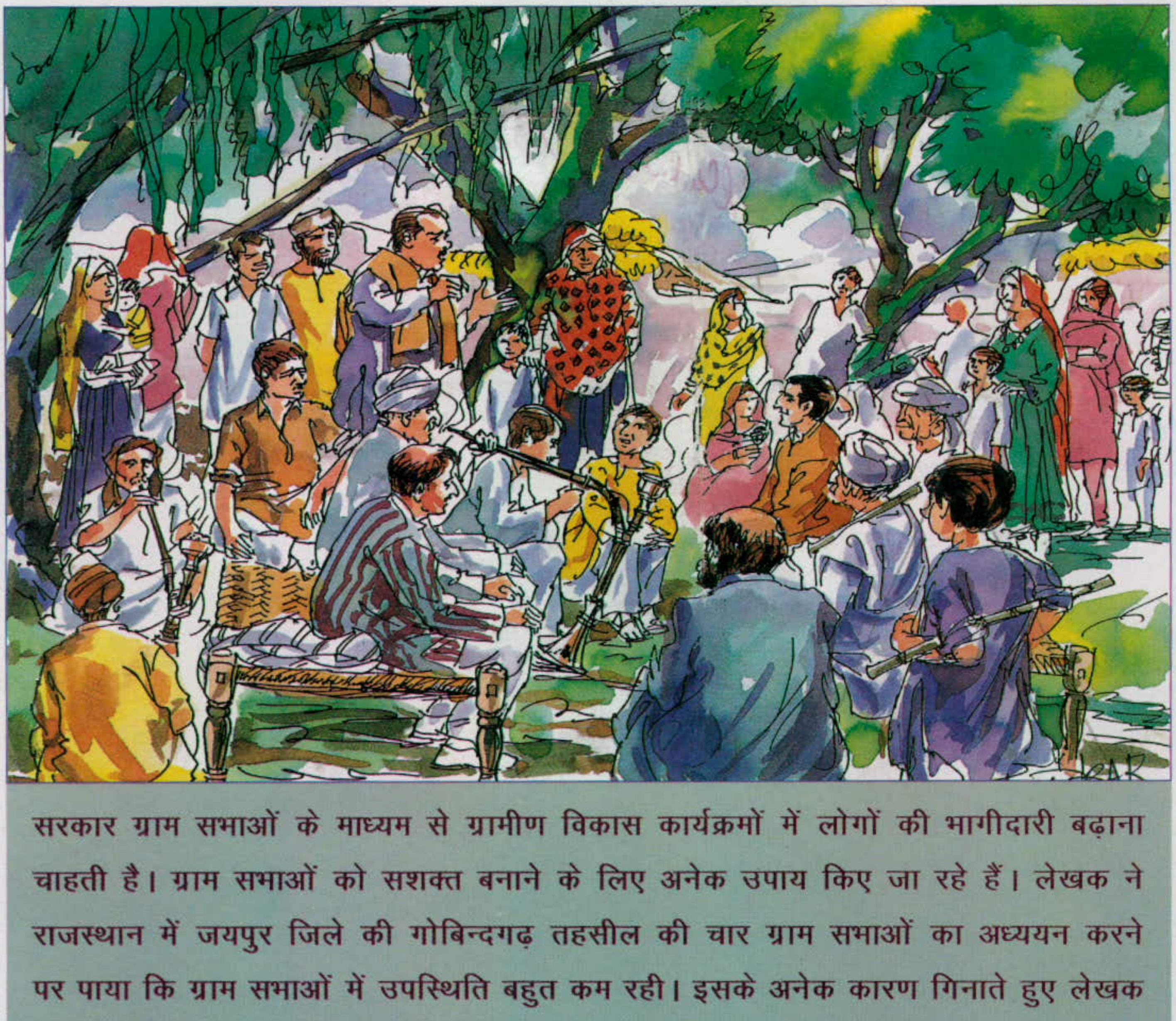

सरकार ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। लेखक ने राजस्थान में जयपुर जिले की गोबिन्दगढ़ तहसील की चार ग्राम सभाओं का अध्ययन करने पर पाया कि ग्राम सभाओं में उपस्थिति बहुत कम रही। इसके अनेक कारण गिनाते हुए लेखक ने ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने के अनेक सुझाव दिए हैं।

* शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

स्वतंत्रता के बाद भारत में यह महसूस किया जाने लगा कि राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए। राजनैतिक विकेन्द्रीकरण में शासन में प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होती है। सत्ता शीर्ष पर नहीं होती उसका विभाजन कर दिया जाता है तथा उसे कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। राजनैतिक विकेन्द्रीकरण की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से जनता अपनी राजनीतिक सत्ता का उपयोग करती है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है।

यद्यपि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की स्पष्ट व्यवस्था स्वतन्त्रता उपरान्त देखने को मिलती है, किन्तु इसके कुछ उदाहरण हमारे यहां प्राचीन काल से ही मिलते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में भी ग्राम सभाओं के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में विदथ, सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा के समकक्ष ही था।

ब्रिटिश काल में भी कई राज्यों में ग्राम सभा पंचायतों का अंग थी। बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियिम 1933 में ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है लेकिन ग्राम सभाओं का असली रूप स्वतन्त्रता के बाद ही सामने आया। बलवन्त राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश में भी ग्राम सभा का उल्लेख था। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1959 में भी ग्राम सभा का प्रावधान था लेकिन न तो इस अधिनियम में नियम थे न ही ग्राम सभा की बैठक सम्बन्धी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होगी इसके बारे में कोई सुनिश्चित व्याख्या की गई थी। 1959 के अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान में 6,100 ग्राम सभाएं थीं तथा वर्ष में दो बार ग्राम सभा बुलाने का प्रावधान था लेकिन स्पष्ट नियम और कार्य प्रणाली के अभाव में ग्राम सभाएं एक औपचारिकतापूर्ण मात्र रह गईं और एक प्रभावी संवैधानिक संस्था के रूप में उभर कर नहीं आ सकीं।

24 अप्रैल 1993 से लागू 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके माध्यम से पंचायतों को अधिकार व शक्तियां मिलीं। इस संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा को वैधानिक अधिकार मिल गया तथा अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को परिभाषित किया है जिसमें ग्राम पंचायत में आने वाले सभी गांवों की मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं की सामूहिक संस्था को ग्राम सभा कहा गया है। अनुच्छेद 243 (ब) में यह प्रावधान है कि राज्य विधान मण्डल कानून के द्वारा ग्राम सभा का प्रावधान कर सकेगी और गांव के स्तर पर ग्राम सभा उपयुक्त कानून द्वारा प्रदत्त कार्यों को अनिवार्य रूप से करेगी। ग्राम सभा को क्या–क्या कार्य करने हैं इसके बारे में संविधान ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। इस प्रावधान के तहत ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 बना जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा और वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूहों से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति होंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में तो ग्राम–सभा की बैठक साल में दो बार बुलाने का प्रावधान है। लेकिन सरकार ग्राम सभा को अधिक सुचारु व सशक्त बनाने के लिए साल में चार बार इसका आयोजन कराती है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं का पूरे राजस्थान में एक साथ आयोजन होता है।

राजस्थान सरकार ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक सक्रिय प्रयास किए जिनमें राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में शिक्षा सहयोगी तथा आदर्श विद्यालय में पैराटीचर्स की नियुक्ति आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय भी ग्राम सभा द्वारा कराए जाने का निश्चय लिया गया। ग्राम सभा को अधिक सक्रिय बनाने में किए गए प्रयास का वर्णन प्रो. पी.सी. माथुर का अक्टूबर 1999, *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित लेख तथा डा. दौलत राज थानवी का *कुरुक्षेत्र* के अप्रैल 2001 में प्रकाशित लेख 'ग्राम सभाओं का सफरनामा' में भी मिलता है। प्रो. पी.सी. माथुर के सहयोग से डा. लीला राम गुर्जर और लेखक ने जयपरु जिले की गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की चार ग्राम सभाओं (1) ग्राम पंचायत फतेहपुरा (बांसा) (2) ग्राम पंचायत सामोद (3) ग्राम पंचायत चीथवाड़ी (4) ग्राम पंचायत मोरीजा का अवलोकन किया। डा. लीलाराम गुर्जर चीथवाड़ी ग्रामसभा में लेखक के साथ उपस्थित थे। इस अवलोकन में उभरे कुछ उल्लेखनीय बिन्दुओं पर दृष्टिपात करना वांछनीय होगा।

ग्राम पंचायत फतेहपुरा, चीथवाड़ी, मोरीजा व सामोद की ग्राम सभाओं के अवलोकन के पश्चात् यह तथ्य सामने आया कि ग्राम सभाओं में पर्याप्त जन सहभागिता का अभाव था। किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए निर्धारित कोरम पूरा नहीं हुआ।

ग्राम सभा की कार्यवाही संचालन के लिए येन–केन प्रकारेण ही कोरम पूरा किया गया घर–घर जाकर हस्ताक्षर कराए गए। लोग ग्रामसभा स्थल के पास से गुजरे लेकिन ग्राम सभा में नहीं आए। सभी ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित गणपूर्ति का अभाव था।

महिलाओं की सहभागिता

महिलाओं की तो बात ही कुछ अलग थी। किसी भी ग्राम सभा में पांच–सात महिलाओं से ज्यादा नहीं आईं। महिलाओं ने ग्राम सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लिया केवल महिलाएं मूक दर्शक ही बनी हुई थीं।

अध्ययन की गई चार प्रमुख पंचायतों में दो पंचायतों (1) फतेहपुरा (पिछड़ा वर्ग) (2) सामोद (सामान्य) में महिला सरपंच होते हुए भी महिलाओं की उपस्थिति न्यूनतम ही रही। ग्राम पंचायत फतेहपुरा की वर्तमान सरपंच श्रीमति नाथी देवी (जो केवल साक्षर है) ग्राम सभा में केवल मूक दर्शक बनकर ही बैठी रहती है। सारे निर्णय उसका पति (जो उपसरपंच भी है) ही करता है। सरपंच केवल हस्ताक्षर मात्र ही करती है और ग्राम की कार्यवाही के अन्दर भी घूंघट निकाल कर बैठ जाती हैं। ग्राम सामोद की सरपंच श्रीमती शशि मिश्रा शिक्षित महिला होने के कारण ग्राम सभा में सक्रिय रही लेकिन दलगत

राजनीति के कारण खुलकर विचार व्यक्त नहीं किए।

पंचों की सहभागिता

ग्राम सभाओं में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता का अभाव था। अधिकतर ग्राम सभाओं में सरपंच को छोड़कर वार्ड पंचों का ग्राम सभा की कार्यवाही में योगदान नगण्य ही था। कई वार्ड पंच तो ग्राम सभा की कार्यवाही में ही नहीं आए। फतेहपुरा में 11 वार्ड पंचों में सिर्फ 3 ही आए। सामोद चिथवाड़ी, मोरीजा में लगभग 50 प्रतिशत वार्ड पंच ही उपस्थित हुए।

मुद्दे

इन चार ग्राम सभाओं में सभी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं:

- राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगियों का चयन।
- 15 मई 2000 को हुई ग्राम सभाओं में पहली बार हुई वार्ड सभाओं में लिए गए निर्णयों को अनुमति देना।
- 2 अक्टूबर 2000 में की ग्राम सभा में गरीबी उन्मूलन व अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा चयनित व्यक्तियों को वरीयता के अनुसार लाभ देना।
- अधिकतर सभी ग्राम सभाओं में ग्रामीण लोगों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा पीने के पानी के हैण्डपम्प लगाना तथा टंकियों का निर्माण करना आदि विषयों पर लगभग सभी ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पास किए।
- 20 मई 2001 को हुई ग्राम सभाओं में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला सहित विभिन्न योजनाओं में शिक्षा सहयोगी शिक्षा कर्मी तथा अन्य नामों से सम्बन्धित पैरा टीचर्स चयन हेतु ग्राम पंचायत चिथवाड़ी में दो आवेदन आए जिनका नियमानुसार ग्रामसभा द्वारा चयन किया गया।
- आय बढ़ाने के लिए ग्राम सभा में कई प्रस्ताव आए उनमें से जिनको ग्राम सभा उचित समझती थी उनको सर्वसम्मत्ति से पास किया।

1. जन सहभागिता : ग्राम सभाओं में जन सहभागिता का स्तर

ग्राम सभाएं	दिनांक	कुल मतदाता	उपस्थित हुए	महिलाएं	पुरुष
फतेहपुरा	15–08–1999	2700	45 (1.67%)	3	42
सामोद	15–05–2000	4500	240 (5.33%)	9	231
मोरीजा	02–10–2000	5300	175 (3.30%)	6	169
चीथवाड़ी	20–05–2001	4500	150 (3.33%)	10	140

- सभी ग्राम सभाओं ने अपने आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया।

प्रक्रिया

ग्राम सभा की कार्यवाही में सामान्यतः यह आशा की जाती है कि ग्राम सभा की कार्यवाही शान्तिपूर्वक बिना विवादों में उलझे सम्पन्न हो। ग्राम पंचायत फतेहपुरा (बांसा) की ग्राम सभा में कोई विवाद नहीं हुआ। उसमें अधिकतर निर्णय सरपंच की सहभागिता से हुए। अधिकतर मुद्दे सरपंच रखता गया और बिना किसी विरोध से पास होते गए। लेकिन ग्राम पंचायत सामोद में विभिन्न मुद्दों को लेकर खींचतान रही तथा ग्राम सभा की बैठक में स्पष्ट दलीय राजनीति उभर कर आई।

ग्राम पंचायत मोरीजा में ग्राम सभा की बैठक शांतिपूर्वक चली तथा निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। अधिकतर निर्णय लोगों के हाथ खड़े करवा के किए गए। ग्राम पंचायत चीथवाड़ी में 20 मई 2001 को हुई ग्राम सभा में कार्यवाही शान्तिपूर्वक बिना किसी के विरोध तथा सहयोग पूर्ण वातावरण में हुई। इसमें आपसी खींचातानी नहीं रही। उपस्थित सभी लोगों का सहयोग रहा। सरपंच महोदय को ग्रामसभा की कार्यवाही चलाने में अच्छा सहयोग मिला।

ग्राम सभा निष्प्रभावी होने के कारण

ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का सशक्त माध्यम है। लेकिन इसकी सफलता की जो कामना की जा रही थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। ग्राम सभा के निष्प्रभावी होने के निम्न कारण देख सकते हैं।

- लोगों को ग्राम सभा के बारे में जानकारी नहीं है। अधिकतर ग्रामीण हल्के में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनको ग्राम सभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
- ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। महिलाओं में शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा के अभाव के कारण लोग ग्राम सभा की शक्तियों व अधिकारों के बारे में सही नहीं जान पाते।
- लोग गांव में बनी गुटबाजी से दूर रहना चाहते हैं। गांवों में कई गुट बने हुए होते हैं। ग्राम सभा में गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं।
- महिलाओं का परम्परागत रूढ़िगत प्रथाओं में जकड़े रहने के कारण ग्राम सभाओं में महिलाओं की सहभागिता का स्तर बहुत ही कम है। ग्राम सभा में अधिकांश महिलाएं इसलिए नहीं आतीं क्योंकि वहां गांव के बड़े बुजुर्ग व वरिष्ठ लोग मौजूद रहते हैं। अतः औरतें वहां जाने से कतराती हैं। अगर जाती भी हैं तो वे घूंघट निकाल कर दूर बैठ जाती हैं।
- ग्राम सभा इसलिए भी सशक्त नहीं बन पा रही है कि लोगों ने ग्राम सभा के प्रति जागरूकता की कमी है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को ग्राम सभा में जाने के लिए कहा जाए तो यह कहकर कन्नी काट देता है कि वहां जाने से समय बर्बाद होगा।
- ग्राम सभा की बैठक कई जगह इसलिए सुचारु रूप से सफल नहीं हो पाती कि सरपंच नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राम सभा में आएं। अगर ऐसा होता है तो उसकी मनमानी पर रोक लगती है।
- ग्राम सभा के प्रचार–प्रसार की कमी के

(शेष पृष्ठ 15 पर)

मध्य प्रदेश में ग्राम-स्वराज : कानूनी आधार

श्री वल्लभ शरण

22 जनवरी 2001 को, मध्य प्रदेश राज-पत्र में प्रकाशित मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित 27 धाराओं वाला मध्य प्रदेश अधिनियम (क्रमांक-3, सन् 2001) सत्ता के विकेन्द्रीकरण की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। इस अधिनियम (मध्य प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2001) ने प्रदेश के 1993 के अधिनियम में अभूतपूर्व प्रभावकारी संशोधन कर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है जिसका ग्राम प्रशासन पर सकारात्मक, दीर्घकालीन और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।

अधिनियम पहला चरण था और उसके अंतर्गत नियमों का बनना दूसरा चरण।

विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग नियम बने हैं और लागू हो गए हैं। संशोधन अधिनियम (2001 का 3) की धारा 7ए के अनुसार ग्राम सभा अपने कार्यों को आठ स्थायी समितियों और आवश्यकतानुसार तदर्थ समितियों द्वारा करती है।

समितियों के गठन की प्रक्रिया

एक समिति में अधिक से अधिक बारह सदस्य हो सकते हैं। निश्चित संख्या ग्राम सभा निर्धारित करती है। आठवीं स्थायी समिति उपर्युक्त सात स्थायी समितियों के सभापतियों एवं सरपंच से बनी होती है। नियम लागू होने की तिथि से एक माह के अन्दर सरपंच को ग्राम सभा की एक बैठक स्थायी समितियों के गठन के लिये बुलानी होती है। प्रत्येक समिति के पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एक-तिहाई पिछड़े वर्गों से होंगे, आठवीं समिति में सरपंच और उप-सरपंच भी रहेंगे। सरपंच की अनुपस्थिति में उप-सरपंच और उप-सरपंच भी नहीं हो तो समिति द्वारा चुना हुआ कोई सदस्य इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि आरक्षित सीटों को भरने के लिए आरक्षित वर्ग से पर्याप्त संख्या में व्यक्ति नहीं मिलें तो जितने स्थान रिक्त रह जाएंगे, वे अनारक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से भरे जायेंगे। कुल सदस्य संख्या का पचास प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से भरा जाना है। मगर जिस रीति से भी पद भरे गये हों, उनमें एक-तिहाई संख्या महिलाओं की होनी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में ग्राम विकास समिति (आठवीं समिति) को छोड़कर अन्य हर समिति में एक-तिहाई महिला सदस्य रहेंगी ही।

कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समिति का सदस्य नहीं हो सकता, मगर सरपंच ग्राम

ग्राम सभा अपने अधिकारों का समुचित उपयोग कर सके इसके लिए उचित वातावरण बनाने की जरूरत है

विकास समिति का सदस्य भी हो सकता है। यदि सरपंच का स्थान किसी कारण से रिक्त हो तो उप–सरपंच, (जब तक सरपंच उपलब्ध नहीं होता) ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष होगा। ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के अनुरूप होगा, यानी सामान्यतः 5 वर्षों का मगर सात अन्य समितियों के सभापतियों का कार्यकाल

मगर जिस रीति से भी पद भरे गए हों, उनमें एक–तिहाई संख्या महिलाओं की होनी ही है। दूसरे शब्दों में ग्राम विकास समिति (आठवीं समिति) को छोड़कर अन्य हर समिति में एक–तिहाई महिला सदस्य रहेंगी ही।

एक वर्ष का होगा और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

समिति की चुनाव की प्रक्रिया

प्रत्येक समिति अपने सभापति का चुनाव अपनी पहली बैठक में करेगी और किस आरक्षित या अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति पहला सभापति हो, इसका निर्णय लाटरी द्वारा होगा। दूसरे वर्ष से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दूसरे वर्ग, महिला – इस क्रम में चक्रानुक्रम में चुनाव होगा। इस प्रकार 5 वर्षों में एक बार तो कोई महिला प्रत्येक समिति की अध्यक्ष हो ही जायेगी और यदि लाटरी ने साथ दिया तो पहले वर्ष ही समिति की अध्यक्षता करेगी। अध्यक्ष का चुनाव सर्व–सम्मति से होगा और यदि वैसा नहीं हो सका तो आम सहमति से होगा।

ग्राम सभा को अधिकार है कि वह लिखित कारणों से किसी भी समिति के किसी भी सदस्य को कभी भी समिति की सदस्यता से हटा सकती है।

समिति के अधिकार

ग्राम विकास समिति को छोड़कर शेष समितियां हैं:

- सार्वजनिक संपदा समिति
- कृषि समिति
- स्वास्थ्य समिति
- ग्राम रक्षा समिति
- अधोसंरचना समिति
- शिक्षा समिति और
- सामाजिक न्याय समिति

तदर्थ समितियां कार्य–विशेष के लिए गठित होंगी और ग्राम सभा के क्षेत्र में जो समितियां पहले से कार्य कर रही हैं, वे भी ग्राम सभा की सहमति से पूर्ववत कार्य करती रहेंगी।

उनके उपरांत सात समितियां के कार्य और दायित्व और उनके अधिकार ग्राम सभा द्वारा निर्धारित होंगे (धारा 7 घ और नियम 10)। प्रत्येक समिति ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी और उसके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगी। ग्राम विकास समिति ग्राम के संपूर्ण विकास के लिए योजना तैयार करेगी और उस पर ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करेगी।

अपने कार्यों के सम्पादन में किसी भी समिति को अधिकार है कि वह आवश्यक सूचना और कागजात मांगे और अपने कार्यों (योजना, स्कीम के सम्बन्ध में) प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को भी अनिवार्य रूप से करना होगा।

उन सामान्य अधिकारों और कर्त्तव्यों के अतिरिक्त नियम 11 में कुछ कार्यों का विशेष उल्लेख है, जैसे ग्राम विकास समिति योजना बनाने के अतिरिक्त, ग्रामीण विकास कार्यक्रम बजट, लेखा, कराधान, ग्राम कोष तथा अन्य वित्तीय मामले और ऐसे विषय जो किसी समिति के कार्य–क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन्हें देखेगी। समितियों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार होंगे।

(i) सार्वजनिक सम्पदा समिति : भूमि, वन, जन संसाधन, खनिज संसाधन तथा पर्यावरण इसके प्रभार में है।

(ii) कृषि समिति : कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि से सम्बन्धित विषयों को देखेगी।

(iii) स्वास्थ्य समिति : ग्राम सभा क्षेत्र में, टीकाकरण, रोगों के रोकथाम के लिए उपाय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों के पर्यवेक्षण, जन विकास, आदि से सम्बन्ध कार्य देखेगी।

(iv) ग्राम सुरक्षा समिति : जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा तथा आपातकालीन स्थिति (बाढ़, सूखा, भूकम्प) सम्बन्धित विषयों की प्रभारी रहेगी।

(v) अधोसंरचना समिति : ग्रामीण सड़क, संचार, ग्रामीण, ऊर्जा आदि से सम्बद्ध है।

प्रत्येक समिति अपने सभापति का चुनाव अपनी पहली बैठक में करेगी और किस आरक्षित या अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति पहला सभापति हो, इसका निर्णय लाटरी द्वारा होगा। दूसरे वर्ष से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग, दूसरे वर्ग, महिला – इस क्रम में चक्रानुक्रम में चुनाव होगा।

(vi) शिक्षा समिति : साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध विषय को देखेगी।

(vii) सामाजिक न्याय समिति : अस्पृश्यता निवारण, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, सामाजिक कुरीतियां, वृद्ध तथा बाल कल्याण आदि के लिए है।

स्थायी समितियों की कार्य–संचालन प्रक्रिया

स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या निर्धारित नहीं है। यह स्थायी समिति के सभापति पर निर्भर है कि वह कब बैठक बुलाता है। परन्तु यदि समिति के कम से कम आधे सदस्य, लिखित रूप में समिति की बैठक बुलाने की मांग करें, तो वैसी बैठक निश्चित रूप से बुलानी होगी। कोरम आधे सदस्यों की उपस्थिति से होता है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के लिए भी कोरम चाहिए। यदि कोई विषय एक से अधिक समितियों से

सम्बद्ध होता है तो उस बारे में भी ग्राम सभा निर्णय लेगी। नीति संबंधी मामले भी ग्राम सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

प्रत्येक समिति का एक सचिव होगा जो समिति के सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से चुना जाएगा। परन्तु उस समिति के किसी सदस्य का कोई संबंधी (पिता–माता, भाई–बहन, पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, ससुर–सास, साला–साली, दामाद–पुत्र वधू) उस समिति का सचिव नहीं हो सकता।

सचिव का पद अवैतनिक है। उसकी शैक्षणिक योग्यता समिति द्वारा की जाती है और वह समिति और ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और समिति के बहुमत से हटाया जा सकता है।

स्थायी समिति में यदि किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसका निर्णय ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

तदर्थ समितियां

स्थायी समितियों के अतिरिक्त किसी कालबद्ध कार्य या विशेष प्रयोजन के लिए ग्राम सभा तदर्थ समिति बना सकती है जिसका कार्यकाल उस कार्य विशेष के समाप्त और उसका मूल्यांकन हो जाने पर सामान्यतः समाप्त हो जायेगा। तदर्थ समिति के सदस्य "स्टेक होल्डर्स" ही हो सकते हैं। परन्तु कार्यक्षेत्र विशेष का पंच यदि स्टेक होल्डर नहीं भी हो तो भी उस समिति का सदस्य होगा। स्थायी समितियों की तरह ही तदर्थ समिति का भी, समिति के सदस्यों द्वारा चुना हुआ एक सभापति और एक सचिव होगा। तदर्थ समिति में सभी निर्णय आम सहमति से होंगे, परन्तु तदर्थ समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। वह ग्राम सभा के ऊपर है कि वह तय करे कि किसी तदर्थ समिति में कितने सदस्य हों, मगर जहां तक संभव हो, उसमें युवक और महिलाओं को रखे जाने का प्रावधान है। कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् तदर्थ समिति ग्राम सभा को अपनी रिपोर्ट देगी।

बैठक नियम

अधिनियम के अन्तर्गत बैठकों के संबंध में नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

- ग्राम सभा की बैठक की सूचना, ढोल पिटवा कर तथा मुख्य–मुख्य स्थानों पर नोटिस चिपका कर, बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले दी जाएगी और अनिवार्य परिस्थिति में वह तीन दिन पहले भी हो सकती है।
- ग्राम सभा के हर सदस्य को, सभा की फाइलों और उसके कागजातों को देखने का अधिकार है। बैठक की कार्यवाही ग्राम सभा के सचिव द्वारा, जो ग्राम पंचायत का भी सचिव है, एक रजिस्टर में लिखी जाएगी।

सम्बद्ध नियम के अन्तर्गत, किसी परिवार के वैसे सदस्य को, जिसकी कुल मासिक आय पांच सौ रुपये या उससे कम है, निर्धन माना गया है। परिवार में स्त्री, पुरुष और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं।

अपील

तीसरे अधिसूचित नियम के अन्तर्गत ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध अपील, अपील समिति के समक्ष ग्राम सभा द्वारा लिए गए सम्बद्ध निर्णय की तिथि से तीस दिनों के अन्दर दायर की जायेगी। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम सभा क्षेत्र के जनपद सदस्य एवं उप खंड अधिकारी (राजस्व) इस अपील समिति के सदस्य होंगे और जनपद पंचायत के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। सम्बद्ध पक्षों को सुनने के बाद, शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। अपील समिति ग्राम सभा के निर्णय को बरकरार रख सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसे पूर्णतः रद्द कर सकती है। वह निर्णय अंतिम निर्णय होगा और सम्बद्ध पक्षों के लिए मान्य होगा।

निर्धन व्यक्ति को उधार मंजूरी का नियम

सम्बद्ध नियम के अन्तर्गत, किसी परिवार के उस सदस्य को, जिसकी कुल मासिक आय पांच सौ रुपये या उससे कम है, निर्धन माना गया है। परिवार में स्त्री, पुरुष और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं। गंभीर बीमारी, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अन्तिम संस्कार उसके लिए निर्धन व्यक्ति को या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी और प्रयोजन के लिए ऋण दिया जा सकता है।

बीमारी के इलाज या अन्तिम संस्कार के लिये ऋण की सीमा तीन सौ रुपये और दूसरे कार्यों के लिये दो सौ रुपये हैं। ऋण पर कम से कम चार प्रतिशत ब्याज है और ग्राम सभा उसे बढ़ा भी सकती है। ऋण लेने के तीसरे महीने से वसूली प्रारंभ हो जाएगी और अधिक से अधिक दस महीनों में वसूली हो जानी है। इलाज के लिए दूसरा ऋण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पहले ऋण की वसूली पूरी नहीं हो गई हो। इलाज की हालत में प्राधिकृत मेडिकल अधिकारी द्वारा और अन्तिम संस्कार की हालत में जिस क्षेत्र में वह निर्धन व्यक्ति रहता है, वहां के पंच द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र होना आवश्य होगा। यदि ऋण की वसूली नहीं हो पाती है तो ग्राम सभा उसे राजस्व के बकाया की वसूली की प्रक्रिया अपनाकर ऋण की वसूली करेगी।

ऋण के सम्बन्ध विहित प्रारूप में (फार्म 111) में ऋण – रजिस्टर रखने का प्रावधान है और यदि लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने से पहले मृत्यु हो जाए या ऐसा लगे कि अनिवार्य परिस्थितियों के कारण, वसूली संभव नहीं है तो ग्राम सभा ऋण की राशि को बट्टे खाते में डाल सकती है।

बजट–अनुमान नियम

"बजट–अनुमान नियम" के अन्तर्गत आगामी पहली अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए हर वर्ष 15 फरवरी तक ग्राम सभा का बजट स्वीकृत हो जाना है।

इसके अनुसार प्रत्येक स्थायी समिति अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले कार्यों को ग्राम विकास समिति को बताएगी। गत विकास समिति उनकी समीक्षा कर ग्राम सभा की अनुमानित

आय एवं खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगी और उस पर ग्राम सभा की स्वीकृति लेगी। ग्राम सभा उसे, आवश्यक परिवर्तन, संशोधन के साथ स्वीकृत करेगी।

किस स्तर पर तब तक यह कार्य होगा यह नियम 5 की तालिका में दिया हुआ है: स्थायी समितियों द्वारा प्रस्ताव 31 दिसम्बर तक, ग्राम विकास समिति द्वारा बजट का प्रारूप 7 जनवरी तक, ग्राम सभा द्वारा बजट के प्रारूप पर विचार 21 जनवरी तक, ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति 31 जनवरी तक, ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों के बजट अनुमान स्वीकृत कर लौटाना 15 फरवरी तक आवश्यक होगा।

बजट का ब्यौरा

बजट अनुमान में निम्नलिखित बातों का ब्यौरा रखना जरूरी है:

- बकाया ऋण की अनुमानित वसूली
- पूर्व वर्ष की बचत
- पिछले दो वर्षों में प्राप्त अनुदान के आधार पर अगले वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित अनुदान–राशि
- अनुदान के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली दूसरी राशियां, पिछले वर्षों की बकाया सहित यदि वैसा कोई बकाया है, पिछले दो वर्षों की प्राप्ति आधार पर तथा उनकी वसूली की संभावना के आधार पर।
- स्थापना – व्यय (नियमित मासिक खर्च के अनुमान सहित – जैसे स्वीकृत मासिक रेंट, भत्ते आदि)। इसमें आयकर सहित व्यय की पूरी अनुमानित राशि दर्शायी जाएगी।
- पिछले दो वर्षों में हुए आकस्मिक व्यय पर हुए खर्च के आधार पर अनुमानित आकस्मिक व्यय – विशेष प्रकार का यदि कोई खर्च उस वर्ष में हो गया हो तो उसे छोड़कर।
- भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से स्कीम विशेष के लिए प्राप्त होने वाली राशि। इस राशि का किसी दूसरी स्कीम/कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा।
- ग्राम सभा पर जो बकाया हो, जिनकी वित्तीय वर्ष में वापसी होनी है– जैसे, लिए हुए ऋण की किश्तों की ब्याज सहित वापसी।
- यदि पिछले वर्ष की बजट–राशि और आगामी वर्ष की अनुमानित राशि के किसी मद में दस प्रतिशत से अधिक का फर्क आता हो तो उसका स्पष्टीकरण और औचित्य।
- सहायता प्राप्त कार्य या स्वावलम्बन के आधार पर होने वाले कार्यों के लिए, लोगों या संस्थाओं से अन्न कोष, वस्तु कोष, श्रम कोष के लिए या नगद रूप में संभावित प्राप्ति।

अधिनियम और नियमों से जो चित्र उभरा है उसका सबसे सकारात्मक पक्ष है, समाज के सभी वर्गों की ग्राम–प्रशासन में भागीदारी। सभी काम समितियों के माध्यम से होंगे और सभी समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाएं भी रहेंगी।

- पहले से चले आ रहे अधूरे कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिए, उस पर पड़ने वाली संभावित व्यय–राशि।
- हर कार्य के लिये जो राशि बजट में प्रस्तावित है, उस पर उसके कारणों, औचित्यों को दिखाते हुए, विस्तृत टिप्पणी। यहां यह स्मरणीय है कि बजट में समाविष्ट हो जाने से, किसी राशि को अनुमानित व्यय को, उस राशि को, स्वतः की खर्च करने की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। उस रशि को खर्च करने के पहले, उस पर ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य है (नियम 7)।
- कार्य हित में कभी–कभी बजट से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। जो कार्य या राशि बजट में सम्मिलित नहीं है और उसे खर्च करना आवश्यक है अथवा स्वीकृत राशि से अधिक खर्च जरूरी हो तो ग्राम सभा वैसे कार्य अथवा स्वीकृत राशि से आवश्यक अतिरिक्त राशि को खर्च करने की स्वीकृति देने के लिए सक्षम है। परन्तु वह उपरोक्त राशि कहां से आएगी इसे बताना होगा। साथ ही यदि प्रस्तावित खर्च पर किसी अधिकारी की स्वीकृति जरूरी हो तो खर्च करने से पहले वह स्वीकृति भी ले लेनी होगी।
- ग्राम सभा मद से दूसरे मद में खर्च करने (रिएप्रोप्रिएशियन) की अनुमति दे सकती है बशर्ते

(अ) उस पर ग्राम सभा की स्वीकृति हो,

(ब) ग्राम–सभा की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर उसकी सूचना ग्राम पंचायत को दे दी जाए।

मगर, ग्राम पंचायत या किसी दूसरे प्राधिकारी द्वारा स्कीम विशेष के लिए, अनुदान या ऋण के रूप में दी हुई राशि बिना इस पंचायत/प्राधिकारी की स्वीकृति के किसी स्थिति में, दूसरे कार्य में नहीं लगाई जाएगी।

- पूरक बजट, एक आम प्रचलन है। चालू वित्तीय वर्ष में यदि कभी ऐसा लगे कि जो प्रावधान बजट में किया गया है, वह अपर्याप्त है या किसी नए काम पर खर्च करना आवश्यक है, जिसका बजट में प्रावधान नहीं है तो ग्राम विकास समिति एक पूरक बजट बनाकर उसे विचारार्थ और स्वीकृति के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। ग्राम सभा उस पर विचार कर, पन्द्रह दिनों के अन्दर आवश्यक परिवर्तन के साथ या बिना किसी परिवर्तन के ग्राम विकास समिति को लौटा देगी।
- बजट या पूरक बजट विहित प्रपत्र में बनता है जिसमें आय और व्यय का प्रत्येक मद को अलग–अलग दिखाया जाता है।
- बजट में विभिन्न मदों में खर्च के अलग–अलग स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साथ ही, ग्राम सभा के लेखा संधारण में शीर्ष विशेष का प्रयोग ही सभी जगह होना है।

ग्राम–कोष संसाधरण नियम

चूंकि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम

स्वराज अधिनियम 1993 में ग्राम कोष का भी प्रावधान है, इसलिए इसके संचालन के लिए भी, अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा (ग्राम कोष का संधारण नियम) 2001, नामक नियम बनाया गया है। ग्राम कोष के निम्नलिखित अंग हैं:

- अन्न कोष
- श्रम कोष
- वस्तु कोष
- नगद कोष

निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय ग्राम सभा की निधि में रखी जाएगी:

(क) ग्राम सभा द्वारा लगाए गए कर,

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा प्राप्त राशि,

(ग) ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त राशि – जिसमें भू–राजस्व और उपकर, चराई शुल्क और शाला भवन उपकर भी शामिल होंगे,

(घ) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, और

(ङ) दान

ग्राम सभा के कोषों का संचालन निम्न प्रकार से होगा:

अन्न कोष : प्रत्येक ग्राम सभा का अपना अन्न कोष होगा जिसमें ग्राम सभा क्षेत्र के भूमिधारियों से, अंशदान के रूप में अन्न लिया जाएगा। अन्न किसी प्रकार का हो सकता है और अंशदान की दर क्या होगी, यह ग्राम सभा तय करेगी। कोष में जमा हुए अन्न का उपयोग विकास कार्यों एवं जरूरतमन्द लोगों को कर्ज देने के रूप में किया जाएगा। एक व्यक्ति को कितना अन्न–ऋण दिया जाए अथवा किसी विकास कार्य के लिए कोष से कितना अन्न–निकाला जाए इसकी सीमा ग्राम सभा तय करेगी। आपात स्थिति में ग्राम–सभा की स्वीकृति की प्रत्याशा में, ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष (सरपंच) 50 किलो तक अन्न किसी को दे सकता है। कोष में जमा अन्न कोषाध्यक्ष के पास रहेगा जो उसे सुरक्षित रूप में रखने की व्यवस्था करेंगे। शेष का मासिक और वार्षिक लेखा (विहित प्रपत्र में) रखा जाएगा।

ऋण अदायगी की किश्तें और ब्याज की दर ग्राम सभा तय करेगी और ब्याज अन्न या नगद किसी रूप में भी लिया जा सकेगा। यदि अन्न खराब हो जाए या कर्ज की वापसी नहीं हो सके तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। ऋण और उसकी वसूली का हिसाब, एक अलग रजिस्टर में रखा जायेगा और मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट में उनका रुपये में कितना मूल्य हुआ, वह उस समय के बाजार–भाव के अनुसार लिखा लिया जायेगा।

श्रम कोष : स्वेच्छा से किये गये श्रम से श्रम कोष बनेगा और ग्राम सभा इसे सुनिश्चित करेगी कि किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं लिया जाए, न बाल श्रम का उपयोग हो। प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर श्रम–दिवस की गणना कर, किसने कितने मूल्य का श्रम किया, इसका हिसाब कोषाध्यक्ष द्वारा विहित प्रपत्र में रखा जायेगा।

वस्तु कोष : वस्तु कोष में ग्रामवासियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त वस्तु भी लिया जा सकेगा और उसका हिसाब–किताब भी विहित प्रपत्र में रहेगा। वस्तु विशेष का क्या मूल्य हुआ, यह वस्तु की स्थानीय कीमत के आधार पर तय होगा ओर ग्राम सभा की स्वीकृति से उसका उपयोग किया जाएगा। व्यक्ति विशेष के ट्रैक्टर, ट्राली, नलकूप आदि को भी, ग्राम समिति के अस्थायी उपयोग के लिए, वस्तु कोष में अस्थायी रूप में लिया जा सकेगा।

नगद कोष : ग्राम–सभा, नगद रूप में प्राप्त सभी, राशियों को सरकार के द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेश के अनुसार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर के बचत–खाते में रखेगी। उसमें से कोई भी राशि कोषाध्यक्ष और ग्राम विकास समिति के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक द्वारा ही निकाली जायेगी और वह भी तब जब उसकी तुरंत जरूरत हो। एक काम के लिए अधिक से अधिक कितनी राशि निकाली जा सकेगी, इसका निर्णय ग्राम–विकास समिति करेगी। उस राशि में से यदि कुछ रुपये नहीं खर्च हुए हों तो पांच सौ रुपये तक की राशि कोषाध्यक्ष के पास, उतने समय के लिए रख सकती है जैसा ग्राम सभा निश्चित करे और यदि उस समय तक वह खर्च नहीं हो सके तो उसे नगद कोष, में वापस रख दिया जायेगा। दिन–प्रति दिन के छोटे–मोटे कामों के खर्च के लिए विकास समिति द्वारा निश्चित किया हुआ एक स्थायी इम्प्रेस्ट रहेगा। सभी नगद खर्चों का हिसाब एक रजिस्टर में लिखा जायेगा।

ग्राम सभा की आमदनी और खर्च का हिसाब–किताब रजिस्टरों में अलग–अलग रखा जाएगा जैसे, अन्न कोष का मासिक और वार्षिक हिसाब, उस कोष से दिए गए ऋण और उसकी वसूली, श्रम कोष, वस्तु कोष, आमदनी और खर्च का लेखा सभी अलग–अलग रजिस्टरों में रखा जाएगा।

वैकल्पिक कर और शुल्क

कर और शुल्क लगाने के लिए अलग नियम बने हैं – अनिवार्य कर के लिए एक और वैकल्पिक कर और शुल्क के लिए दूसरा।

अनिवार्य कर : जमीन, मकान और निजी शौचालयों की सफाई, रोशनी और रोजगार पर कर अनिवार्य रूप से लगाना है और उसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित है। वैकल्पिक कर और शुल्क पर अलग से नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार कर और शुल्क के प्रस्ताव ग्राम–सभा की बैठक में रखे जाएंगे। एक अनुसूची में करों और शुल्कों की तालिका दी गई है जिसमें उनकी दर अधिकतम सीमा निर्धारित है। जैसे सवारी में काम आने वाले या गाड़ी खींचने वाले जानवरों के लिए (घोड़ा, बैल आदि) अधिक सीमा 10 रुपये प्रति बैल है, कुत्ते के लिए दो रुपये, सराय–धर्मशाला के उपयोग के लिए तीस पैसे से लेकर आठ रुपये तक है।

छह से बारह हजार के पूंजी–मूल्य के मकानों पर प्रत्येक 100 रुपये के मूल्य पर न्यूनतम कर बीस पैसे हैं, और अधिकतम 30 पैसे, उससे अधिक मूल्य के मकानों पर भी कर की न्यूनतम और अधिकतम सीमा वही है।

व्यापार व आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय पर कर की भी न्यूनतम और अधिकतम सीमा निश्चित है। ग्यारह से 15000 रुपये तक की आमदनी वाले व्यक्ति को 100

से 200 रुपये वार्षिक कर देना होता है। इसी प्रकार के दूसरे स्लैब बने हुए हैं और अन्तिम स्लैब 50 हजार से अधिक आमदनी वालों का है, जिसकी न्यूनतम सीमा 650 रुपये और अधिकतम 1400 रुपये है। दस हजार रुपये तक की आमदनी वाले कर मुक्त हैं।

चूंकि ये कर अनिवार्य हैं, अतएव उन्हें लगाना तो है ही। ग्राम सभा उपरोक्त सीमाओं के भीतर दर तय करती है। उसके पहले लोगों की सुनाई भी की जाती है, उसकी आपत्तियों पर, (यदि किसी दर पर किसी को आपत्ति हो) विचार किया जाता है। यह सब एक समय–सीमा के भीतर करना होता है।

निजी शौचालय पर कर तभी लगेगा जब ग्राम सभा उसकी सफाई की व्यवस्था करेगी। यही बात रोशनी के संबंध में भी है। यदि ग्राम–सभा सार्वजनिक रोशनी का प्रबन्ध करती है तो कर सभी मकानों पर उसके पूंजी–मूल्य (कैपिटल वैल्यू) के आधार पर लगेगा। किन्तु ये कर वैसी धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं पर नहीं लगेंगे जो कोई किराया वसूल नहीं करती हो।

करों के लगाने की प्रक्रिया समान है – कर लगाने का प्रस्ताव, उस पर लोगों की सलाह लेना, यदि कोई आपत्ति आए तो उस पर विचार करना और इसके बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेकर दर निर्धारित करना। व्यापारियों और अन्य व्यावसायियों को अग्रिम कर देना होता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार नियम बहुत विस्तार से बने हैं। उनका पालन किस रूप में और कहां तक होता है इसका मूल्यांकन तो कुछ समय के बाद ही हो सकेगा। यों काम–काज की जो प्रक्रियाएं बनी हैं, उनसे कागजी काम बढ़ जाएगा और प्रत्येक समिति का सचिव या ग्राम पंचायत का ही सचिव संभव है, अपेक्षित रूप में कागजातों/फाइलों को रखने में सक्षम न हो। वैसी स्थिति में अंकेक्षण के समय आपत्तियां उठाई जा सकती हैं और ग्राम सभा दिक्कत में पड़ सकती है।

अधिनियम और नियमों से जो चित्र उभरा है उसका सबसे सकारात्मक पक्ष है, समाज के सभी वर्गों की ग्राम–प्रशासन में भागीदारी। सभी काम समितियों के माध्यम से होंगे और सभी समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाएं भी रहेंगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आने के अतिरिक्त सामाजिक समता बढ़ेगी और गांव के सामाजिक जीवन में नवीनता आएगी। साथ ही ग्राम स्वराज के माध्यम से नागरिकों का प्रशासन–संचालन के विभिन्न पक्षों का अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा जिसके आगे चलकर वे गुरुतर दायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकेंगे और अपने दायित्वों के क्षेत्र में स्वस्थ नेतृत्व दे सकेंगे। मगर इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है। केवल पंचायत के सदस्यों का ही नहीं, ग्राम–सभा के सदस्यों का भी गहन प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि उससे न केवल नियमों, अधिकारों आदि की जानकारी हो, बल्कि लोगों की कार्य–क्षमता भी बढ़े। उनके रोजगार के रास्ते खुलें, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना जागृत हो और गांव उनका है और गांव को उन्हें बनाना है, यह संकल्प–शक्ति उनमें पनपे, बढ़े। इसलिए प्रशिक्षण का कार्य भी उतनी ही तत्परता से प्रारंभ करना होगा, जितनी दृढ़ता और शीघ्रता से सरकार ने अधिनियम और नियम बनाये।

ग्राम–स्वराज एक आदर्श है, जिसे गांधीजी ने लगभग एक शताब्दी पूर्व देश के नव–निर्माण के लिए देशवासियों के समक्ष रखा। उसे आज के समय के अनुकूल आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए साकार रूप देना, न केवल सरकार की बल्कि राज्य के सभी बुद्धिजीवियों, समाज सेवी संस्थाओं एवं सभी वर्ग के लोगों की एक अनुपम उपलब्धि होगी। ❑

(पृष्ठ 9 का शेष) **जयपुर जिले में ग्राम सभाएं : जनसहभागिता.....**

कारण भी लोग ग्राम सभाओं के बारे में अनभिज्ञ हैं। सरपंच ग्राम सभा की सूचना ऐसे स्थानों पर लगा देते हैं जहां लोग जाते ही नहीं। ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए प्रचार की आवश्यकता है।

ग्राम सभा को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम जरूरी हैं

ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले इसके व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। सरकार को ग्राम सभा के प्रचार–प्रसार के लिए कई ठोस कदम उठाने चाहिए। ग्राम सभा की कार्यवाही के लिए सरपंच को इस बात के दिशा–निर्देश की जरूरत है कि वह ग्राम सभा का व्यापक प्रचार–प्रसार करें। गांव के लोगों को मालूम होना चाहिए वे सभी बालिग ग्राम सभा के सदस्य हैं और ग्राम सभा की बैठक में भाग लेकर वे अपने हित के बारे में विचार–विमर्श कर सकते हैं। लोगों को अपने अधिकार और शक्तियों के बारे में सही जानकारी हो। साथ ही शिक्षा का स्तर भी सुधारना होगा। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक ग्राम सभा को सफल बनाने की कामना नहीं कर सकते। महिलाओं को रूढ़िगत प्रथाओं को त्यागना होगा जैसे घूंघट प्रथा तथा गांव के लोगों के सामने बोलने से कतराना, ग्रामीण जन दलीय गुटबाजी से ऊपर उठकर ग्राम सभा में रचनात्मक सहयोग करें।

साथ ही साथ ग्राम सभा पर व्यापक शोध कार्य होने चाहिए। सरकार को शोध छात्रों का सहयोग करना चाहिए जिससे कि वे ग्राम सभाओं के विभिन्न अध्यायों पर शोधपरक दृष्टि डाल सकें एवं इनके सक्रिय संचालन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान सुझा सकें।

ग्राम सभा और पंचायतों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में स्वैच्छिक संगठनों की अहम भूमिका की जरूरत है। ये संस्थाएं लोगों की कानूनी जानकारी, प्रशिक्षण आदि देने के साथ–साथ उनको संगठित कर ग्राम सभा को सशक्त बना सकते हैं।

ग्राम सुल्तानपुरा, पोष्ट–बांसा,
वाया– सामोद, जिला जयपुर
(राजस्थान)–303806

बाड़मेर – राहत और सार्थक विकास के इंतजार में रेगिस्तान के गांव

भारत डोगरा

हाल ही में आई वर्षा से बुरी तरह सूखाग्रस्त राजस्थान के बाड़मेर जिले को कुछ राहत मिली है। जून के अन्तिम दिनों में हुई वर्षा से पहले यहां सूखे की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जल संकट भी चरम सीमा पर था। इन दिनों यहां की राहत और विकास की जरूरतों को समझने के लिए लेखक ने बाड़मेर जिले के अनेक गांवों का दौरा किया तथा अनेक गांववासियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। भारत–पाक सीमा से लगे कुम्हारों की टीबा गांव में जब हम पहुंचे तो वहां भीषण गर्मी के बीच पानी की इतनी कमी देखी कि किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। यहां के निवासियों ने बताया कि पंद्रह दिन में केवल एक बार उन्हें नहाने का अवसर मिलता है। नहाते समय एक बर्तन इस तरह पास में रखा जाता है कि मैला पानी इसमें एकत्र होता जाए और बाद में इस पानी को पशुओं को पिलाया जा सके।

इस गांव में तथा आस–पास के अनेक गांवों में कुछ समय पहले महिलाओं के रक्त की जांच की गई तो पाया गया कि अनेक महिलाओं के रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। अधिकांश महिलाओं का हेमोग्लोबिन 6 और 8 के बीच पाया गया। ऐसी कुछ महिलाओं से पूछने पर पता चला कि दिन भर में दो बाजरे की रोटी मात्र मिर्च के साथ खाने के अतिरिक्त उनके पोषण का और कोई स्रोत नहीं है।

भीलों का तला (पहली बस्ती) में भी पानी की बड़ी कमी है। यहां के एक कुएं का पानी पीकर अनेक लोगों के घुटनों में सूजन आ गई है। यहां के कुछ निवासियों और पास के स्वास्थ्यकर्मियों को शक है कि इसमें फ्लोराईड की मात्रा अधिक है।

श्योर सामाजिक संस्था द्वारा पास ही में चलाए जा रहे एक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा आयोजित शिविरों से पता चला है कि आसपास के गांवों में तपेदिक और महिला रोगों का प्रकोप भी बहुत अधिक है। अकाल राहत कार्यों पर जाने वाले लोगों का स्वास्थ्य पहले से किस हालत में है इसको ध्यान में रखते हुए उनसे मानवीय व्यवहार करना बहुत जरूरी है।

यहां का एक मुख्य विरोधाभास यह है कि लोगों को राशन की दुकान से बाजरा चाहिए, पर सरकार गेहूं उपलब्ध करवाती है। क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक यहां बाजरा अधिक सुविधाजनक और पौष्टिक माना जाता है।

वैसे तो इनमें से लगभग सभी गांवों में बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार की तलाश में बाहर जा चुके हैं, पर भीलों का तला (दूसरी बस्ती) में पलायन की स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहां के कुल 59 परिवारों में से 43 परिवार तो पूरे के पूरे बाहर जा चुके हैं। शेष 16 परिवारों के भी पुरुष बाहर जा चुके हैं। बस इस गांव में थोड़े से वृद्ध, महिलाएं व बच्चे ही बचे हैं। उन्हें भी पानी की कमी के घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इन सभी गांवों में, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों से बात करने पर यह शिकायत मिली कि अकाल राहत कार्य पर अभी तक उन्हें काम नहीं मिला है। दूसरी ओर अधिकारियों ने कहा कि अब अकाल राहत कार्य को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ये सभी गांव बाड़मेर जिले के चौहटन ब्लाक में हैं। यह राज्य के सबसे बुरी तरह अकाल–प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। अतः यहां प्रशासन से मई के आरंभ तक और व्यापक अकाल राहत कार्यों की उम्मीद थी। हां, कुछ गांवों में जैसे भीलों का तला (पहली आबादी) में रेड क्रास सोसायटी द्वारा दिया गया अनाज, दालें और तेल अधिकारियों ने अवश्य पहुंचाया है जिससे अधिक जरूरतमंद परिवारों को कुछ राहत मिली है। फिर भी इस लेखक ने लगभग सभी गांवों में ऐसे असहाय परिवार देखे जिनके लिए कोई आजीविका संभव नहीं है और उन तक कोई सरकारी सहायता भी नहीं पहुंची थी।

सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से अनेक पशु–शिविर यहां लगाए गए हैं जहां गाय–बैल को रखा जा रहा है तथा निशुल्क चारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। पिछले वर्ष यहां बड़ी संख्या में पशु मर गए थे। इस वर्ष पशु शिविरों से कुछ राहत मिली है। बहुत दूर–दूर की जगहों से चारा मंगाया जा रहा है, उसके लिए ट्रकों और विशेष रेल की व्यवस्था की जा रही है।

राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने का लाभ हम अकाल से बुरी तरह ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहां का एक मुख्य विरोधाभास यह है कि लोगों को राशन की दुकान से बाजरा चाहिए, पर सरकार गेहूं उपलब्ध करवाती है। क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक यहां बाजरा अधिक सुविधाजनक और पौष्टिक माना जाता है। स्वाद की दृष्टि से भी लोग इसी को पसंद करते हैं और यह गेहूं की अपेक्षा कहीं सस्ता भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजरे की दो रोटी खाकर पेट भरा जैसे लगता है, जबकि गेहूं की ज्यादा

रोटियों की जरूरत पड़ती है। बाजरे की ठंडी व बासी रोटी भी ठीक लगती है, जबकि गेहूं की रोटी ताजी और गर्म मिले तो अच्छी रहती है। सरकार चाहे तो वह जितना खर्च सस्ती गेहूं उपलब्ध करवाने पर करती है, उतने ही खर्च में वह डेढ से दो गुना बाजरा उपलब्ध करवा सकती है।

गांवों में लोगों ने शिकायत की कि जहां तक पाइप लाइन बिछी है और ट्यूबवेल से पानी पहुंचना चाहिए वहां भी पानी बहुत कम पहुंच रहा है। इन स्थानों पर भी गांववासियों को दो रुपये प्रति मटके के हिसाब से पानी खरीदना पड़ रहा है। नवातला जेटमल गांव में महिलाओं ने बताया कि उन्हें भी पानी खरीदना पड़ता है। कुम्हारों का टीबा में तो पांच रुपये प्रति मटके के हिसाब से पानी खरीदना पड़ रहा है क्योंकि यहां ऊंटगाड़ी पर पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। यहां सरकारी टैंकर पंद्रह दिन में मात्र एक बार आ रहा था। पिछले वर्ष पानी के टैंकर की व्यवस्था कुछ बेहतर थी पर इस बार स्वैच्छिक संस्थाओं या सरकार दोनों के टैंकर पहले की अपेक्षा कम पहुंच रहे हैं। कम से कम मई के आरंभिक दिनों तक तो यही स्थिति थी। इस ओर संबंधित सरकारी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने पर पहले तो उन्होंने यह मानने से ही इंकार कर दिया कि कुछ गांवों में लोग प्रति मटका इतना खर्च कर रहे हैं, पर बाद में इन गांवों में टैंकर व्यवस्था बेहतर करने का आश्वासन दिया।

अकाल का असर अमीर–गरीब पर अलग–अलग पड़ता है। जहां गरीब लोग कर्ज में बुरी तरह पिसते हैं वहां कुछ अमीर लोगों को ब्याज से आय बढ़ाने का अवसर मिलता है। यहां कर्ज प्रति माह 5 रुपये की ऊंची दर पर मिलता है तथा वह भी चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। इस तरह ब्याज तेजी से बढ़ता है और उसे चुकाना छोटे किसान या मजदूर के लिए कठिन हो जाता है। इस स्थिति में कुछ मजदूरों से कहा जाता है कि उन्हें कर्ज देने वाले बड़े भूस्वामी के खेत या घर पर पहले 'हाली' बनकर कार्य करना पड़ेगा, यह जिम्मेदारी निभाने के बाद ही वह अपना कुछ कार्य करने को स्वतंत्र होगा। इस तरह बंधक मजदूरी से कुछ मिलती–जुलती व्यवस्था का आरंभ अकाल के दिनों की विकट स्थिति में कुछ गांवों में हो रहा है। कुछ गांवों में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की जमीन के हस्तांतरण पर लगी पाबंदी के बावजूद स्टाम्प पेपर पर उनके हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं व कर्ज के बदले में बड़ा भूस्वामी उसे अपनी भूमि की तरह ही जोतने लगता है। एक अन्य व्यवस्था यह है कि जब अकाल की मार के कारण छोटे किसान के पास बीज भी नहीं बचते हैं तो बड़ा भूस्वामी उसे बीज देकर अपने ट्रैक्टर से जुताई भी करवा देता है। इस मेहरबानी के बदले में जब फसल तैयार होती है तो लगभग आधी फसल बड़े भूस्वामी के पास पहुंच जाती है। इस तरह फसल होने के बाद भी कमजोर वर्ग की गरीबी और अभाव बने रहते हैं।

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और कमजोर वर्ग की महिलाओं ने कहा कि कमजोर वर्ग के पुरुषों में भी शराब का चलन पिछले कुछ वर्षों में यहां के सामन्ती तत्वों ने जान–बूझकर बढ़वाया है तकि वे उनहें नियंत्रण में रख सकें। उन्होने बताया कि शराब के बढ़ते चलन से हुए पहले के धनी लोग (शराब की बिक्री से जुड़ने के कारण) अब और अमीर हो रहे हैं जबकि बहुत से गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। महिलाओं में शराब के विरोध की जोरदार भावना है।

यहां हुए स्वैच्छिक संस्थाओं ने कशीदे की दस्तकारी को बढ़ाया है जिसमें महिलाएं अपने घर में ही एक दिन में चार घंटे काम कर पंद्रह से बीस रुपये कमा लेती हैं। हालांकि यह आय कम है पर कई घरों में एक किलोग्राम बाजरा और एक मटकी पानी खरीदने में यही आय काम आ रही है।

श्योर सामाजिक संस्था के सेक्रेटरी व क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मघराज जैन ने बताया कि एक समय अपनी पशु सम्पदा के बल पर यह क्षेत्र बहुत समृद्ध था। बाड़मेर के स्टेशन से प्रतिदिन वैगन भर कर घी बाहर भेजा जाता था। बहुत अच्छी नस्ल की गायों के पालन–पोषण में यहां के मुस्लिम पशुपालक हिन्दुओं में भी एक कदम आगे ही थे। हिन्दू–मुस्लिम मिल–जुल कर पशुधन की रक्षा व विकास के लिए गोचर व वृक्षों की रक्षा करते थे।

यहां के स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यों से जुड़े डा. केसरीमल के अनुसार यहां के खेत जब खाली होते थे तब उनमें अनेक पौष्टिक खाद्य देने वाले पौधे स्वयं उग जाते थे, पर ट्रैक्टरों के आगमन के बाद ये जड़ से ही उखड़ गए। औषधि पौधों के लिए यह क्षेत्र एक समय विख्यात था, पर अब इनकी संख्या कम हो गई है। जहां जल संरक्षण का आधार तालाब थे, पर पाईपलाइन और ट्यूबवेल कुछ जगहों पर आने के बाद तालाबों की उपेक्षा हुई। कई जगह तालाबों तथा उनके जल ग्रहण क्षेत्र पर असरदार लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। इस तरह धीरे–धीरे यहां की समृद्ध व्यवस्था के आधार धीरे–धीरे टूटते गए।

इस क्षेत्र में कई सार्थक कार्यों में जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता लता कछवाहा के अनुसार यदि परस्पर एकता और लगन से कार्य किया जाए तो कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी समृद्ध जीवन के जो उपाय हमारे पूर्वजों ने खोज निकाले थे, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है व आगे और प्रगति भी की जा सकती है। जहां प्रकृति विकट लगती है, वहां वह हमें कुछ उपहार भी देती है। प्रकृति के इन उपहारों को पहचानना और इनकी रक्षा करना जरूरी है। इस आधार पर ही हमारे पूर्वज इस रेगिस्तान में कितने ही अच्छे तालाब बना सके व वर्षा की हर बूंद के संरक्षण का प्रयास कर सके। उधर ओरन के माध्यम से रेगिस्तान में हरियाली के टापू बना सके, अपने लिए चारे की व्यवस्था कर सके व पशु–पक्षियों के लिए आश्रय बना सके। आजीविका की कठिन परिस्थितियों में भी यहां के अनेक गांवों में पशु–पक्षियों के संरक्षण के अनुकरणीय उदाहरण मिलते हैं। आज आजीविका और पर्यावरण का जो गहरा संकट बाड़मेर में चारों ओर दिखाई देता है, उससे बाहर निकलना व न्यायसंगत आजीविका के साथ पर्यावरण की रक्षा करना निश्चय ही सब लोगों के सामूहिक प्रयास से संभव है।

सी. 27, रक्षा कुंज, पश्चिम विहार
नई दिल्ली – 110063

सशक्त नारी सशक्त समाज
महिला सशक्तिकरण वर्ष
Women's Empowerment Year 2001

महिला सशक्तिकरण वर्ष में

शत्-शत् नमन संविधान निर्माताओं को
जिन्होंने सक्षम किया राष्ट्र को
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए

विभिन्न संवैधानिक गारंटियां देकर जैसे

कानूनन बराबरी

लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं

रोजगार के समान अवसर

समान काम के लिए समान वेतन

कामकाज का उपयुक्त और मानवीय वातावरण और

मातृत्व लाभ

पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण

15 अगस्त, 2001—55वाँ स्वतंत्रता दिवस

davp 2001/225

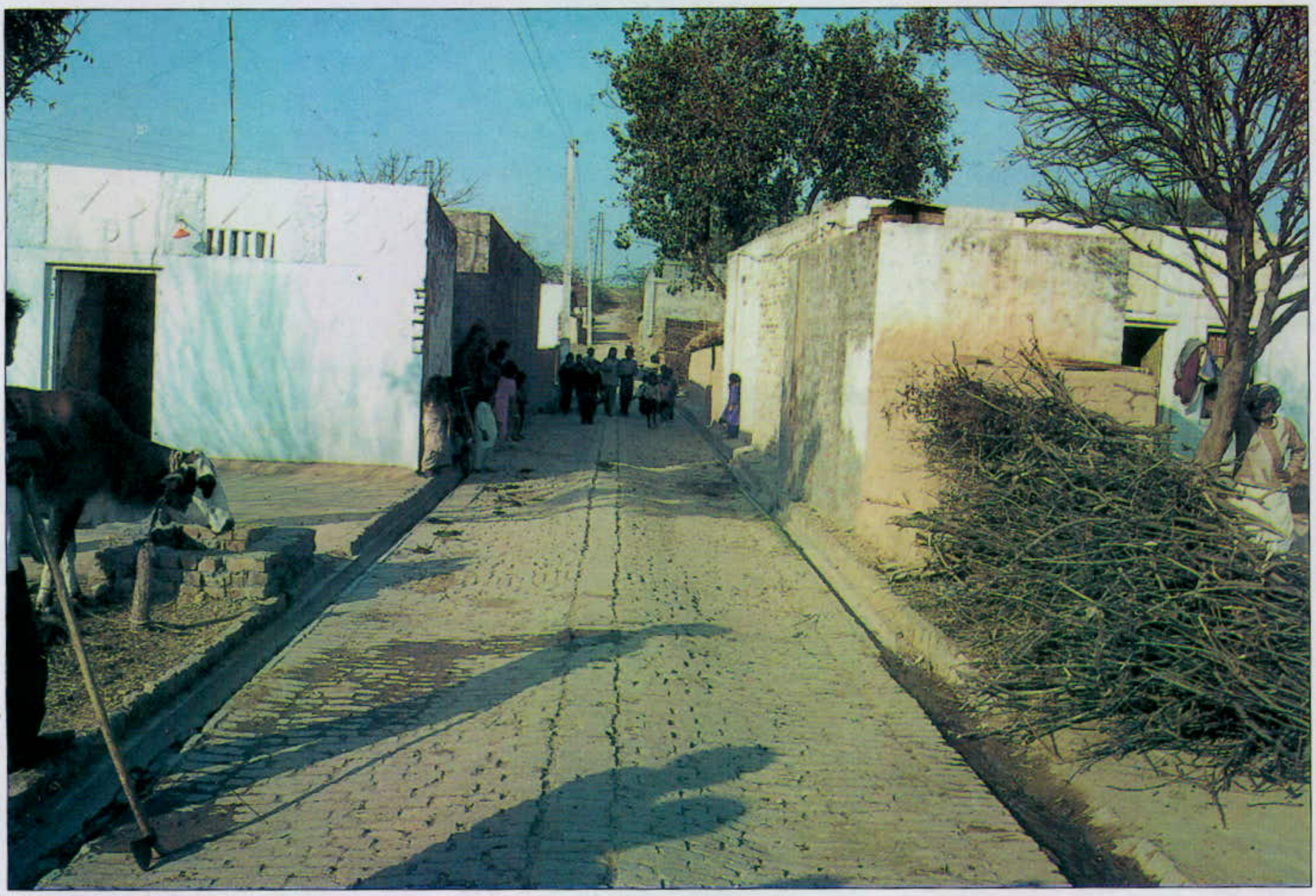

ग्रामीण बेरोजगारी एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

डा. एस.के. वार्ष्णेय

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। देश के आर्थिक नीति–निर्धारकों का शुरू से ही यह मत रहा है कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए इसके सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी भारत की एक प्रमुख समस्या उसके एक व्यापक जनसमूह में व्याप्त बेरोजगारी की है। ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या अधिक व्यापक और जटिल है। समाज में उत्पादक रोजगार में कमी के कारण लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। वे अल्प–पोषण एवं कुपोषण के कारण विभिन्न रोगों के शिकार बन जाते हैं। उनकी कार्य–क्षमता कम हो जाती है जिससे आय प्राप्ति की संभावना और भी कम हो जाती है। बेरोजगार व्यक्ति स्वयं तो कुंठा और तनाव का जीवन व्यतीत करता है, वह सामाजिक उत्पादन में कोई योगदान नहीं करता और सामाजिक उत्पादन का एक अंश उपभोग करता है। इसमें समाज में प्रति व्यक्ति उत्पाद उपलब्धता कम हो जाती है।

दिन-प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि द्वारा उपलब्ध रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, दूसरी ओर ग्रामीण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को शहरों में आधारित उद्योगों के संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना भी अत्यंत सीमित है। कृषि क्षेत्र में हो रहे यन्त्रीकरण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर जाते हैं। कृषि जोतों का औसत आकार निरन्तर कम हो रहा है जिसके कारण तीन–चौथाई से अधिक काश्तकारों को अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिससे कि वे अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकें।

ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या

देश में बेरोजगारों की कितनी संख्या है? इस सन्दर्भ में समयबद्ध ब्यौरेबार आंकड़े उपलब्ध

* प्रवक्ता वाणिज्य – राजकीय महाविद्यालय अतरौली (अलीगढ़)

नहीं हैं, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या को मालूम करना तो बहुत कठिन कार्य है, इस बात का पता लगाना लगभग असंभव ही है कि कृषि क्षेत्र में कितने लोगों की आवश्यकता है? कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या फसल, पानी, खाद आदि के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर करती है कि खेती का काम किस ढंग से किया जाता है। कृषि में प्रमुख रूप से कार्य करने वाले परिवार के सदस्य होते हैं जिनमें बच्चे, बुजुर्ग एवं जवान हर आयु वर्ग के लोग काम करते हैं। कृषि क्षेत्र में कार्य मौसम के अनुसार भी होता है। वर्ष के कुछ भाग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो शेष भाग में कम। इसलिए जो श्रमिक एक समय में उत्पादन दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वे किसी अन्य समय में आवश्यक नहीं समझे जाते।

प्रथम कृषि श्रम जांच समिति के अनुसार 1950–1951 में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 28 लाख थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया था कि इस अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में 72 लाख की वृद्धि होगी। इस योजना के अंत तक अविशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 90 लाख हो गई तथा तीसरी योजना के अन्त में बढ़कर यह 96 लाख हो गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1966 में ग्रामीण क्षेत्र में अविशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 70 लाख थी। भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए श्री बी. भगवती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1973 में दी। समिति ने बेरोजगारी का अनुमान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उन्नीसवें दौर के आंकड़ों का प्रयोग कर यह अनुमान लगाया कि ग्रामीण क्षेत्र में 92 लाख बरोजगार थे, जिसमें से 78.2 लाख पूर्ण बेरोजगार थे। 1978–1983 के योजना प्रलेख में यह उल्लेख किया गया कि 1973 में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख थी, जो 1978 में बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख हो गई।

छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में अविशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 78 लाख थी तथा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में यह संख्या वर्ष 1980 में 1 करोड़ 14 लाख थी, जिसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे। सातवीं योजना के अंत में अविशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 82 लाख थी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में बढ़कर 112 लाख हो गई। नवीं योजना के अनुमान के अनुसार 1997 में 75 लाख व्यक्ति खुली बेरोजगारी के शिकार थे। 1997 में अविशिष्ट बेरोजगारों की संख्या जो 70 लाख थी, 2002 में भी 70 लाख ही बनी रहेगी। श्रम शक्ति में 2.48 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर से 5.24 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति श्रम शक्ति में शामिल हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत होगा, कुल 5.01 करोड़ रोजगार अवसरों में 2.42 करोड़ रोजगार कृषि द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

भारत सरकार ने बेरोजगारी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए। पं. जवाहर लाल नेहरू की प्रथम जन्मशती के अवसर पर 1989 में 28 अप्रैल को जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई और इसके साथ ही पहले से प्रारम्भ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोनों का इसमें विलय कर दिया गया। बुनियादी रूप से इस योजना के अन्तर्गत गरीबों को रोजगार दिया जाता है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, वानिकी, सड़कें, छोटी सिंचाई योजना, भू-संरक्षण आदि का कार्य कर सकें।

1999 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर ग्रामीण आधारभूत ढांचा तैयार करना है। इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें सीधे ग्राम पंचायतों को निधियां जारी करती हैं। ग्राम पंचायतें वार्षिक कार्य–योजना बनाकर ग्राम सभा के अनुमोदन से इसका कार्यान्वयन करती हैं। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के अनुमोदन से तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन के बिना 50,000 रुपये तक के कार्यों/योजनाओं को शुरू करा सकती हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की 22.5 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों पर खर्च की जाती हैं। योजना के अंतर्गत मजदूरी या तो राज्यों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी होती है अथवा निर्धारित उच्चतम मजदूरी होती है। ऐसे सभी कार्यों को क्षेत्र/लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किया जा सकता है जिनसे स्थायी उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है।

ग्रामीण ढांचा सृजित करते समय जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित 60:40 के मजदूरी–सामग्री अनुपात में समुचित रूप से रियायत दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है न केवल सामग्री–उन्मुख कार्य ही शुरू किए जाएं बल्कि इसके साथ ही कम लागत वाली प्रौद्योगिकी वाले श्रम गहन कार्यों को शुरू करने के प्रयास भी किए जाएं।

निःसन्देह देश में ग्रामीण बेरोजगारी की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसका मूल कारण यह है कि जिस दर से देश में रोजगार बढ़ रहा है, उससे कहीं तेजी से श्रमिक संख्या बढ़ रही है। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान रोजगार प्रेरित आर्थिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी अस्थायी समाधान के रूप में ग्रामीण वर्ग के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपाय करना आवश्यक है। यदि लोगों को जहां वे रहते हैं, कमाने के पर्याप्त अवसर मिल जाएं तो वे शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। संगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति को खपाने की क्षमता काफी कम है, इसलिए श्रम शक्ति को खपाने के लिए कृषि और लघु उद्योगों में नई सम्भावनाओं का विकास व विस्तार करना होगा, जिससे काम के अवसर पैदा हो सकें तथा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। ❑

सुनिश्चत रोजगार योजना : एक समीक्षा

सिमरन कौर

देश में समग्र विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है, कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। देश की आबादी दिनों–दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी की समस्या सुरसा के मुंह की तरह फैलती जा रही है, जिसकी वजह से विकास के तमाम प्रयासों पर पानी फिर रहा है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक योजना 2 अक्टूबर 1993 को देश के 257 जिलों के 1,778 प्रखण्डों में शुरू की गई थी। ये प्रचण्ड सूखे की आशंका वाले जिले जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी इलाकों से चुने गए थे। इस उद्देश्य से चलाई गई सुनिश्चित रोजगार योजना अब देश के 5,448 प्रखण्डों में (ब्लाकों में) चलाई जा रही है। एक अप्रैल 1999 से सुनिश्चित रोजगार योजना का फिर से गठन किया गया और तब से इसे मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का रूप दिया गया।

इस रोजगार का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव के गरीब लोगों को ऐसे समय मजदूरी, उपलब्ध कराई जाए जिन दिनों उन क्षेत्रों में रोजगार की बहुत कमी की स्थिति रहती है।

इस योजना के साथ–साथ इन क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियां विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इससे उन इलाकों में लोगों को स्थायी रूप से रोजगार मिलने के साथ–साथ स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन भी होता रहता है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत दिहाड़ी पर लगे ग्रामीण लोग

सुनिश्चित रोजगौर योजना किसी वर्ग विशेष के लिए ही नहीं है, बल्कि गांवों के उन सभी गरीब लोगों के लिए है, जिनको वास्तव में रोजगार की जरूरत है। इस कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वे लोग आते हैं, जो किसी प्रकार कुशल रोजगार नहीं कर पाते।

इस रोजगार के लक्ष्य समूह के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए जो धन–राशि आवंटित की जाती है उसका लगभग 70 प्रतिशत भाग पंचायत समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। शेष 30 प्रतिशत धन राशि जिला स्तर पर आवंटित करने के उद्देश्य से रखी जाती है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए समृद्ध क्षेत्रों के सांसदों से भी सलाह मशविरा किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत हर जरूरतमन्द परिवार के दो वयस्कों तक को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत धन–राशि जिलों के लोगों को उन क्षेत्रों की ग्रामीण आबादी के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है। संबंधित जिलों को धनराशि का 80 प्रतिशत हिस्सा सामान्य प्रक्रिया के जरिये और 20 प्रतिशत भाग प्रोत्साहन के रूप में जारी किया जाता है। यदि इन

धनराशियों का संबद्ध क्षेत्रों में उपयोग नहीं हो पाता है, तो वहां के लिए इस धन–राशि को रद्द कर देने का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रुपये में)
1993–1994	600.00
1994–1995	1200.00
1995–1996	1700.00
1996–1997	1940.00
1997–1998	1970.00
1998–1999	1990.00
1999–2000	2040.00
2000–2001	1300.00

जिन क्षेत्रों में जिला परिषदें नहीं हैं, उन इलाकों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से इस कार्यक्रम पर अमल किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिट्टी और नमी के संरक्षण, लघु सिंचाई, भूजल को बढ़ाने और पानी एकत्र करने के परम्परागत साधनों को और विकसित करने के कार्यों, गांवों से ब्लाकों और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्यों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत पुलों के निर्माण, सरकारी कार्यालयों के लिए भवन और स्कूलों तथा कालेजों के लिए भी भवन निर्माण कार्यों को नहीं किया जा सकता। धार्मिक प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण, मूर्तियां लगाने, किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने या स्वागत द्वार तथा स्मृति स्थल बनाने जैसे कार्यक्रमों के लिए भी इस योजना से धन खर्च नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण लोगों को उनकी मजदूरी का भुगतान निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जो कार्य किए जाते हैं, उन पर निगरानी रखने का भी प्रावधान किया गया है। निगरानी का कार्य राज्य, जिला और पंचायत समीतियों के स्तर पर किया जाता है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 2001–2002 के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 28 जून 2001 को केन्द्र सरकार के हिस्से से 445.1578 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा चुकी है। इसका ब्यौरा तालिका में दिया गया है। 30 अप्रैल 2001 तक केन्द्र सरकार की ओर से 113.09 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे, जबकि राज्य सरकारों ने अपने हिस्से के रूप में 10.08 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। लेकिन देखा गया है कि कई राज्य इस निर्धारित रकम का पूरा–पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान ने निर्धारित रकम से अधिक धनराशि खर्च की है लेकिन उनके अलावा अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कम रकम खर्च की है। वर्ष 2001–2002 के दौरान सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत 2351.48 लाख श्रम दिवस के रोजगार के अवसर पैदा करने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जून महीने के अन्त तक इस योजना के तहत केवल 18.81 लाख श्रम दिवस के बराबर ही रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका था। इस तरह देखा जाए तो वार्षिक लक्ष्य की मात्र 0.80 प्रतिशत तक ही यह सफलता हो पाई है। इस योजना के तहत 1,587 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और 22,690 निर्माण कार्यों पर काम चल रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान ने राष्ट्रीय औसत से अधिक सफलता हासिल की है जबकि अन्य राज्यों की स्थिति इस मामले में पीछे रही है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की गंभीर समस्या को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। वर्षा के पानी को बहकर बर्बाद हो जाने से रोकने के लिए उसे जगह–जगह जमा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे दोहरा लाभ होता है, एक तो अधिक वर्षा वाले दिनों में ज्यादा पानी बहकर नदियों में नहीं जाने पाता। जिससे बाढ़ की रोकथाम में काफी सफलता मिलती है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में जगह–जगह इकट्ठा किया गया पानी मानव उपयोग के अलावा खेतों की सिंचाई और पशुओं के उपयोग के लिए भी उपलब्ध रहता है। पंजाब में होशियारपुर में इसी तरह का प्रयास बड़े पैमाने पर किया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना के जरिये होशियारपुर जिले की उबड़–खाबड़ भूमि में सिंचाई के लिए जगह–जगह भंडारण टैंक बनाए गए हैं। इस तरह से जमा किए गए जल से इस इलाके में किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है। कटाव कम होने से इन इलाकों में वनस्पतियां भी काफी उग आई हैं। उनसे भी किसानों को अन्य प्रकार से लाभ पहुंचता है। यदि देश के अन्य भागों में भी इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं तो सुनिश्चित रोजगार योजना कई दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यक्रमों का सही अमल सुनिश्चित करने के लिए इसके विवरणों को समय–समय पर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए संबद्ध ग्राम सभा को एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिनमें श्रमिकों को उपलब्ध कार्यों और रोजगार दिवसों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिसे देखकर इसकी प्रगति के बारे में स्पष्ट जानकारी हो सके। अधिकतर योजनाएं प्रायः इसीलिए सफल नहीं हो पातीं क्योंकि उनमें कार्यों में पूरी पारदर्शिता नहीं रखी जाती। पारदर्शिता के अभाव में या विवरणों में हेरा–फेरी की वजह से कई कार्यक्रमों में इस तरह की गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं कि उन्हें पूरा करना तो दूर, बीच में ही कई तरह की समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। इन रजिस्टरों की समय–समय पर निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए और अच्छी तरह देख लेना चाहिए, कि सुनिश्चित योजना के लिए निर्धारित धन–राशि का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और जिन लोगों के लिए इसे चलाया जा रहा है उसका लाभ वास्तव में उन्हीं लोगों को मिल रहा है।

सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है लेकिन लोगों में संकल्पशक्ति की कमी के कारण इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। आवश्यकता इस बात की है, कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह और लगन पैदा की जानी चाहिए तभी यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेगा।

2001–2002 में सुनिश्चित रोजगार योजना का वित्तीय निष्पादन

लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशाषित क्षेत्र	राज्य में कुल जिले	कुल	केन्द्रीय आवंटन पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन के लिए 20 प्रतिशत	सामान्य प्रक्रिया से जारी 80 प्रतिशत	राज्य द्वारा आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	6900.16	1380.03	5520.13	2300.05	9200.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	359.98	72.00	287.98	119.99	479.97
3.	असम	23	9353.70	1870.74	7482.96	3117.90	12471.60
4.	बिहार	37	13812.55	2762.51	11050.04	4604.18	18416.73
5.	छत्तीसगढ़	16	3902.75	780.55	3122.20	1300.92	5203.67
6.	गोवा	2	15.90	3.18	12.72	5.30	21.20
7.	गुजरात	25	2597.35	519.47	2077.88	865.78	3463.13
8.	हरियाणा	19	1528.07	305.61	1222.46	509.36	2037.43
9.	हिमाचल प्रदेश	12	643.53	128.71	514.82	214.51	858.04
10.	जम्मू कश्मीर	14	796.45	159.29	637.16	265.48	1061.93
11.	झारखंड	18	8784.24	1756.85	7027.39	2928.08	11712.32
12.	कर्नाटक	27	5210.60	1042.12	4168.48	1736.87	6947.47
13.	केरल	14	2337.98	467.60	1870.38	779.33	3137.31
14.	मध्य प्रदेश	45	7560.81	1512.16	6048.65	2520.27	10081.08
15.	महाराष्ट्र	32	10300.07	2060.01	8240.06	3433.36	13733.43
16.	मणिपुर	9	627.08	125.42	501.66	209.03	836.11
17.	मेघालय	7	702.54	*	702.54	234.18	936.72
18.	मिजोरम	8	162.58	*	162.58	54.19	216.77
19.	नगालैंड	8	481.90	*	481.90	160.63	642.53
20.	उड़ीसा	30	7892.36	1578.47	6313.89	2630.79	10523.15
21.	पंजाब	17	742.62	148.52	594.10	247.54	990.16
22.	राजस्थान	32	3956.58	791.32	3165.26	1318.86	5275.44
23.	सिक्किम	1	180.02	36.00	144.02	60.01	240.03
24.	तमिलनाडु	28	6101.26	1220.25	4881.01	2033.75	8135.01
25.	त्रिपुरा	4	1132.20	226.44	905.76	377.40	1509.60
26.	उत्तर प्रदेश	70	23318.62	4663.72	18654.90	7772.87	31091.49
27.	उत्तरांचल	13	1553.76	310.75	1243.01	517.92	2071.68
28.	प. बंगाल	18	8770.78	1754.16	7016.62	2923.59	11694.37
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2	36.70	7.34	29.36	0.00	36.70
30.	दादरा और नगर हवेली	1	36.70	7.34	29.36	0.00	36.70
31.	दमन व दियु	1	1.22	0.24	0.98	0.00	1.22
32.	लक्ष द्वीप	1	2.45	0.49	1.96	0.00	2.45
33.	पांडिचेरी	1	46.49	9.30	37.19	0.00	46.49
	योग	570	129850.00	25700.60	104149.40	43242.15	173092.15

कहानी

नया आशियाना

डा. शीतांशु भारद्वाज

गंगा को लगने लगा जैसे उसके माता-पिता ने उसे सीधे ही नरक-कुंड में झोंक दिया हो। जिस परिवार में उसका विवाह किया गया है, वही नहीं, समूची झोपड़पट्टी ही निकम्मी है। दो ही दिन में वह वहां का भूगोल देख कर उन्हें अंदर तक बांच चुकी थी।

सामने ही सार्वजनिक नल पर पानी को लेकर बस्ती की महिलाओं में वही रोजमर्रा का झगड़ा हो रहा था। ऐसे में वह पानी भी भरे तो कैसे भरे? वे आपस में ऐसी भद्दी गालियां दे रही थीं कि सुनने वाला ही शर्म से पानी-पानी हो जाए।

क्यों री! किसी काली-कलूटी महिला ने उससे पूछा, उधर खड़ी-खड़ी क्या कर रही है? तू भी इस महाभारत में शामिल हो ले न! ह्यां तो ऐसे ही होवे है।

गंगा ने कुछ नहीं कहा। खाली बाल्टी लेकर वह घर चली आई। सास की आंखों में उसके लिए प्रश्न उभर आया। गंगा ने खाली बाल्टी नीचे रख दी, "नल पे तो खूब भीड़ है।"

"पानी तो भरना ही है न!" ससुर ने कोई नशीली चीज मुंह के हवाले की, "ह्यां तो रोज ही झगड़ा-फसाद होवै है। ला, मैं भर लाता हूं।"

ससुर बाल्टी लेकर नल की ओर चल दिया। गंगा वहीं बैठ गई। सास काम पर जाने की तैयारी करने लगी। भोला को भी काम पर जाना था। उसने कहा, आज मैं लेट आऊंगा।

"क्यों?" मां ने पूछा।

"मालिक के ह्यां जाऊंगा।" भोला ने बताया, "आज उनके बेटे का जन्म दिन है न!"

गंगा छूटे हुए अतीत का टुकड़ों-टुकड़ों में पुनर्भोग करने लगी। उसने कमेटी के स्कूल से पांचवी कक्षा पास की थी। उसके पिताजी कबाड़ी का काम किया करते थे। मां आसपास की बस्तियों में भांडे माजा करती थी। वे तीन भाई-बहन थे। बड़ी बहन का विवाह किसी चपरासी के साथ हुआ था। भाई किसी वर्कशाप में लगा हुआ था। माता-पिता उसी को लेकर चिंतित रहा करते थे। वह आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन मां अवरोधक बनी हुई थी। उसका एक ही तकिया कलाम हुआ करता था, लड़की जात को ज्यादे नहीं पढ़ाना चाहिए।

गंगा की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई थी। मन मारे हुई वह घर में ही रहने लगी थी। एक दिन मां ने उससे कहा था, कल से तू मेरे संग चलना। मैंने तेरे लिए किसी से काम की बात की है।

"नहीं" बाप ने कहा था, "वो कहीं नहीं जाएगी। कुछ दिन बात तो उसकी शादी हो लेगी।"

"शादी?" मां ने पूछा था, "वे लोग कहां रहते हैं? कौन हैं?"

"गंदे नाले की झोपड़पट्टी में रहते हैं। छोरा कमाऊ पूत है।" बाप ने बताया था, "म्हारी बेटी को वहां कोई तंगी नहीं होगी।"

गंगा विवाह नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने अपने मन की बात मां से कह दी थी। इस पर मां बोली थी, "तू पगलिया गई है क्या? ब्याह नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी?"

"क्यों मां!" उसने मां की ओर प्रश्न दाग दिया था, "छुटपन में ब्याह कर तुझे ही क्या मिल गया जो तू..........।"

"मेरी बात छोड़!" मां ने उसे वहीं चुप करवा दिया था, "तब ऐसा ही जमाना था। हम जो भी करेंगे तेरे भले के लिए ही करेंगे।"

और तब गंगा का विवाह इसी गंदे नाले की इस झोपड़पट्टी में कर दिया गया था। यहां झोपड़ी के नाम पर मात्र एक त्रिपाल ही टंगी हुई थी। गंगा के बाप ने उसे झोपड़ी का रूप दे दिया था। उसका ससुर गोपाल निखट्टू किस्म का जीव था। वह एक आध घंटे के लिए ही वर्कशाप जाया करता था। सास पहले मिस्त्रियों के साथ ईंट-गारा ढोया करती थी। फिर उसे छोड़ कर वह समीप की बस्तियों में भांडे-बर्तन मांजने लगी थी। पति से वह ज्यादा ही कमाया करती थी।

"क्यों री!" सास ने गंगा की तंद्रा भंग की, "आज से तू रेल पटरी पर कोयले बीन लिया करेगी?"

"अच्छा, मांजी!" गंगा ने हामी भर ली, "बीन लिया करूंगी।"

दस बजे तक वे सभी काम पर चल दिए। गंगा ने एक टोकरी ली और कोयले बीनने चल दी।

गंगा अभी रेल की पटरी पर कोयले बीन ही रही थी कि उधर एक अधेड़ महिला आ पहुंची। उसने उसे टोक दिया, "ऐ छोकरी! इधर का कोयला न बीनना!"

"क्यों?"

"ये हमारा इलाका है।" उस बुढ़िया ने धौंस दी, "ह्यां हम ही बीना करै हैं।"

"फिर मैं किधर जाऊं?" गंगा ने पूछा।

"उधर चली जा।" बुढ़िया ने हाथ से संकेत किया, "उधर जो फ्लाई ओवर है न!वहीं।"

गंगा उधर ही चल दी। कोयला बीनने के बाद वह झोपड़ी में चली आई। दोपहर के खाने पर उसका पति भी खाने के लिए घर चला आया। आते ही उसने कहा, "म्हारे भाग जाग जाएंगे। भगवान भी सबकी सुना करै हैं।"

"वो कैसे भला?" गंगा ने विस्मय से पूछा।

"हम लोगों को सरकार पच्चीस-पच्चीस गज के प्लाट दे रही है। भीला ने बताया, "ह्यां सरकार बगीचा बनवा रही है।"

"खाली प्लाट का क्या होगा?" गंगा उदास हो गई।

"अरी, उसे बेच खाएंगे।" भोला ने ठहाका लगा दिया, "कुछ नकद नारायण ही मिल जाएगा। हम लोग फिर से और कहीं झोपड़ी डाल लेंगे।"

पति की उस मानसिकता पर गंगा चुप हो आई। भोला ने पूछा, "चुप कैसे हो आई?"

"मुझे तुम्हारी अक्ल पर तरस आ रहा है।" गंगा ने गहरी सांस खींची, "तुम लोग तो कुएं के मेंढक हो। जीवन भर उसी में पड़े रहोगे।"

"अरी, बापू यही तो करते हैं।" भोला ने बताया, "ह्यां से पहले हम लोग यमुना पार रहा करते थे। वहां के बदले हमें जहांगीरपुरी में प्लाट मिला था।" बापू ने उसे बेच खाया।

"अब की ऐसा नहीं होगा। गंगा गंभीर हो आई, "यों ढोर डंगरों की तरह से कब तक भटकते रहोगे?"

"देख लेना।" भोला बोला, "बापू अपने ही मन की करेंगे।"

"मैं ऐसा नहीं करने दूंगी।" गंगा ने दृढ़ स्वर में कहा।

बाहर झोंपड़पट्टी में कोई मिनी माइक से घोषणा करने लगा, "सुनो! सुनो! ध्यान से सुनो! यहां की झोपड़पट्टी वालों को सरकार प्लाट दे रही है। पंद्रह दिन के अंदर इसे खाली करना होगा। आप लोग अपना बोरिया-बिस्तर बांधने लगो।"

"देखा!" भोला की आंखों में चमक आ कौंधी, "मैंने कहा था न!"

झोपड़पट्टी में खलबली ही मचने लगी। लोग चबूतरे पर जमा हो आए। वे कमेटी वाले आदमी से जगह के बारे में पूछताछ करने लगे। गंगा के ससुर का दिल बांसों उछलने लगा। उसने बेटे से कहा, "क्यों रे भोलू! मैं कहता न था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं।"

"वैसे जगह कहां मिल रही है?" भोलू ने पूछा।

"पालम की ओर।" गोपाल ने हथेली पर तंबाकू और जर्दा मलते हुए कहा, "वहां के दाम तो अच्छे मिलेंगे।"

तभी एक युवक आकर बोला, "ताऊ, सरकार ने इस बार प्लाट बेचने की मनाही कर दी है। कोई भी प्लाट नहीं बेच पाएगा।"

"अरे सरकार का क्या है!" गोपाल लापरवाही से बोला, "अपने भाईजी कब काम आएंगे?"

"इससे कोई भी मदद नही कर पाएगा।" उस युवक ने कहा,

"चलो, देख लेंगे।" गोपाल ने जर्दा मिश्रित तंबाकू मुंह के हवाले कर लिया।

गंगा ने निश्चय कर लिया कि वह इस परिवार को सुधार करके ही दम लेगी। वह इसी सोच-विचार में तिरती रही। नित्य प्रति ही वह रेल-पटरियों पर कोयला बीना करती। घर आकर वह उस कोयले के चूरे के साथ मिट्टी मिला कर उनके गोले बनाया करती। जबसे नए प्लाट की बात चली है, उसका ससुर नित्य नए-नए सपने देखने लगा है। एक दिन गंगा ने सास से कहा, सुनते हैं इस जगह के बदले हमें नई जगह मिलने वाली है!

"हां, बहू!" सास ने कहा, "उस खाली जमीन को ले के चाटेंगे?"

"जगह तो अपनी ही होगी न?"

"तेरे ससुर तो अभी से उसके गाहक ढूंढने लगे हैं।" सास ने कहा, "पहले भी तो हमें प्लाट मिलते रहे हैं।"

"उस जमीन पर अपनी त्रिपाल ही सही!" गंगा सास को प्रोत्साहित करने लगी, "वहां से कोई हमें उठने को तो नहीं कहेगा!"

"जे बात भी सही है।" सास ने उसी का समर्थन कर दिया।

सास-बहू की मिलीभगत एक नए आशियाने के सपने बुनने लगी। एक दिन वह भी आया जब कमेटी का आदमी उन्हें नई जगह के बारे में बतला गया।

गोपाल ने नए प्लाट को बेचने की बहुत

कोशिश की। लेकिन उसे कोई भी ग्राहक नहीं मिल पाया। ऐसे में वह निराश हो आया।

उस दिन महानगर के राजनीतिज्ञों ने बंद का आह्वान किया हुआ था। गोपाल का परिवार भी घर पर ही था। झोपड़पट्टी के दूसरे लोग भी घर बैठे मक्खियां मार रहे थे। हर कहीं नए प्लाटों की चर्चा चल रही थी। रेलवे कुली गणपत गोपाल के पास चला आया, "गोपाल भाई। प्लाट तो अब बिकने से रहे! अब क्या होगा?"

"हां, गणपत!" गोपाल ने गहरा उच्छवास भर कर कहा, "सरकार हमसे भी अधिक चालाक हो आई है।"

गंगा उनकी बातें सुन रही थी। आखिर उसके ससुर उस जमीन के टुकड़े को क्यों बेच रहे हैं? उसने सास के पास आकर पूछा, "आप तो ससुरजी से अधिक समझदार हैं न! वे प्लाट बेचने पर क्यों उतारू हैं?"

"मैं उन्हें क्या समझाऊं, बहू!" सास ने गहरी सांस खींची, "मेरी आधी से अधिक उमर तो कट ही गई है। भोलू के बापू बहुत ही जिद्दी आदमी हैं। उनके आगे किसी की भी तो नहीं चलती।"

गंगा कुछ क्षणों के लिए विचारों में डूबने लगी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, "नहीं अब मैं प्लाट नहीं बेचने दूंगी।"

"देखो!" कह कर सास दोपहर के भोजन की तैयारी करने लगी।

रात को भोला जब झोंपड़ी में आया तो उसके मुंह से दारू के भभाके उठ रहे थे। गोपाल ने उसे वहीं आड़े हाथों ले लिया, "क्यों बे! ठर्रा चढ़ा के आया है न?"

"हां, बापू! भोला का बहका हुआ स्वर था, जगदीश भाई के ह्यां प्लाटों की खुशी में एक छोटी सी दावत थी। उसी में थोड़ा सा........

"अरे मूर्ख!" गोपाल उसे डांटने लगा, "तुझे कितनी बार कहा है कि आवारा आदमियों की संगत न किया कर! वे तुझे कहीं के भी नही रहने देंगे।"

इस पर भोला चुप हो आया। तभी मां ने कहा, "आ भोलू! रोटी जीम लें!"

"मुझे भूख नही है, मां! मैं भरपेट खा के आ रहा हूं।"

उस झोपड़ी में गंगा को पति से एकांत में बातें करने का अवसर ही नहीं मिलता था। बीच में टाट का परदा लटका होता था। एक ओर सास–ससुर रहते थे तो दूसरी ओर वह पति के साथ रहा करती थी। भोला जब उसके पास आया तो वह मान किए बैठी थी। भोला का हाथ उसके सिर पर फिरने लगा, "अरी सारी रात मान ही किए रहेगी? मुझसे कब तक रूठी रहेगी?"

"चलो, हटो!" गंगा ने उसका हाथ एक ओर झटक दिया, "मैं तुमसे नहीं बोलती!"

"क्यों भला?"

"तुम नशा करके आए हो। गंगा उसके लिए नथुने फुलाने लगी, "नशेड़ी आदमी मुझे फूटी आंख भी नही सुहाता।"

"अच्छा बाबा, कल से नशा नहीं करूंगा। भोला ने उसके आगे हथियार डाल दिए, "अब तो हंस दे।"

"पहले मेरी बात मानो।" गंगा ने कहा।

"बोल! भोला ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए, "जो बात तू कहेगी, वही करूंगा। अब तो हंस दे!"

गंगा खिल से हंस पड़ी। भोला उस हंसी पर निहाल ही हो आया। उसका सारा नशा वहीं हिरन हो आया। गंगा रात भर बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। वह भविष्य के बारे में सोचती रही।

उस दिन दोपहर को सभी भोजन कर रहे थे। गोपाल ने बेटे से कहा, "क्यों रे प्लाट का गाहक ढूंढ न!"

"नए प्लाट को आप नहीं बेचेंगे। गंगा ने कहा।

"अरे!" गोपाल का मुंह में कौर ले जाता हाथ वहीं रुक गया।

"हां जी।" गंगा ने कहा, "उस पर हम अपनी छत खड़ी करेंगे।"

"बहू ठीक कहती है।" सास ने भी उसी का समर्थन कर दिया, "तुमने कभी भी तो आगे की नहीं सोची। हमेशा ही अपने मन की करते रहे हो।"

गोपाल का मन खराब हो आया। उसने बेटे को देखा। वह चुप था। एक बहू ही थी जो कुछ कर गुजरने के लिए उतावली हो रही थी। उसकी आंखों में नए–नए सपने कुलबुला रहे थे। उसके सीने में कुछ कर गुजरने की आग धधक रही थी।

"उस सूखे तपड़ पर हम क्या करेंगे?" गोपाल ने सिर खुजला कर पूछा।

"ह्यां की त्रिपाल हम वहीं ले जाएंगे।" गंगा ने कहा।

उसी दिन गंगा अपने मायके चल दी। उसने बापू को अपना दुखड़ा सुनाया। बापू उसे ढाढ़स बंधाने लगा, तू चिंता न कर। मैं तेरी पूरी मदद करूंगा।

दूसरे दिन गंगा झोपड़पट्टी में आई तो वहां लोग ट्रकों पर सामान लाद रहे थे। गोपाल भी परिवार के साथ ट्रक में बैठ गया। नए तपड़ पर बाप बेटा त्रिपाल टांगने लगे। तभी वहां गंगा के बापू आ पहुंचे। वह एक ट्राली ईंट लाया था। वह मिट्टी गारे से एक कमरे की चिनाई करने लगा। गंगा ने कहा, "बापू!"

"बोल बिटिया"!

"इसके ऊपर पक्की छत हो जाती तो...।"

"वो भी हो जाएगी। महीने बाद मैं प्रबन्ध कर दूंगा।"

गंगा की खुशी का पारावार न था। उसने कोयला बीनने का काम छोड़ दिया। अब वह घर बैठी झाड़ू बनाने लगी। सास भी उसकी मदद करने लगी। भोला उन्हें बाजार बेच आता। उसे एक मोटर कंपनी में नौकरी मिल गई। गोपाल मन लगा कर वर्कशाप में काम करने लगा। एक दिन गंगा ने सास से कहा, "क्यों न हम खजूर की चटाइयां बनाने लगें।

"उसमें ज्यादे लोगों की जरूरत होगी।" सास ने कहा,

"बस्ती की दूसरी लुगाइयां काम कर लेंगी।" गंगा बोली।

एक दिन बापू गंगा की छत की त्रिपाल उतार कर उसकी छत पर लेंटर डाल गए। झाड़ू और चटाइयों वाला काम उन्हें मुनाफा देने लगा। गंगा का परिश्रम रंग लाने लगा। उस नए आशियाने में वह खुश रहने लगी सास भी पति को सही राह पर ले आई थी। बाप–बेटा मन लगा कर नौकरी करने लगे। घर–गृहस्थी की गाड़ी खींचने में गंगा को अपार आनंद आने लगा।

22, अग्रसेन काम्पलेक्स, बी.
17, श. भगतसिंह सर्किल,
पिलानी – 333031

ग्रामीण विकास हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम : समस्याएं एवं निदान

* डा. ए.सी. जैन
* अमर कुमार जैन

स्वतंत्रता–प्राप्ति के 54 वर्ष बाद भी देश में, विशेष रूप से गांवों में, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता हालांकि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस मद पर अरबों रुपये का प्रावधान किया गया है। आज भी देश में करोड़ों लोगों का निरक्षर होना हमारी नीतियों के कार्यान्वयन में खामियों की ओर स्पष्ट संकेत है। इस बात का जिक्र करते हुए लेखक ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष–रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है उनका खुलासा इस लेख में किया है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनके विकास के क्रम को आगे बढ़ाना है। यह एक ऐसी व्यूहरचना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को उन्नत बनाना होता है। भारत की लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है तथा उनका मुख्य पेशा कृषि एवं उससे संबंधित कार्य है अतः कृषि के बिना भारतीय अर्थ व्यवस्था की चर्चा करना निराधार होगा। कृषि उत्पादकता एवं शिक्षा के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, अर्थात् शिक्षा उत्पादकता की वृद्धि में अहम् भूमिका निभाती है तथा अशिक्षा कृषि को आधुनिकीकरण तथा उच्च तकनीकों को व्यवहार में लाने का मार्ग अवरुद्ध करती है। शिक्षा कृषकों को उन्नति का एवं अपनी महत्वाकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने का ऐसा रास्ता बतलाती है जिसका विकल्प विश्व में दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि ग्रामीण क्षेत्र के कृषक शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर लें तो ग्राम विकास की ऐसी अविरल गंगा बहेगी जिसमें ग्राम्य जीवन के समस्त दोष बह जाएंगे।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषक को नवीन प्रविधियों एवं कृषि शोध के संबंध में शिक्षित एवं जागरूक होना नितांत आवश्यक है। कृषकों के लिए माध्यमिक स्तर की सामान्य शिक्षा कृषि प्रविधियों के विकास एवं विस्तार को सार्थक बना देती है। नवीन प्रौद्योगिकी और वर्तमान विकसित कृषि प्रविधियों के प्रयोग से उत्पादकता अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। सामान्यतः परिवर्तनों का शिक्षा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और परिवर्तन का मार्ग शिक्षा के साथ ही चलता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को शिरोधार्य करने एवं पारम्परिक कुरीतियों की तिलांजलि देने में शिक्षा का योगदान अद्वितीय होता है। शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त कुपोषण, बीमारियों और रुग्णता की पहचान कर इनको समाप्त कर शिशु व मां के स्वास्थ्य व आहार के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का ध्यान जन–सामान्य तक पहुंचाती है जिससे एक ओर तो विवाह योग्य आयु में वृद्धि आती है वहीं दूसरी ओर प्रजनन दर को कम कर दो बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर की भावना का विकास करती है।

उपर्युक्त आवश्यकताओं के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत आगे नहीं हैं। देश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 74 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी व निरक्षता के दुष्चक्र में जकड़ी हुई है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि शिक्षा मनुष्य को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। लेकिन अपनी अज्ञानतावश ग्रामीण परिसर के निवासी इस उजाले का उतना लाभ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जितना उनको वांछित है।

देश में यदि शिक्षा का आकलन किया जाता है तो सौ छात्र जो कक्षा एक में प्रवेश लेते हैं उनमें से करीब 73 छात्र ही कक्षा दो में प्रवेश पाते हैं तथा कक्षा 8 तक तो यह संख्या घटकर 31 के करीब हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के 69 छात्र शिक्षा की महत्वपूर्ण दौड़ से बाहर हो जाते हैं जो बहुत चिंतनीय है। कुछ राज्यों – उड़ीसा,

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कक्षा I में नामांकन की प्रतिशतता के रूप में कक्षा II, V और VIII में नामांकन

राज्य / संघ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा V	कक्षा VIII
1	2	3	4	5
भारत	100.00	73.41	49.28	31.11
आन्ध्र प्रदेश	100.00	64.03	38.02	15.88
बिहार	100.00	59.50	34.47	19.82
गुजरात	100.00	73.04	50.61	30.03
हरियाणा	100.00	91.74	68.52	53.12
कर्नाटक	100.00	77.99	47.50	28.74
केरल	100.00	106.10	98.84	81.31
मध्यप्रदेश	100.00	89.97	64.14	36.70
महाराष्ट्र	100.00	77.32	54.67	34.67
उड़ीसा	100.00	80.15	47.10	27.92
पंजाब	100.00	102.31	65.15	48.82
राजस्थान	100.00	47.61	27.55	18.50
तमिलनाडु	100.00	88.53	67.79	40.79
उत्तरप्रदेश	100.00	90.44	58.57	47.31
पश्चिम बंगाल	100.00	56.34	38.15	21.90

स्रोत – पांचवी अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण रा.शै.प. नई दिल्ली

बिहार व आन्ध्र प्रदेश – में तो यह स्थिति और भी गंभीर है। वर्ल्ड समिट फार चिल्ड्रेन–2000 के तहत प्रकाशित एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 5.9 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसमें 3.5 करोड़ लड़कियां हैं। भारत सहित बंगलादेश, भूटान, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 23 मई 2001 को आयोजित 'दक्षिण एशिया में बच्चों के लिए निवेश' नामक एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके बच्चों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है।

ग्रामीण विकास हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम

स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वांछित ग्रामीण विकास का लक्ष्य शिक्षा द्वारा ही संभव है, इस वाक्य को योजना के कर्णधारों ने स्वीकार तो किया लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्पित नहीं दिखाई दिए। ऐसी बात नहीं है कि इसके विषय में कोई योजना व कार्यक्रम न बनाए गए हों लेकिन उन कार्यक्रमों से वांछित लक्ष्य कुछ कम ही प्राप्त हुए हैं। सरकारी प्रयासों में निम्न कार्यक्रम सम्मलित हैं :

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम: ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को घर–घर पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कुछ विशेष व अतिरिक्त प्रयास भी किए हैं। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि को समझते हुए वर्ष 1979–80 से औपचारिक शिक्षा के साथ "अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम" को प्रारंभ किया गया जो अपने साथ निम्न उद्देश्यों को समाहित किए था।

- 6 से 11 वर्ष वर्ष की आयु वर्ग के उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना जो विद्यालय नहीं जा सके या जिनके ग्राम में विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं या इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है।
- ग्रामीण क्षेत्र की कामकाजी बालिकाओं और बाल मजदूरों को औपचारिक शिक्षा के समान ही गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए।
- प्रारंभ में यह शिक्षा शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की गई जहां ग्रामीण गन्दी बस्तियां और पर्वतीय जनजातियां अधिक हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम : देश की सभी प्राथमिक शालाओं में न्यूनतम साधन एवं सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1987–88 में इस कार्यक्रम का प्रारम्भ बुलंद हौसलों के साथ किया गया। इसके तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं :

- प्रत्येक शाला में कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरे जिनका उपयोग प्रत्येक मौसम में हो सके।
- प्रत्येक शाला में कम से कम 4 अध्यापकों की व्यवस्था जिनमें से एक महिला हो।
- शैक्षणिक सहायक सामग्री तथा ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्टों, खिलौने सहित आवश्यक अध्ययन सामग्री की व्यवस्था कर इस योजना द्वारा सरकार इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारण कर इन्हें प्राप्त करना चाहती है जिससे कि माता–पिता स्वयं बच्चों को स्कूल या अनौपचारिक केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षा हेतु भेजें। इस योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन, लेखन व पठन सामग्री के साथ निःशुल्क गणवेश भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी व्यवस्था है।

नवीन कार्यक्रम

सीखते समय कमाने की योजना : यह योजना समाज के (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा के अवसर के साथ धन कमाने की बातें भी सिखलाती है। छात्र इन अनौपचारिक केन्द्रों में तब तक बने रहते हैं जब तक कि वह प्राथमिक शिक्षा समाप्त नहीं कर लेते हैं।

इस योजना में छात्रों को शिक्षा के साथ वह गुण भी सिखाए जाते हैं जिसमें छात्र कुछ समय में ही टाट पट्टियां, चाकस्टिक, सिलिंग वैक्स, डस्टर इत्यादि बनाकर धन उपार्जन कर सकें। सरकार स्वयं ऐसे माल को खरीद कर इनको सहयोग प्रदान करती है।

आश्रम स्कूल : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकांश गरीब छात्र स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि इनके माता–पिता निरक्षर व साधनहीन होने से शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं पाते। कुछ राज्यों में जिसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है आश्रम स्कूल नामक योजना चला रहे हैं। इस स्कूल आश्रम व्यवस्था का मूलाधार यह है कि छात्रों को केवल एक ही कार्य सौंपा जाए और वह है शिक्षा प्राप्त

ग्रामीण पाठशाला का एक दृश्य

करना। इस योजना में छात्रों को आवास–व्यवस्था के साथ खाने पीने एवं पठन–पाठन की वस्तुएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

पोटा प्रयोग बिहार : बिग्रेडियर सी.एम. जोसफ व उनके सेवकों ने हजारी बाग बिहार में पोटा ग्राम को गोद लिया तथा उस ग्राम पर शिक्षा का प्रसार का प्रयोग किया जो आश्चर्य जनक रूप से सफल रहा। पोटा गांव की आबादी 2000 थी तथा जिनमें से 95 प्रतिशत निवासी निरक्षर थे। गांव के एक मात्र स्कूल में छात्र नाम मात्र को थे। स्वयं सेवकों ने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा 100 छात्रों को नामांकित किया तथा उनके स्कूल का समय मात्र 3 घंटे किया व स्कूल में ही सिलाई, कढ़ाई व काश्तकारी इत्यादि की व्यवस्था की तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया गया जिससे छात्रों में रुचि जागृत हुई व कम समय में एक आदर्श स्कूल तैयार हो गया।

चारागाह स्कूल : बिहार में चारागाह शिक्षा स्कूल भी अपने आप में नवीन व अद्वितीय प्रयोग था। चारागाह में पशुओं को चारा चराने में लगे छात्रों को शिक्षक चारागाहों में जाकर शिक्षा पहुंचा रहे हैं। इन बच्चों में से कुछ पशु चराते रहते हैं तथा शेष पढ़े रहते हैं। फिर पढ़ने वाले चराते हैं व चराने वाले पढ़ते हैं।

नवोदय विद्यालय : ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था सहित छात्र छात्राओं को निःशुल्क एवं अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया। नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा देना है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों में मूल्यांकन

उपर्युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक मात्र उद्देश्य यह था कि ग्रामीण व शहरी बच्चों (विशेषकर 6 से 11 वर्ष आयु समूह के) का नामांकन स्कूल में कराकर शिक्षा की गति बनाए रखना लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों से जो परिणाम आ रहे हैं वह योजना व्यय की तुलना में संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि माता–पिता के शिक्षित न होने से वह शिक्षा का प्रसार अपने बच्चों में नहीं करवाते तथा केन्द्र संचालक न्यूनतम छात्र संख्या पूरी करने के लिए अनौपचारिक केन्द्रों में उन बच्चों का नामांकन कर लेते हैं जो पहले ही स्कूलों में नामांकित हैं। सरकार के पास कोई ऐसी नामावली नहीं है जिसमें यह प्रकट हो कि इस ग्राम में कुल इतने बच्चे निरक्षर हैं। अधिकांश बच्चे शिक्षण सामग्री के मोह में चले जाते हैं तथा सामग्री प्राप्त होते ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं। सरकार योजना को जब कागज पर बनाती है तब वह सर्वश्रेष्ठ होती है और जब क्रियान्वित करते हैं तब दिशाहीन योजना नजर आती है।

समस्याएं

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने के लिए नवीन प्रयोगों के साथ जैसे राजस्थान में घुमन्तु जनजाति के लिए "सचल विद्यालय" बिहार में चरवाहा विद्यालय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की आधार शिला रखी गई लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि स्वतंत्रता पश्चात पांच दशक के आंकड़े भयावह स्थिति प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के छठवें सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आए हैं वह हमारे प्रयासों व जागरूकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देश में केवल 50 प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय हैं, शेष 50 प्रतिशत बस्तियां शिक्षा सुविधा से अछूती हैं। ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में शिक्षा के विकास में अभी भी अनेक समस्याएं हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार है।

- कहा जाता है कि भारत में विकास कागज पर होता है, जिसको सिद्ध करने के लिए आप शैक्षणिक कक्षाओं की विद्यमानता को ले सकते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 82 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक कमरे तक उपलब्ध नहीं हैं। देश के 45 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय या तो बिना भवन के चल रहे हैं या खुले मैदानों में हैं। यही स्थिति कमोबेश अध्यापकों के सम्बन्ध में है। लगभग एक तिहाई विद्यालयों में मात्र एक अध्यापक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 65 प्रतिशत विद्यालयों में टाट पट्टियों, न्यूनतम आवश्यक फर्नीचर तक का अभाव है। सर्वेक्षण के अनुसार 55.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह एक हास्यास्पद तथ्य है कि 99 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एक भी समाचार पत्र मंगाने की व्यवस्था नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक मुख्य कठिनाई नामांकित बच्चों का बीच में ही शिक्षा छोड़ देना है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा एक से पांच तक लगभग 50 प्रतिशत तथा 6 से 8 तक 72 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पूर्ण किए बिना ही स्कूल की ओर से पीठ कर लेते हैं। इस प्रकार शत–प्रतिशत नामांकन प्राप्त कर लेने के लक्ष्य का मजाक बनकर रह जाते हैं। नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई दृष्टिगत होती है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों का स्वयं का निरक्षर होना जिससे वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं तथा शिक्षा की धारा को निरन्तर प्रवाहित होने में अवरोध लगा देते हैं।
- ग्रामीण शिक्षा के विकास एवं विस्तार में एक बाधा यह दृष्टिगोचर हो रही है कि वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था व वातावरण से मेल नहीं खाते हैं। ग्रामीण वातावरण की कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक व अन्य कर्मचारी शहरों में निवास करते हैं व महीने में कुछ दिवस ही विद्यालयों में आते हैं। ग्रामीण पाठ्यक्रम में कृषि और उससे सम्बन्धित जानकारी, वर्षा और मौसम की जानकारी, गोबर गैस संयंत्र के लाभ इत्यादि कई बातों का अभाव है।
- ग्रामीण शिक्षा की सर्वव्यापकता में देश में व्याप्त गरीबी और उसके दुष्परिणाम के रूप में बाल मजदूरी प्रथा एक दीवार की तरह हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे बाल्य काल से ही आजीविका उपार्जन में अपना सहयोग दें। माता–पिता जब अशिक्षित होते हैं तो यह विचार और पुष्ट होते हैं। बाल मजदूरों से अधिकतर उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करवाया जाता है। यह भी यथार्थ है कि बच्चों को मजदूरी पर लगाने का मुख्य कारण है कि वह सस्ता आज्ञाकारी श्रमिक बल है। बाल मजदूरी करने वाले बालक के अधिकांश माता–पिता यह नहीं सोचते कि यदि बच्चे को काम पर लगाया जाता है तो इसमें कोई गलती है बल्कि यह सोचते हैं कि उस बच्चे का इस प्रकार लगाए रखना उपयोगी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास में एक बाधा यह भी है कि अधिकांश अभिभावक स्वयं निरक्षर हैं जिन्हें शिक्षा की शक्ति से सरोकार नहीं है और जो शिक्षित हैं उनमें जन जागृति व देश के लिए शिक्षा सम्बन्धी योगदान देने की भावना नहीं है। अगर प्रत्येक साक्षर एक निरक्षर को साक्षर बनाता है तो अभी आंकड़े शिक्षा के संबंध में कुछ और ही कहानी कह रहे होते। जापान व पश्चिमी देश इसी जन–जागृति का एक सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित कर साक्षरता के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं।
- सरकार द्वारा घोषित शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है लेकिन दिल्ली स्कूल आफ इकानोमिक्स के शोध छात्र कुछ अलग ही कहानी बतलाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए लगभग 366 रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने पड़ते हैं अर्थात् एक रुपया प्रतिदिन। उन लाखों परिवारों पर यह आर्थिक बोझ उस समय दिक्कत में डाल देता है जब कई बच्चे एक साथ पढ़ने निकलते हैं। अतः कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अभिभावक केवल एक या दो बच्चों को ही शिक्षा दिलवाते हैं, बाकी बच्चे आजीविका कमाने में अभिभावकों की मदद करते हैं।
- भारत में बहुत सारे गांव व उनके आस–पास के कस्बे ऐसे हैं जहां प्राथमिक शाला की आसपास सुलभता भी नहीं है। यद्यपि सरकारी नीति में यह स्पष्ट है कि कक्षा एक से पांच तक के लिए प्रति किलोमीटर पर व कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय के लिए तीन किलोमीटर के अन्दर विद्यालय उपलब्ध कराया जाए। लेकिन यदि सरकारी आंकड़ों को सही भी मान लें तो ग्रामीण जनसंख्या के 94 प्रतिशत भाग को ही एक किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय तथा 84 प्रतिशत जनसंख्या को तीन किलोमीटर के भीतर मिडिल स्तर की शिक्षा सुलभ हो पाई है। इससे यह बात स्पष्ट है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का बहुत सा क्षेत्र शैक्षणिक स्कूलों में रिक्त है। इस परिस्थिति में यह अभिभावक चाहें तब भी बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करा पा रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण सरकार संविधान की धारा 45 की भावनाओं को यथार्थरूप नहीं दे पा रही है।

सुझाव

ग्रामीण शिक्षा के विषय में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वह निश्चित रूप से चौंकाने वाले एवं चिन्तनीय हैं। हम 21वीं सदी में खड़े हैं और ग्राम स्वराज का दम भरने वाले लोग स्वतंत्रता के 53 वर्ष पश्चात् भी प्राथमिक शिक्षा का शत प्रतिशत लक्ष्य पाने से वंचित हैं। 21वीं शताब्दी में कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी को सहज सुलभ हो, इसके लिए सरकार को कुछ दूरगामी, विद्वतापूर्ण, कठोर और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। अब सरकार ने विगत पांच दशकों में ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में शिक्षा हेतु दर्जनों योजनाओं को कार्यरूप में परिणित कर

अरबों–खरबों रुपये खर्च भी किए हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्ति मृगतृष्णा के समान फिसलती रही। अब आवश्यकता इस बात की है कि पुराने प्रयोगों, अनुभवों और योजनाओं को न दोहरा कर कुछ ऐसे विशेष प्रयास किए जाएं जिनमें असफलता की कोई गुंजाइश ही न हो। इसके लिए निम्न सुझाव तर्क–संगत हैं:

- देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय और उनमें आवश्यक भौतिक संसाधनों को प्रदान करने के लिए सरकार को अपनी प्राथमिकता के आधार पर राजनीतिक व प्रशासकीय इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। सरकार ग्रामीण शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय महत्व व सर्वांगीण विकास के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित करे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय में भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीण पंचायतों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। जिस प्रकार पोलियो अभियान द्वारा जागृति पैदा की जा रही है उसी प्रकार ग्रामीण शिक्षा के संदर्भ में भी वही दृष्टिकोण अपनाना होगा। ग्रामीण शिक्षा के शत–प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जबाब–देही को सामने लाना होगा, प्रशासनिक तंत्र को कागज के बजाय यथार्थ में आंकड़े प्रकट करने होंगे।
- हमारे देश के संविधान की भावना यही है कि देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाई जाए। अनिवार्य शब्द से तात्पर्य यह है कि विकसित राष्ट्रों की तरह हमें अभिभावकों को कानून के दायरे में लाना होगा तथा ऐसे अभिभावकों को जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस प्रावधान को लागू करने के पूर्व एक तो सरकार को प्रत्येक गांव में स्कूल, अध्यापक व भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे तथा दूसरा बच्चों को स्कूल जाने के लिए आर्थिक परेशानियों को समाप्त करना होगा।
- एक सघन अभियान के रूप में शिक्षा को गांव–गांव में पहुंचाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जन–जागृति, जनसहयोग और जनसहभागिता को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किया जाए। शासकीय एवं अशासकीय स्वयंसेवी प्रचार माध्यमों को इस पुण्यतीत कार्य में लगने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। पिछले कुछ वर्षों में हांलाकि कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन श्रेष्ठ और कुशल प्रयास अभी भी होने बाकी हैं।
- शहरी क्षेत्रों में विशेष तबके के बच्चों की शिक्षा हेतु कान्वेन्ट, माण्टेसरी इत्यादि विद्यालयों को चलाया जा रहा है तथा अभिभावकों से इसके लिए अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है। चूंकि स्कूलों में अधिकांशतया सम्पन्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चे पंजीकृत होते हैं अतः इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिभावकों से 500 से 1000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के महत्व को समझाते हुए प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त धन का उपयोग ग्रामीण शिक्षा में किया जा सकता है। यह ध्यान रखना होगा कि इस धन में भ्रष्टाचार रूपी दीमक प्रवेश न कर पाए।
- वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाया जाता है वह ग्रामीण विकास के तारतम्य से मेल नहीं खाता है। अतः ग्रामीण पर्यावरण, वातावरण एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। ग्रामीण पाठ्यक्रम में कृषि व उससे सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। चूंकि ग्रामीण विद्यार्थियों का रुझान कृषि व उन पर किए जा रहे नवीन शोध की तरफ होता है, अतः ग्रामीण पर्यावरण, कृषि मौसम, उन्नत तकनीक इत्यादि ग्रामीण पाठ्यक्रम के विषय निर्धारित हो सकते हैं।
- समस्त सरकारी योजनाओं की असफलता के कारण यह हैं कि व्यक्ति इनकी असफलता के प्रति जबावदेह नहीं होते हैं। सरकार प्रत्येक दो शिक्षकों को एक वर्ष में 100 छात्रों को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी दे व एक वर्ष पश्चात् उन सौ छात्रों का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करे कि कितने छात्र साक्षर होने से रह गए हैं यदि संख्या बहुत अधिक है तो जबावदेही उन शिक्षकों की ही होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास और शिक्षा का ग्रामों में प्रवेश एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात पांच दशक बीत चुके हैं और आज भी देश का लगभग 35 प्रतिशत निवासी साक्षर भी नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में साक्षरता का प्रतिशत 16.7 था जो 1961 में 24 प्रतिशत, 1971 में 29.2 प्रतिशत, 1981 में 36.2 प्रतिशत, 1991 में 52.2 प्रतिशत व वर्ष 2001 की जनगणना में 65.38 प्रतिशत हो पाया है। इसका तात्पर्य यह है कि विगत पांच दशकों में मात्र चार गुना साक्षरता दर में वृद्धि हुई है जबकि व्यय के रूप में हम खरबों रुपये खर्च कर चुके हैं। निश्चित रूप से शिक्षा का महत्व विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे योजना के कर्णधारों की समझ में नहीं आया है। हमारे पश्चात् स्वतंत्र हुए चीन ने न केवल इसके महत्व को ही स्वीकार किया बल्कि शैक्षिक प्रक्रियाओं को सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित करके भी दिखाया है। उसके विकास के परिणाम आज हमारे सामने हैं। हमारे देश में शिक्षा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों पर निर्भर है। अतः ग्रामीण परिसर को सुदृढ़ करना शिक्षा द्वारा ही संभव नजर आता है। जब तक हमारे नीति–निर्माता यह नहीं समझेंगे कि विकास का मार्ग शिक्षा रूपी पथ से होकर गुजरता है तब तक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना असंभव है।

संदर्भग्रंथ

1. ग्रामीण विकास कार्यक्रम : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
2. भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था : पी.सी. जैन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
3. भारतीय अर्थव्यवस्था : रुद्र दत्त एवं के.पी. सुन्दरम–एम चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. 1998
4. Indian Economy : डॉ. बद्री विशाल त्रिपाठी, किताब महल, इलाहाबाद 1998
5. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं : योजना आयोग, भारत सरकार
6. व्यवसायिक अर्थशास्त्र : डा. पी.सी. अग्रवाल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा – 1999

ग्रामीण महिलाएं : शिक्षा से कोसों दूर

महेश कुमार

संविधान निर्माण से लेकर अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं रहीं, उनसे केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा पर ही बल दिया गया है जबकि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सर्वदा ही दरकिनार किया गया है। एक शिक्षित महिला सैकड़ों लोगों का हित कर सकती है। इसी प्रकार जब साढ़े उनचास करोड़ महिलाएं/बालिकाएं शिक्षित हो जाएंगी तो निश्चय ही समाज में पूर्वाग्रहों/अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से स्वमेव ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन में किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा व्यक्ति को बौद्धिक ज्ञान देने के साथ–साथ मानसिक परिपक्वता भी प्रदान करती है जिसके कारण व्यक्ति न केवल अपने तथा परिवार हेतु शारीरिक भरण–पोषण की सामर्थ्य जुटा सकता है अपितु समय–समय पर आने वाली बाधाओं और समस्याओं का समाधान भी आसानी से ढूंढ पाता है। संभवतया इसी कारण भारत में शिक्षा के तीव्र विकास के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया जाता रहा है तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया राज्य सरकारों को शिक्षा के विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु आवंटित किया जाता है। किन्तु जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे देश में 74 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं अर्थात् कुल 26 प्रतिशत लोग ही शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं किन्तु देश के 80 प्रतिशत विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थान मूलतः शहरी क्षेत्रों में ही स्थापित हैं, जबकि ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग इन्हीं शहरी शिक्षा केंद्रों पर निर्भर है। इस शैक्षिक प्रणाली से सर्वाधिक नुकसान ग्रामीण महिलाओं को हुआ है जो बचपन से युवावस्था तक की यात्रा अशिक्षा व निरक्षरता के दौर से करती हैं। परिणामस्वरूप ये महिलाएं एक अशिक्षित समाज को जन्म देती हैं।

संविधान निर्माण से लेकर अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं रहीं, उनसे केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा पर ही बल दिया गया है जबकि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सर्वदा ही दरकिनार किया गया है। पहली बार वर्ष 1997–2002 पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के महत्व पर बल दिया गया है जिसका मूल "माडल" योजना आयोग का दृष्टिपत्र है। किन्तु इस योजना से भी ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में

तालिका 1

भारत में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में अन्तर

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
	पुरुष	महिलाएं	अंतर	पुरुष	महिलाएं	भेद
1961	29.10	08.55	20.55	57.49	34.51	22.98
1971	33.76	13.17	20.59	61.27	42.14	19.13
1981	49.69	21.77	27.92	76.83	56.37	20.46
1991	57.87	30.62	27.25	81.09	64.05	17.04
1997	68.00	43.00	25.00	88.00	72.00	16.00

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट, 1999

कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो पाया है।

चाहे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45 हो, अथवा 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चाहे संविधान का 83वां संशोधन विधेयक हो अथवा सायकिया समिति की सिफारिशें, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को द्वारा शिक्षा हेतु बुलाए गए महाधिवेशन हों अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ का जोमतेन अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन, चाहे सर्वोच्च न्यायालय की समय–समय पर दी जाने वाली व्याख्याएं हों अथवा राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव पूर्व शिक्षा नीति हेतु दिए गए आश्वासन हों, कुल मिलाकर सभी नीतियां, व्याख्याएं, कानून व विधेयक प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं।

वर्ष 1990 में यद्यपि जोमतेन में 142 देशों की मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन हुआ जिसमें संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्ष 2000 तक सभी देश अपने–अपने राष्ट्र में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तथा अपने–अपने स्तर पर शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे। किन्तु पांच वर्ष बीतते–बीतते यही समय सीमा वर्ष 2000 से बढ़कर 2015 तक कर दी गई। इसी से यह लगने लगा है कि शिक्षा कहीं एक चुनावी मुद्दा तो नहीं बनकर रह रही है। वैसे भी समाज में अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों तथा अज्ञानतावश किए गए अपराधों की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्रारंभ होती है। इसका दुष्परिणाम इसलिए अधिक विषकारी प्रमाणित होता है क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अधिक अशिक्षित तथा निरक्षर होने के कारण नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने में विफल रहती हैं।

तालिका 2

भारतीय प्रौढ़ साक्षरता दर में लिंग–भेद

वर्ष	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	अंतर
1961	41.50	13.15	28.35
1971	47.69	19.36	28.33
1981	54.91	25.70	29.21
1991	61.89	34.09	27.80
1997	66.78	39.40	27.38

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट, 1999

स्वतंत्रता के समय देश में ग्रामीण क्षेत्रों का शिक्षा अनुपात तथा शहरी क्षेत्रों का शिक्षा अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक दूरी पर नहीं था। मानव विकास रिपोर्ट 1999, संयुक्त राष्ट्र, से स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि जहां एक ओर वर्ष 1961 में पुरुष साक्षरता दर 41.50 थी तथा महिला साक्षरता दर 13.15 थी वहीं यह दर वर्ष 1997 तक पहुंचते–पहुंचते 66.78 तथा 39.40 तक पहुंच गई। जनसंख्या के अनुपात में गत 36 वर्षों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में लिंग भेद की प्रखरता सदा से ही विद्यमान रही है। संभवतया इसलिए ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक पीछे रह गई हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का घनत्व 87 प्रतिशत है। ठीक इसी प्रकार साक्षरता के क्षेत्र में भी ग्रामीण महिलाएं अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 60 के दशक में ग्रामीण साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर की अपेक्षा अधिक थी। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता तथा महिला साक्षरता दर में अन्तर 20.55 था, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह अन्तर 22.98 था। किन्तु शहरीकरण और औद्योगीकरण के चलते शहरों में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसके चलते वर्ष 1997 तक पहुंचते–पहुंचते यह अन्तर मात्र 16 रह गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर की पुरुष साक्षरता दर से दूरी का आंकड़ा 25 को भी पार कर गया। इससे केवल यह दृष्टिगोचर होता है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को दरकिनार किया गया है।

सबसे अधिक चिंता योग्य तथ्य यह है कि जहां एक ओर साठ के दशक में पुरुष व महिला साक्षरता दर में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्तर था, वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है। 21वीं शताब्दी तक प्रवेश करते–करते ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर बढ़ने की अपेक्षा घटने लगी। महिलाओं की निरक्षरता की दर बढ़ी है यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नही किए गए। यदि सकारात्मक दृष्टि से चिंतन करें तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि महिलाओं के शिक्षा स्वरूप में निरंतर स्थिरता के कारण है। पूरी शिक्षा व्यवस्था की गति धीमी चल रही है। कारण यह है कि पूरे परिवार की नींव महिला के हाथ में होती है। जब महिलाएं ही अशिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से उनके वंशज भी शिक्षा ग्रहण करने के प्रति सचेत नहीं हो पाएंगे। एक महिला के शिक्षित होने का अर्थ यह है कि उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण परिस्थितियां व प्रशासन

यद्यपि शिक्षा भारत की दूसरी सबसे बड़ी बजटीय समस्या है। रक्षा बजट के बाद शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है। इसके पश्चात् भी हम पाते हैं कि देश का विशाल भाग ग्रामीण भारत शिक्षा जनित समस्याओं से जूझ रहा है। उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा जोखिम ग्रामीण भारत को उठाना पड़ा है। वैसे भी यह बात किसी से छिपी नहीं

है कि ग्रामीण क्षेत्रों का वातावरण प्रायः शहरी क्षेत्रों से अलग–अलग रहता है। निरंतर बढ़ती निरक्षरता, बाल विवाह, दहेज, जाति आधारित अपराध तथा विवाह आदि पर पूरे गांव को भोज देने आदि की प्रथाएं जो कि लगातार फूल रही हैं, इसका एक मात्र कारण प्रशासन द्वारा गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास न किया जाना है। इसके अतिरिक्त सती प्रथा, जाति प्रथा, महिलाओं के विरुद्ध लिंग भेद, शिशु कन्या का बध, बंधुआ मजदूरी, बेगारी तथा प्रदूषित परिस्थितियों में उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण आदि भी प्रचलित प्रथाएं हैं जिनका एक मात्र कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्याप्त निरक्षरता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अशिक्षा का एक प्रमुख कारण संभवतया यह भी है कि यहां कठिनाई से ही कोई विद्यालय स्थापित होता है जो कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है। अधिकांश विद्यालय तो ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि अध्यापक–विहीन हैं अथवा एक–आध अध्यापक ही है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए करोड़ों की धनराशि आवंटित की जाती है किन्तु यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों तक क्यों नहीं पहुंच पाती, यह एक अहम् प्रश्न है। प्रशासन में बड़े पैमाने पर फैला भ्रष्टाचार, तथा ग्रामीण स्तर पर शक्तिहीन समाज के कारण शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, साथ ही शिक्षा की स्थिति में निरंतर ह्रास हो रहा है। विद्यालयों के न होने अथवा बहुत अधिक दूरी पर होने पर अक्सर माता–पिता, अपनी पुत्रियों/बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु नहीं भेज पाते। यदि भेजते भी हैं तो प्राथमिक शिक्षा पूरी होते ही उन्हें विद्यालय से निकाल लिया जाता है।

तालिका 3

बीच में ही विद्यालय त्याग देने की दर (1997–98)

कक्षा	बालक	बालिकाएं
प्रथम से पंचम	38.23	41.34
छः से आठ	50.72	58.61
नवम से दसवीं	67.65	72.67

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिपोर्ट, 1998

यद्यपि ऐसी बात नहीं है कि देश की 87 प्रतिशत महिलाओं की अशिक्षा के प्रति प्रशासन के चिंतन अथवा सजगता का पुट नहीं रहा। वास्तव में शिक्षा प्राप्त करना अथवा करने देना, यह एक नैतिक विचार है। ठीक है कि इस संदर्भ में कानून भी बनाए गए हैं किन्तु कानून लागू करने से ही यह समस्या समाप्त नहीं हो सकी, क्योंकि शिक्षा एक नैतिक मूल्य हैं यदि कानून विवशतापूर्वक लागू करने से ही महिलाएं शिक्षित हो जातीं तो आज पूरा देश शिक्षित होता। एक शिक्षित महिला सैकड़ों लोगों का हित कर सकती है। इसी प्रकार जब साढ़े उनचास करोड़ महिलाएं/बालिकाएं शिक्षित हो जाएंगी तो निश्चय ही समाज में पूर्वाग्रहों/अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से स्वमेव ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। किन्तु यह दिन अभी दूर है, क्योंकि यह अभी एक सत्य है कि देश की 75 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं और वैसे भी अभी सबसे अहम भूमिका इन्हीं महिलाओं को निभानी है। इन्हें चाहिए कि अशिक्षित होते हुए भी वे महिलाएं अपनी बेटियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाएं। यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे भी प्रशंसा व सम्मान के योग्य वही महिलाएं होंगी जो अशिक्षित होने के बावजूद भी अपनी लड़कियों को शिक्षित करेंगी।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता

यदि भारत के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो सबसे प्रमुख बात यह आती है कि वर्तमान भारत की अपेक्षा वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अधिक सुदृढ़ थी। ऋग्वेद, तैतिरीह ब्राह्मण, जैमिनी उपब्राह्मण, मनुस्मृति तथा अन्य वेदों में नारी को गृहलक्ष्मी, सावित्री तथा समाज की निर्मात्री माना गया है। स्वामी दयानन्द के विचारों में, "जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी,एक स्वच्छ समाज की स्थापना कदापि नहीं हो सकती।" किन्तु इसे केवल भारतीय शिक्षा पद्धति की खामी ही कहेंगे कि आधुनिक समाज में ग्रामीण महिलाएं केवल चूल्हा चौका देखने वाली बन कर ही रह गई हैं। वैसे तो शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए जाने कितने आयोग बैठे किन्तु ग्रामीण महिलाओं का ज्यादा भला नहीं हुआ। चाहे 1961–62 का आयोग हो, चाहे 1988 की शिक्षा रिपोर्ट, सभी रिपोर्टें पश्चिमी देशों की तर्ज पर ही तैयार की गई थीं। परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने को लेकर कुंठा का ही शिकार होती रही हैं।

साक्षरता व शिक्षा में भेद

हमारे देश की अशिक्षा के विस्तारीकरण की मुख्य त्रासदी यह रही है कि यहां शिक्षा के विकास को केवल साक्षरता तक ही सीमित रखा गया है। साक्षरता अभियान के जोर–शोर से उठाए जाने के कारण कोई विशेष सामाजिक परिवर्तन नहीं आ पाया। केवल साक्षरता अथवा प्रौढ़ साक्षरता पर बल देने का सर्वाधिक नुकसान यह हुआ है कि इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है जबकि महिला साक्षरता के लिए अलग से कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। वैसे तो स्त्री शिक्षा के लिए कई समितियां भी बनाई गईं। इनमें प्रमुख थीं – श्रीमति दुर्गाबाई देशमुख समिति, (1958–59) स्त्री शिक्षा तथा शिक्षा आयोग (1964–66), 1998 से 2000 तक राष्ट्रीय संदर्भ में महिलाएं (1988), तथा स्त्री शिक्षा एंव जनार्दन समिति (1992) आदि। शिक्षा एक नैतिक विषय है। शिक्षा के सार्वभौमिक विस्तार के लिए सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। इस जागृति में ग्रामीण महिलाओं को आगे आना होगा। यदि पचास कानून भी बना दिए जाएं तो उसका प्रभाव कठिनाई से पचास महिलाओं पर भी नहीं पड़ सकता किन्तु यदि वे महिलाएं जो स्वयं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई, और वे यह समझ लें कि उन्हें अपनी बालिकाओं को शिक्षित करना है तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं होगी। ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित होना होगा और अपने कार्यक्रम मात्र साक्षरता अभियान तक सीमांकित नहीं करने अपितु उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाना है ताकि हमें यह प्रतीत हो सके कि देखो, हम भी आगे बढ़ रहे हैं।

114–ए, गुरुद्वारा रोड, के–1,
एक्सटेंशन, मोहन गार्डन,
नई दिल्ली–59

'रे' से 'हो' तक का सफर

डा. संतोष सिंह

इस लेख में महिलाओं की दयनीय स्थिति का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। प्रशिक्षण लेने आई कुल 44 महिला सरपंचों/ पंचों में से 8 महिलाएं तो नंगे पैर आई थीं, चार– पांच ही अपने हस्ताक्षर कर सकती थीं। लेकिन उनमें इस बात को लेकर उत्साह था कि अब उन्हें भी कुछ अधिकार मिल रहे हैं, महत्व मिल रहा है और उनका सम्मान होने लगा है। उन्हें यह भी मालूम है कि इन अधिकारों की बदौलत ही उनके पति जो उन्हें पहले अपमानजनक शब्द 'रे' कहकर पुकारते थे अब सम्मानजनक शब्द 'हो' कहकर बुलाते हैं।

इसे आजादी के बाद पांच दशकों का सफर कह सकते हैं और कई शताब्दियों का सफर भी। वैसे यह गोरखपुर से कम्पीयरगंज तक का सफर है। कम्पीयरगंज ब्लाक कार्यालय गोरखपुर से छत्तीस किलोमीटर दूर है। कम्पीयर गंज चौराहे पर वीरभद्र सिंह की मूर्ति लगी है। बस यहीं से बायें मुड़िये। 100 गज पर ब्लाक कार्यालय है। गोरखपुर छोड़ते समय जानकारी दी गयी थी।

लाल गेरू से पुते सरकारी क्वार्टरों के मध्य, पीले सरसों के फूलों से भरे खेतों से घिरा ब्लाक कार्यालय। एक रात पहले बरसात हो चुकी थी। गीली मिट्टी और आसमान पर छाये सुर्मई बादलों का वितान। कितना लुभावना! कितना मनोहारी। कितना सुंदर! लाल–पीले रंगों का मेल। और ब्लाक कार्यालय के अंदर? महिला पंच की तस्वीर का रंग स्याह–सफेद। कितनी विसंगति थी अंदर और बाहर में।

ब्लाक कार्यालय में घुसते ही सामने एक बड़ा–सा हाल। तीन–चार सीढ़ी चढ़कर बरामदा–चार खंभों वाला। हाल में बिछी नीली दरी पर वे सब बैठी थीं। हाल के बाहर चप्पलें–सभी हवाई चप्पलें। रंगी–बदरंगी। बस केवल दो जोड़ी सैंडल थे। कुल जमा 36 जोड़ी चप्पलें और हाल में बैठी स्त्रियां थीं चवालीस। यानी आठ स्त्रियां नंगे पैर आई थीं।

सब हाथ जोड़ कर खड़ी हो गईं।

दिसंबर की बरसात में भीगी हुई, तीर–सी, हड्डियों को काटने वाली ठंडी हवाओं के बीच वे सब स्वयं को मात्र सूती धोती में लपेटे थीं। भूली–सी भूषण की पंक्ति याद आ गई – 'नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं।' गरम कपड़े के नाम पर बस दो स्त्रियों ने सस्ते–से, बड़े–बड़े छापे वाले शाल ओढ़े हुए थे।

ब्लाक कार्यालय में महिला पंचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। प्रशिक्षक महिला ऊंचे स्वर में भाषण दे रही थी – कानों में बार–बार वही शब्द थोड़े–थोड़े अंतराल के बाद बजने लगते – संविधान! आरक्षण! अधिकार! पंचायत!

पूरे हाल में कुल मिलाकर नौ पोस्टर लगे थे। कुछ पंचायत राज के ढांचे को बताते तो कुछ नारी जागरूकता, महिला शक्ति की जुबां बोलते। स्याह–सफेद पोस्टर और पीली–सी दीवारें। मानो दरी पर बैठी स्त्रियों की विरोधाभासों से भरी स्थिति को दर्शा रहे थे।

तीर्थी के आंसू

और वो? जो कोने में थी। तीर्थी। चालीस की उम्र होगी या शायद तीस की। वैसे पचास भी हो सकती है। गरीबी, अज्ञानता, संघर्ष तो बीस की उम्र में ही औरत को साठ का बना देता है। वैसे तीर्थी किसी पंचायत की सदस्य नहीं थी, फिर भी वह पिछले चार दिनों से रोज आ रही थी। उसे सीखने में कुछ रुचि हो, ऐसा लगा नहीं। उसे कुछ समझ में आया, ऐसा उसने दर्शाया भी नहीं। फिर क्यों आती थी? शायद पैसे के लिए। सभी महिला पंचों को 15 रुपये प्रतिदिन की दर से 75 रुपये पांच दिनों के लिए दिए जाने थे। शायद उन्हीं के लिए आती हो। प्रशिक्षक ने कहा – तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे। आंखों में आंसू भर कर वह एक कोने में खड़ी हो गई। कितनी दीन, कितनी दरिद्र, कितनी निरक्षर, कितनी हीन है हमारे गांव की महिला की तस्वीर। प्रशिक्षणार्थी 44 स्त्रियों में से केवल चार–पांच ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए थे। बाकी सबने अंगूठा लगाया था। तीर्थी ने भी लगाया था।

और अज्ञानता।

चार दिनों के प्रशिक्षण के बाद पूछा गया प्रश्न – आप में से कितनी महिलाएं सरपंच हैं? हाथ उठाइये।

किसी ने भी नहीं उठाया। मूक देखती रहीं। चेहरे पर कुछ ऐसा भाव लिए जिसे समझना कठिन था।

– पुनः दूसरा प्रश्न।

अच्छा पंचायत सदस्य कितनी हैं? जो भी हों हाथ उठा दें।

वही स्थिति।

ये क्या था? अज्ञानता अथवा हाथ खड़ा न करने का अभ्यास या फिर हाथ क्यों उठाएं? ये जिज्ञासा या कौतूहल। और या फिर हाथ उठाने वाले व्यवहार से उत्पन्न शर्म–झिझक। लगता है कौतूहल और झिझक दोनों का मिला जुला प्रभाव ही रहा होगा। क्योंकि बाद में ये सवाल भी उन्होंने ही तो उठाये थे।

प्रशिक्षण का अंतिम दिन चरगांवा में था। कम्पीयरगंज की महिला पंचायत सदस्य भी सम्मिलित हुईं। उस दिन सभी उत्साह से भरी दिख रही थीं। एक समूह में, इकट्ठे, पहली बार आना घर–द्वार छोड़ बाहर आईं थीं। कानों में पड़ रहे उनके वाक्य सब कुछ समझा रहे थे।

"इतने साल से मरद चलाय रहे सब कुछ। अब मेहरारु का जरूरत पड़ी?"

"अपना ही घर देखवा करी। हमार लड़का तो पढ़े नहीं। लड़की पढ़े है।"

"तोहार का, हमार लड़कवा भी अइसा रही। दसवीं फेल। और लड़की दसवीं निकल गयी।"

"फूल पत्ती नहीं आई। 'ओ' का मालिक तो रहे नहीं। कैसे आई। देवरा जबरई ते बिठाल दी घर में। ओ बना गवा है न मालिक!"

घूंघटवा काढ़ि रही नरायनपुर की प्रधान

विद्या देवी, नरायनपुर की प्रधान, उम्र यही होगी 24। उन्हें अपनी सही उम्र मालूम नहीं थी। उनके तीन बच्चे हैं। दो लड़के, एक लड़की। सबसे बड़ा पुत्र दसवीं में है। दूसरा नवीं में। लड़की पांच साल की है। नर्सरी में जाती है। पति सत्यदेव सिंह चरगांवा ब्लाक के निकट ही झुंगिया में एक नर्सरी स्कूल में अध्यापक है। सास कमला देवी और ससुर राजाराम सिंह के बारे में बताया, 'बूढ़ हो गए हैं।'

विद्या नीली शिफान की साड़ी से अपना चेहरा ढके बैठी थी। जब भी प्रशिक्षक उन्हे सामने देखने को कहती, वे अपना चेहरा और भी नीचे झुका कर साड़ी को नाक तक खींच लेतीं। प्रशिक्षक का धीरज शायद समाप्त हो रहा था। आप बार–बार घूंघट क्यों कर रही हैं? सामने तो देख नहीं रहीं, फिर सीखेंगी कैसे?

उत्तर मिला विद्या देवी के निकट बैठी गुलरिया देवी से। 'अब ओ भी का करी! जब ससुर साथ बैठा रहे तो घूंघटवा तो काढ़ि क पड़े।'

विद्या देवी से ससुर साथ आए थे। प्रशिक्षण कक्ष के बाहर द्वार से लगे बैठे थे। उन्हें लगा कि उनकी बहु को भड़काया जा रहा है। दूसरे दिन विद्या देवी दिखाई नहीं दी।

तीन माह उपरांत विद्या देवी फिर से आने लगीं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 'ससुर को लकवा मार गया। अब रोक न पइहैं। सो खुदई बोल दिए जाओ।'

लगा ससुर न सही पति तो साथ देता ही होगा। तब ही विद्या देवी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिर से आना शुरू किया होगा। बहु का आज्ञा पालन या फिर लंबी घातक बीमारी ने ससुर को फिर से सोचने पर मजबूर किया होगा। यह भी हो सकता है पति ने अपने पिता को समझाया हो। विद्या देवी ने बताया कि पंचायत में पैसा और काम देखकर ससुर बदल गए। अब सरकार से पैसा आता है।

'अब तो हम भी लड़ लेंगे। अब हो डर नहीं। जब 'रे' कहे रहे तब ही मारते थे। जब से 'हो' कहने लगे मारना छोड़ दिये। 'रे' तब ही बोले मरद, जब लुगाई के कौनो इज्जत न करी। जब से सरपंच बने 'हो' पुकारने लगे हैं। 'हो' बोले तो इज्जत करी। इज्जत करी तो हाथ कैसे उठाई।'

गांववाले कहते हैं काम कराओ। हम कैसे करी। सो ससुर देते हैं अब जानकारी। लिखापढ़ी भी करते हैं। दस्तखत तो मेरा ही लगेगा। पैसे लेने भी हम ही गए। पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकलते थे घर से। अब थोड़ा–थोड़ा जाते हैं बाहर।

लकवा ठीक हो गया? 'हांऽऽ' एक लंबी सांस भर कर विद्या ने कहा। "कौन जाने कैसे सोच विचार करे रहे। हमरे लिए तो ठीक हो गए अब जौन वो ठीक हैं तो मालिक बिगड़ गए हैं।"

मालिक? मालिक कौन?

विद्या फिक–से हंस दी। 'मालिक नहीं जानतीं। ई छुटकी के बाबू' घर का एक मरद नरम पड़ा तो दूसरा गरम हो उठा। विद्या के पति ने अपनी पत्नी पर मालिकाना हक शीघ्र ही सभी को दिखा भी दिया।

प्रशिक्षण के दौरान विद्या देवी ने कुशलता–पूर्वक सब कुछ जाना, सीखा और ग्रहण किया। पंचायती राज से संबंधित सभी गीत उसे कंठस्थ हो गये थे। संविधान, विधानसभा, लोकसभा के मायने समझ गई थीं। उत्तरदायित्व का मर्म जान लिया था। स्वयं के होने का अर्थ भी समझने लगी थी।

किंतु उसकी यही कुशलता, तीव्र बुद्धि उसके आड़े आ गई। तीन श्रेष्ठ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन पुरस्कृत किया जाना था। पंचायत राज सचिव द्वारा पुरस्कार वितरित किये जाने थे। विद्या देवी को भी चुना गया।

कुछ समय बाद चुनी गयी प्रशिक्षार्थियों को एकत्र कर उन्हें रेल के टिकट ठहरने आदि की जानकारी दी जा रही थी। पुरस्कार वितरण समारोह के फोटो भी दिए गए।

विद्या देवी ने न तो फोटो लिया न उसे देखने की कोई इच्छा जताई। "क्या करेंगे इन ओटो–फोटो का।" कह कर विद्या देवी चुप हो गयी। बहुत कुरेदने पर इलायची देवी ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मन खिन्न हो गया। "इसका मनसेधु इसे मारेगा ये फोटो देखकर। कहेगा दूसर मरद से मुंह खोल के सामान वस्तु लिया और फोटवा खिंचाई। छिनारा लगाय दे तो अ को तो कौनों इज्जत ही नहीं रह जाये। सब में फैल जाई कि फलनवा से बतियात रही।"

प्रशिक्षक ने विद्या देवी को हौसला बंधाते हुए कहा "यदि तुम चाहो तो मैं बात करूं तुम्हारे पति से। तुम्हारे पति तो स्वयं अध्यापक हैं।"

विद्या देवी ने इंकार में सिर हिला दिया। कुछ समय बाद ही विद्या देवी के पति उसे लेने आ गये। क्रोध से लाल चेहरा और ऊंचे कर्कश स्वर में उन्होंने कहा "चल घर। बहुत हो गया। और जो जाना चाहे जहां जाए। तुम्हें नहीं जाना।" विद्या देवी के साथ खड़ी पांच साल की अपनी बेटी को झटके से खींच कर अपनी गोद में उठाया।

"मुझे सब मालूम है क्या होता है इन सब झमेलों में। और कैसी औरतें होती हैं ये" (हाथ से इशारा प्रशिक्षक की ओर)।

किंतु विद्या देवी अपनी जगह से हिली भी

नहीं। उनके पति कक्ष के बाहर पैर पटकते रहे। और विद्या देवी कक्ष के अंदर पत्थर की मूर्ति–सी बैठी रही। बाकी स्त्रियों के लिए यह मानों आम बात थी। प्रशिक्षक हतप्रभ–अब क्या करें?

विद्या देवी को ही समझाया – "चली जाओ हम तुम्हारा घर बिगाड़ना नहीं चाहते।"

विद्या देवी ने शांत स्वर में कहा – नहीं अब डर नहीं। ठीक है। हम फोटो नहीं लेंगे। हम दिल्ली भी नहीं जायेंगे। पर इनके कहे से अभी घर भी नहीं जायेंगे। कार्यक्रम पूरा करके ही जायेंगे।

जितनी बड़ी दुश्चिन्ता – 'घर जाकर मारा तो।' उतना ही शांत, गंभीर स्वर – 'अब तो हम भी लड़ लेंगे। अब हो डर नहीं। जब 'रे' कहे रहे तब ही मारते थे। जब से 'हो' कहने लगे मारना छोड़ दिये। 'रे' तब ही बोले मरद, जब लुगाई के कौनो इज्जत न करी। जब से सरपंच बने, 'हो' पुकारने लगे हैं। 'हो' बोले तो इज्जत करी। इज्जत करी तो हाथ कैसे उठाई।'

चलो, पंचायत ने कम से कम स्त्री की इतनी इज्जत तो बढ़ाई।

मेरे समक्ष ढेरों सवाल थे। इस प्रशिक्षण ने विद्या देवी या उस जैसी महिलाओं को क्या दिया? नई दुनिया, नए सपने। बरसों से जमे ठहरे पानी को हिलाकर कितनी हिलोरें पैदा कर दी थीं। अब इसके आगे की राह कैसी होगी। 'हो' से आगे को जाएगी या वापस 'रे' पर लाकर छोड़ देगी।

इंस्टीट्यूट आफ सोशल सांइसेज
8–नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज,
नई दिल्ली

लघु कथा

तृप्ति

जसविंदर शर्मा

सांझ ढलने के बहुत बाद तक गणेसा खेतों में मिट्टी के साथ लोहा लेता। अब जमींदारी करना इतना जोखिम भरा काम हो गया था कि मुश्किल से घर के सात जनों के लिए अनाज–भर ही जमा हो पाता। सूदकार और बनिये का बिल ज्यों का त्यों खड़ा रहता। कभी–कभार खेती थोड़ी अच्छी हो जाती तो गणेसा अपने दिल में चिरसिंचित अरमानों में से एकाध पूरा कर लेता – कभी बैल बदल लेता, कभी खपरैल की मुरम्मत करवा लेता तो कभी बच्चों या बीवी के लिए पहनने के लिए शहर से अच्छा कपड़ा ले आता। वरना आम दिनों में तो वे लोग मोटा अन्न खाते, मोटा लट्ठा या खद्दर पहनते तथा पूरा दिन खेतों तथा डोर–डंगरों के साथ मरते–खपते और रात को थक निढाल होकर सो जाते। साल में बस एक बार उसके जीवन में खुशी का मौका आता था। वह था श्राद्ध का महीना। श्राद्ध वाले दिनों में गणेसे की खूब सेवा होती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन की भी कोई सार्थकता है वरना पूरा साल उसी तरह अभाव में जीता, रिरियाकर, चिरौरी करके सूदकार से सूद पर पैसे उठा कर बीज बोना, पानी तथा बारिश के लिए नीले आसमान की तरफ ताकते रहना, भैंसों का दूध बेच कर घर का राशन लाना – इसी धक्कमपेल में साल गुजर जाता था।

श्राद्ध के दिनों में गणेसे के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। जाटों–अहीरों के उस गांव में एक वहीं ब्राह्मण था। इसलिए गणेसा श्राद्ध के दिनों में 'पंडित जी' या 'गणेसा राम जी' के नाम से पुकारा जाता था। एक सफेद धोती–कुरता, सफेद पगड़ी, जनेऊ, वी–शेप चप्पल जो उसने बरसों से सहेज कर रखी हुई थीं। इन सबको पहन कर गणेसा श्राद्ध वाले पखवाड़े में पूरे गांव का पुरोहित बन जाता था। उन दिनों घर में पकवानों का अम्बार लगा रहता था। जहां श्राद्धों से कुछ सप्ताह पूर्व घर में मुश्किल से अचार–प्याज के साथ या लस्सी चटनी के साथ सूखी रोटी मिलती थी वहां श्राद्धों के हफ्ते बाद तक घर में पूरी तथा हलवा जगह–जगह दिखाई देता। एक प्रकार से पूरे परिवार की भरपेट तृप्ति हो जाती।

पकवानों के प्रति गणेसे का मोह कुछ अधिक ही बढ़ गया था। अब उसमें एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। श्राद्धों के शुभ आगमन से कई–कई दिन पहले गणेसा बिना कुछ खाये–पीये ही निकाल देता। किसी फाके या व्रत की मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि श्राद्ध शुरू होते ही वह भरपेट खीर, पुओ, हलुवा, भाजी का रसास्वादन कर सके। और सच पूछो तो जोश और चाव–चाव में उसे श्राद्धों से पहले अपनी रूखी–सूखी बेस्वाद टिकड़ियां जरा भी नहीं भाती थीं। मीठा तो उनके घर महीनों नहीं पकता था। इतना बड़ा परिवार जो ठहरा। बस रोटी और उस पर रखने को अचार, दाल–भात या अधिक से अधिक दलिया।

इस बार भी श्राद्ध शुरू होने से तीन–चार दिन पहले गणेसे ने ये दिन निराहार ही गुजार दिये। बस एकाध टाइम कुछ खा–पी लेता। बाकी समय में खेतों में जुटा रहता तथा श्राद्ध आने की घड़ियां बेसब्री से गिनता रहता था।

श्राद्ध शुरू हुए तो पूरे गांव में उत्सव का सा माहौल बन गया। हर तरफ पकवानों की लुभावनी सुगन्ध। गणेसे के घर तो लोगों का तांता बंध गया। एक अकेला उस का पंडित परिवार और भोज खिलाने वाले दर्जनों लोग। कहीं गणेसा जाता, कहीं उसकी पत्नी, कहीं बच्चे। एक–एक टाइम में तीन–तीन घरों में खाना खाना पड़ता या डलवाकर घर लाना पड़ता था उन्हें।

लोगों ने पितरों को खूब प्रसन्न किया। हर घर में नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन बने। मगर इस बार गणेसे का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। श्राद्ध का तीसरा दिन था कि उसे दस्त लग गये। पत्नी ने लाख समझाया शहर से दवा ले आओ। मगर गणेसा अपना घरेलू उपचार करता रहा। एक बार दीनू काका के दवाखाने से दवा लाया, मगर कुछ फर्क न पड़ा।

फिर भी गणेसे ने भरपेट खाना नहीं छोड़ा था। अब पूरा साल इन्तजार करने के बाद कहीं श्राद्ध आते हैं ऐसे में गणेसा परहेज कैसे करे भला। अब तो उसे खूनी पेचिश लग गये थे। पांचवे श्राद्ध को समाप्ति से पहले गणेसा निढाल हो गया था। मानों शरीर की सारी द्रव्य शक्ति रात–भर दस्तों के मारे निकल गई थी। अगले दिन दोपहर से पहले ही गणेसे की मृत्यु हो गई। मगर उसके चेहरे पर पूरी तरह संतोष के भाव थे। एक तृप्ति थी उसके मन में – भरपेट पकवानों का पूरा रसास्वादन जो किया था उसने।

5/2 डी, रेल विहार,
मनसा देवी काम्पलैक्स
पंचकुला–134109 (हरियाणा)

पवन ऊर्जा के माध्यम से खुल रहे हैं विकास और रोजगार के नए मार्ग

पी.आर. त्रिवेदी

पवन ऊर्जा विश्व में प्राकृतिक वायु गति के रूप में विद्यमान है। यह परमाणु ऊर्जा से भी सस्ती और सुरक्षित अपरम्परागत ऊर्जा का ऐसा अक्षय स्रोत है जिसकी देश में और विशेष रूप से राजस्थान में दोहन की भरपूर सम्भावनाएं हैं। राजस्थान ने तो हाल ही में उत्तर भारत में पवन ऊर्जा के व्यावसायिक दोहन का गौरव हासिल किया है जिसके तहत तीन पवन ऊर्जा परियोजनाओं को दो वर्ष से भी कम अवधि में स्थापित कर राज्य में इसके संचाल का कीर्तिमान कायम किया गया है। उम्मीद है कि ऐसी छोटी–छोटी परियोजनाओं से वित्तीय वर्ष 2001–02 में लगभग 25–30 मेगावाट विद्युत का उत्पादन निजी क्षेत्रों द्वारा होने लगेगा तथा सन् 2004 तक तो सौ मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं राज्य में स्थापित हो जाएंगी।

गौरतलब है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की 826 लाख रुपये लागत की सर्वप्रथम दो मेगावाट क्षमता के 'प्रदर्शन पवन ऊर्जा परियोजना' की स्थापना का कार्य अप्रैल 1999 में जैसलमेर जिले के 'अमरसागर' गांव में किया गया। भारत सरकार के अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा संस्थान के सहयोग से राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण तथा राजस्थान स्टेट पावर कार्पोरेशन के प्रयासों के चलते अगस्त 1999 में तो इससे विद्युत उत्पादन भी शुरू हो गया। यह परियोजना भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (भेल) द्वारा 'टर्न की' आधार पर 8.6 करोड़ रुपये की लागत के तखमीने से भी 50 लाख रुपये से कम व्यय पर स्थापित की गई जहां डेनमार्क के नोड्रेक्स कम्पनी द्वारा निर्मित 250–250 किलोवाट के आठ पवन विद्युत जनरेटरों को एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित कर 40 मीटर ऊंचे टावर लगाए गए। इस स्थल पर औसत वायु वेग 18 कि.मी. प्रति घण्टा है जो कि प्रतिवर्ष औसतन पांच माह उपलब्ध रहता है। इसी क्रम में 2.25 मेगावाट की दूसरी 'प्रदर्शन पवन ऊर्जा परियोजना' प्रतापगढ़ के निकट देवगढ़ में जनवरी 2000 में प्रारम्भ की गई और जून 2000 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ। राज्य की 2.10 मेगावाट की तीसरी परियोजना का कार्य जोधपुर जिले के फलोदी के निकट बीथडी गांव में 21 दिसम्बर 2000 से शुरू हुआ जिसने निर्धारित समय–सीमा 31 मार्च से पूर्व ही 9 मार्च 2001 से ही विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। इस इकाई से प्रतिवर्ष जहां 38 लाख यूनिट से अधिक विद्युत मिलने लगी है वहीं राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) के प्रयासों से राज्य में स्थापित इन छोटी–छोटी ऊर्जा परियोजनाओं से अब तक एक करोड़ से अधिक यूनिट विद्युत का उत्पादन भी हो चुका है।

> राजस्थान में प्रदूषणमुक्त न्यूनतम,रख–रखाव, छीजत–विहीन और बिना कच्ची सामग्री की जरूरत वाली पवन ऊर्जा परियोजनाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2000 में घोषित उदार पवन ऊर्जा नीति से प्रोत्साहित होकर निजी उद्यमियों ने राज्य में 550 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत नियोजन कर आगामी तीन वर्षों में एक सौ मेगावाट के राज्य सरकार के लक्ष्य के मुकाबले 236 मेगावाट की 10 पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव दिए हैं।

राजस्थान में प्रदूषणमुक्त न्यूनतम, रख–रखाव, छीजतविहीन और बिना कच्ची सामग्री की जरूरत वाली पवन ऊर्जा परियोजनाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2000 में घोषित उदार पवन ऊर्जा नीति से प्रोत्साहित होकर निजी उद्यमियों ने राज्य में 550 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत नियोजन कर आगामी तीन वर्षों में एक सौ मेगावाट के राज्य सरकार के लक्ष्य के मुकाबले 236 मेगावाट की 10 पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव दिए हैं। राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को सन 2000–01 को आधार मान कर 3.03 रुपये प्रति यूनिट दर से राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के माध्यम से क्रय करने का मानस भी बना चुकी है। इसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा यह उत्पादक पर भी निर्भर है कि यदि वह चाहे तो उत्पादित विद्युत को मात्र दो प्रतिशत 'व्हीलिंग चार्ज' पर किसी तीसरे पक्षकार को भी विक्रय कर सकता है या फिर स्वयं के उपयोग में भी ले सकता है। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्रों के माध्यम से राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

राज्य को भारत सरकार से 'राष्ट्रीय पुरस्कार' भी हाल ही में मिला है।

देश के अपरम्परागत स्रोत मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार पवन ऊर्जा से लगभग 45 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की सम्भावना देश में है जिसमें से वर्ष 2000 के अन्त तक 1500 मेगावाट क्षमता का तो दोहन किया जाने लगा है। 'रेडा' द्वारा जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, झुंझनू, चुरू एवं श्रीगंगानगर जिलों में दस चुने हुए स्थलों पर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के मद्देनजर 'पवन वेग मापक संयन्त्रों' की स्थापना का कार्य भी चल रहा है। पूर्व में 'रेडा' द्वारा तमिलनाडु की एक फर्म इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेन्सी आर्गनाईजेशन से इस क्रम में बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में सर्वेक्षण भी कराया जा चुका है। सर्वेक्षण में वायु की गति, दिशा, जमीन की उपयुक्तता एवं ऊंचाई पर वायु की उपलब्धता के सम्बंध में रिपोर्ट एवं आंकड़े तैयार किए गए।

आगामी पांच वर्षों में राज्य में कुल 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ाने की राजस्थान सरकार की योजना है। पवन ऊर्जा की विशेष प्रोत्साहन नीति के अनुसार राज्य में स्थापित होने जा रहे एक सौ मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत का एक तिहाई या 1.50 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट, जो दोनों में से कम हो, की सीमा तक 20 वर्ष के लिए उदार ऋण देने का प्रावधान है जिसके प्रथम 10 वर्ष तक कोई पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है। इस उदार ऋण पर ब्याज दर भी 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखी गई है।

देश के अपरम्परागत स्रोत मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार पवन ऊर्जा से लगभग 45 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की सम्भावना देश में है जिसमें से वर्ष 2000 के अन्त तक 1500 मेगावाट क्षमता का तो दोहन किया जाने लगा है।

प्रोत्साहन के क्रम में एक अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक उत्पादित विद्युत को 'विद्युत शुल्क' से मुक्त भी रखा है।

उल्लेखनीय है कि इन दस प्रस्तावित निजी क्षेत्रों में से छः इकाइयां 25–25 मेगावाट की, तीन इकाइयां 10–10 मेगावाट की और एक इकाई 56.25 मेगावाट क्षमतायुक्त होगी। अधिकांश निजी उद्यमियों ने देश के सीमावर्ती मरुक्षेत्र जैसेलमेर जिले में सयंत्र स्थापना में रुचि दर्शाई है।

इन प्रयासों के क्रम में ही इन्दौर की मैसर्स कालानी इण्डस्ट्रीज द्वारा राज्य सरकार से उदार ऋण लिए बिना ही 25 मेगावाट क्षमता में से आरम्भिक तौर पर 16 करोड़ रुपये की लागत की तीन मेगावाट क्षमता की परियोजना जैसलमेर के निकट 'बड़ाबाग' में तो स्थापित भी की जा चुकी है। राज्य में निजी क्षेत्र की इस पहली पवन ऊर्जा परियोजना द्वारा मार्च, 2001 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इस क्रम में ही राज्य में 10 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए 'राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.' तथा 10 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए 'मैसर्स सुजलोन इण्डिया लि.' को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आर.एस.एम.डी.सी. लि. की 21.14 करोड़ रुपये लागत की प्रतिवर्ष 86.4 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन की 5 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास भी 'बड़ाबाग' में हो चुका है। पवन ऊर्जा के दोहन में उल्लेखनीय योगदान के क्रम में

विश्व के कई अग्रणी देशों में 'पवन ऊर्जा' के क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर पहल की जा रही है तथा वर्तमान में विश्व भर में पवन ऊर्जा के उत्पादन में 15 हजार से अधिक मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि 1980 तक तो उत्पादन क्षमता मात्र 10 मेगावाट ही थी। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हालैण्ड और डेनमार्क सबसे अग्रणी देश हैं वहीं जर्मनी, स्पेन, जापान, भारत में भी इस क्रम में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। विश्व में 1981 तक उत्पादित होने वाली पवन ऊर्जा की लागत की तुलना में अब अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की बदौलत पवन ऊर्जा मात्र एक चौथाई दर पर उत्पादित होने लगी है। नई आधुनिक पवन चक्कियों में 'एयरोडायनेमिक ब्लेड' डिजायन के अतिरिक्त हल्के बजन के इलैक्ट्रानिक उपकरण और नियन्त्रक लगने लगे हैं। भविष्य में तकनीक के और उन्नत होने पर विद्युत उत्पादन की लागत में और अधिक कमी होने की उम्मीद है। राजस्थान में हाल ही में विद्युत सुधार के क्रम में निजीकरण और विद्युत दर वृद्धि से भी गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत उत्पादन तथा बिक्री के लाभ का मार्ग सन्तुलित होकर निजी क्षेत्र के हित में प्रशस्त होने लगा है।

इस क्रम में अन्त में यही कहा जा सकता है कि राज्य में पवन ऊर्जा परियोजना के विस्तार की वास्तव में सफलता तभी है जब क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल के बल पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पवन ऊर्जा का उपयोग करते हुए ऊर्जा संरक्षण, संग्रहण एवं विपणन में आगे आएं। पवन चक्की आपरेटरों के रूप में युवा न केवल ग्रामीण विकास में अपनी अहम् भागीदारी निभा सकेंगे बल्कि रोजगार के साधन भी सृजित कर सकेंगे।

186–आदर्श नगर,
पाली (राज.)–306401

मृगतृष्णा

हरदेव सिंह धीमान

माना जाता है शहर होते हैं स्वर्ग सम सुन्दर
सर्व सुख - सुविधा सम्पन्न
चौड़ी सड़कें
नियोजित मकान
बिजली पानी खुला बाजार
धन-धान्य आदि विविध वस्तुओं का उन्मुक्त व्यापार।

भोले-भाले लोग गांव के
रह जाते हैं दंग देख कर शहर
सोचते हैं
हम तो व्यर्थ ही भटक रहे हैं गांव में
कर रहे हैं श्रम लगातार कोल्हू के बैल की तरह
कर रहे हैं एक खून और पसीना दिन रात
फिर भी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज
आती नहीं है नज़र।

हम तो ठहरे अनपढ़ गंवार गांव के
जो जानते नहीं शहरी जीवन
वही सोच कर निर्णय लेता है हर आदमी गांव का
कि क्यों न कर लें शहर में कोई छोटी-मोटी नौकरी।

आराम से जिएंगे जीवन,
न बाढ़ का डर न सूखे का भय,
न बिजाई का वक्त न कटाई का समय,
सब कुछ मिल जाएगा बना बनाया,
कौन धूल और मिट्टी में करे देह मलीन?
ऐसे में बना ली है मानसिकता पलायन की।

शहर भरने लगे लोगों से,
गांव धीरे-धीरे होने लगे वीरान,
मकानों में लगने लगे ताले,
हरी भरी उपजाऊ धरती गांव की उगाने लगी झाड़ और झांखर
भोले-भाले लोग गांव के,
बोलने लगे हैं शहरी जुबान,
भुलाकर भोलापन गांव का
खो गए शहर की चापलूसी में।

चोरी, डकैती ठगी, भ्रष्टाचार.......
क्या-क्या नहीं है शहरों में
ऐसे में कहां मिल जाती है हर आदमी को नौकरी ऐसी
कि वह इस स्वर्ग सम शहर में
रह सके ठाठ से।

भटकता है दर-ब-दर
खाता हुए ठोकरें इधर और उधर
बहाता है खून और पसीना गांव से भी अधिक,
परन्तु,
कुछ नहीं मिलता है उसे इतना करने पर भी,
सिवा पछतावे के।

कोरी मृगतृष्णा रह जाता है शहरी जीवन
लौट आता है पुनः गांव में
खोटे सिक्के की तरह उल्टे पांव,
कि गांव के भोलेपन में शायद,
चल सके पुनः एक बार,
पुनः एक बार।

धीमान गृह बरोली
पत्रालय दनावली–बगलती
जिला शिमला (हि.प्र.)

ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता के समाधान के रूप में बायोमास का उपयोग

डा. दिनेश मणि

बायोमास ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। इसे सीधे दोहन कर कार्बनीकरण/तरलीकरण, गैसीकरण तथा अन्य रूपान्तर प्रणालियों के माध्यम से ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। बायोमास से सम्बन्धित कई कार्यक्रम देश में चलाए जा रहे हैं। लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि पर ऊर्जा उत्पादन में काम आने वाले वृक्ष या झाड़ियों को लगाया गया है। बायोमास का उपयोग देश के विभिन्न भागों में काष्ठ ऊर्जा, पेट्रो स्थानापन्न, एल्कोहल, ईंधन बिक्रेट्स, जलपम्पन तथा विद्युत उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक किया गया है।

प्रत्येक वृक्ष/पौधा एक छोटा-सा बिजलीघर है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। पौधे जो कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, वे पशुओं तथा मनुष्यों के भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सारे संसार के स्थलीय और जलीय पादपों में एक वर्ष के अन्दर 200 अरब टन कार्बन स्थिर की जाती है जिसमें अन्तर्निहित ऊर्जा शक्ति 3000 अरब गीगाजूल आकी गई है। सूर्य की किरणें जल और कार्बनडाईऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, यह परिवर्तित पदार्थ बायोमास कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण ही क्रिया के प्रमुख उत्पाद कार्बोहाइड्रेड होते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज और हाइड्रोकार्बन आदि के रूप में भी सौर ऊर्जा एकत्र होती रहती है। अनेक प्रकार की वनस्पतियां खेती की फसलें, पेड़ पौधे सभी बायोमास निर्मित करते हैं।

बायोमास के मुख्य स्रोत

आज यह अनुभव किया जा रहा है कि जिस तरह अनाज, सब्जी, फलों आदि की खेती की जाती है वैसे ही बायोमास की खेती की जाए और इसीलिए कभी-कभी 'ऊर्जा की खेती' जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें अधिक ऊर्जा देने की क्षमता है उनमें गन्ना, ज्वार, यूफोर्बिया, कसावा, सोयाबीन, सूरजमुखी, ईंधन की लकड़ी वाले पौधे, नेपियर घास और जलकुम्भी प्रमुख हैं।

शीघ्र उगने वाले पौधों से भूमि के निश्चित क्षेत्रफल से अधिक मात्रा में बायोमास मिल सकता है। शीघ्रता से बढ़ने वाले पौधों में पापलर, सदर्न बीच, एल्डर, विलो और यूकेलिप्टस आदि प्रमुख हैं। सबबूल (ल्यूसीना ल्यूको सेफेला) जिसे कि 'मिरेकल ट्री', 'वण्डर ट्री' नाम से जाना जाता है, लवणीय, पथरीली तथा पहाड़ी मिट्टियों में भी लगाया जा सकता है। यह इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुचारा आदि उपयोगों के लिए उपयुक्त है।

जलीय बायोमास के रूप में जलकुम्भी तथा शैवाल के नाम उल्लेखनीय हैं। जलकुम्भी से एक हेक्टेयर से 150 टन वानस्पतिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है। इसके एक किलोग्राम शुष्क भार से 350-400 लीटर जैव गैस (बायोगैस) प्राप्त की जा सकती है। समुद्रों में अनेक प्रकार के शैवाल उगते हैं जिन्हें एकत्र करके गैस बनाई जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के समुद्री तट में लगभग 3000 टन शुष्क भार की घासें एकत्र की जाती हैं।

अन्य स्रोत

बायोगैस के अन्य स्रोतों में वनों तथा कृषि कार्यों से उपलब्ध होने वाले अपशिष्ट पदार्थ

आते हैं। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि अपशिष्ट और बायोमास ऊर्जा के भण्डार पूरे देश में उपलब्ध हैं और जब तक खेती होती रहेगी वे भी अपशिष्ट के रूप में उपलब्ध होते रहेंगे। कृषि जन्य अपशिष्ट की उपलब्धि कृषि उत्पादों की मात्रा पर आधारित है। प्राप्त आकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष होने वाले 20.4 करोड़ टन कृषि अपश्ष्टि तथा जंगलों की सूखी पत्तियों, शाखों और छालों आदि के 33 लाख टन वन्य अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ टन नारियल का उत्पादन होता है। इस नारियल से विभिन्न अपशिष्ट भी भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए पुनः उत्पादनीय ऊर्जा का अच्छा स्रोत बन सकता है।

जैवभार (बायोमास) से हमारी सारी ऊर्जा समस्याओं का समाधान चाहे न हो सके, फिर भी इसके उपयोग से खनिज ईंधनों पर हमारी निर्भरता काफी कम हो जाएगी। सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से प्रासंगिक होने के कारण जैवभार हमारे जल, वायु और धरती को स्वच्छ रखने के अलावा हमारी जीवन आधार प्रणालियों को दीर्घकाल तक संजोए रख सकता है।

कृषि और जंगलों के अवशेषों का ईंधन के लिए उपयोग करने का विचार करने से पहले इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि कटाई के समय पौधों का भूमि के ऊपर का अधिकांश भाग काट लिया जाता है फिर भी जड़ें और भूमि के ऊपर का कुछ भाग और पत्तियां खेत में छूट जाती हैं। इसी प्रकार जंगलों में पौधों के पर्याप्त अवशेष, जड़ों, छाल, शाखाएं और पत्तियां तथा नीचे गिर जाने वाले फूल और फल भूमि पर रह जाते हैं। पौधों के विकास के समय आत्मसात किए गए पोषक तत्वों का पर्याप्त अंश इन फसल तथा वन अपशिष्टों में होता है। अपशिष्ट के सभी पोषक तत्व पुनर्चक्रित होकर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं।

बायोमास उत्पादन बढ़ाने के उपाय

आज आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक कार्यों के लिए इमारती और जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति उद्योगों द्वारा निजी उपयोग के लिए लगाए गए वनों से पूरी करनी चाहिए न कि प्राकृतिक वनों से। कम से कम समय में जलाऊ लकड़ी का अधिकतम उत्पादन करने के लिए सघन और छोटे फसलचक्र वाले पर्णपाती वृक्षों और झाड़ियों की सहिष्णु जातियों की खेती कृषि–अयोग्य तथा सीमान्त भूमियों में करनी चाहिए जिससे खाद्य फसलों का क्षेत्रफल कम न हो। अभी तक जलाऊ लकड़ी की उत्पादकता इतनी बताई गई है जितनी होने की आशा प्रतीत नहीं होती। इसलिए वैज्ञानिक प्रयोगों को बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है।

इस समस्या का एक दूसरा पहलू यह है कि जैवभार उत्पादन के लिए प्रस्तावित अनुपजाऊ भूमि को आजकल पशु चराने के लिए मुफ्त इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा तो इस पर चराई तत्काल बंद कर देनी पड़ेगी। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए या तो पशु चारा देने वाले वृक्षों की प्रजातियों या चारे की फलीदार फसलों या घासों को जलाऊ लकड़ी के वृक्षों के साथ–साथ लगाना पड़ेगा।

इस समय जिन बातों पर तात्कालिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं –

- व्यापक आनुवंशिक विविधता और सीमान्त या अल्पोषी मिट्टियों के अनुकूल वृक्षों/झाड़ियों की प्रजातियों का चुनाव किया जाना चाहिए। ये चुनी हुई प्रजातियां सहिष्णु होनी चाहिए और इनकी जल, खाद और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता कम होनी चाहिए।
- ऐसी प्रजातियां चुनी जाएं जिनके विविध उपयोग हो सकें, जैसे ईंधन, चारा, उर्वरक और रेशा। इनमें पुर्नजन्म की उच्च संभावना होनी चाहिए और/या गुल्म बनाने की क्षमता होनी चाहिए और प्रतियोगिता की अवस्था में ओज में कमी नहीं आनी चाहिए। इनमें छाल न्यूनतम, लकड़ी अधिक, कैलोरीमान देने वाली, बिना भड़के जलने वाली तथा जलते समय जहरीला धुआं न देने वाली होनी चाहिए।
- प्रजातियों में नाइट्रोजन यौगिकीकरण (फिक्सिंग) क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ–साथ ही न्यूनपोषी तत्वों वाली मिट्टियों के लिए जैव उर्वरण की और विधियों को भी अपनाना पड़ेगा क्योंकि छोटे फसलचक्र वाली सघन कृषि से मिट्टी में पोषकों की बड़ी मात्रा काम में आ जाएगी और फसल के पुनः चक्रण के लिए पोषक तत्व कम रह जाएंगे।
- उपयुक्त चारा फसलों और/या घासों के साथ अलग–अलग प्रजातियों और विशिष्ट आवास क्षेत्रों के लिए कृषि क्रियाओं की कृषि प्रौद्योगिकी का एकीकरण होना चाहिए।
- सर्वोत्कृष्ट क्लोनों का मांग के अनुसार अल्प काल में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए (प्रति हेक्टेयर 10,000 या अधिक) ऊतक संवर्ध तकनीक (टिश्यू कल्चर टेक्नीक) का मानकीकरण होना चाहिए।
- स्थानानुसार अनुकूलन परीक्षणों और प्रजनन कार्यक्रम में लाने के लिए सभी सार्थक जातियों और उनके विभेदों के जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) का संग्रह।
- उपरोक्त प्राचलों (पैरामीटर) के अनुसार आनुवंशिक उन्नयन (जेनेटिक अपग्रेडिंग) के लिए प्रजनन कार्यविधि का मानकीकरण होना चाहिए।

सभी नई और ध्यानाकर्षित करने वाली ऊर्जा फसलों यथा जीवाणुओं और शैवालों की खेती करने की तथा उनका आनुवंशिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये इस समय अपने आप उगते हैं और प्रति इकाई क्षेत्रों में और प्रति इकाई समय में कम उत्पादन देते हैं। उच्च विज्ञान का उपयोग करके अधिक उत्पादन किया जाना संभव है। बायोमास ऊर्जा का क्षेत्र बहुविषयी है, इसमें कई वैज्ञानिक विषयों का योगदान है। इसके लिए वनस्पति विज्ञान, पादप रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि, ईंधन, ऊष्मा, भौतिकी तथा इंजीनियरी की अलग–अलग शाखाओं में विभिन्न पौधों पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अनुसंधान और विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

रसायन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद (उ.प्र.)

पुस्तक समीक्षा

काली अर्थव्यवस्था के विविध रूप

काला धन : भारत की काली अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कमल नयन काबरा, हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–7; मूल्य 95 रुपये, पृष्ठ संख्या 239.

आजादी के बाद लोकतंत्र और आर्थिक विकास नए भारत के निर्माण के दो महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। आधी शताब्दी से ज्यादा बीतने के बाद कहने को तो लोकतंत्र बरकरार है और विकास के रास्ते पर भी काफी प्रगति दर्ज की गई है परन्तु आम भारतीय नागरिक की आवाज आज भी नक्कारखाने में तूती की तरह दबी रहती है। विकास के अभियान तथा परिणामों में उसकी भागीदारी अभी भी सीमांत ही है। इस असंतोषजनक स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण हमारी राजनीति और आर्थिक व्यवस्था पर लगा काले धन का ग्रहण है। यह राहु–केतु लोकतंत्र और विकास को लीलता जा रहा है। इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन और अध्ययन का अभाव काफी खटकता रहता है। कमल नयन काबरा की पुस्तक "काला धन" भारतीय समाज की इस दुखती रग पर हाथ रखकर उसके विविध पक्षों की समन्वित समझ पैदा करने का एक प्रयास है। इस जटिल बहुआयामी समस्या को किसी एक समाज विज्ञान या मात्र परम्परागत अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से सही और सार्थक रूप से नहीं समझा जा सकता हैं काबरा की पुस्तक के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण अध्याय में इस प्रश्न को उठाकर एक समन्वित और व्यापक नजरिए से इस सवाल को देखने की कोशिश नजर आती है।

कहां तक यह समन्वित समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सफलतापूर्वक लागू हो पाया है कह सकना मुश्किल है। हां, इतना अवश्य है कि आर्थिक पहलुओं की अवहेलना नहीं करते हुए इन दृष्टिकोण की संकीर्णता से यह अध्ययन अवश्य ऊपर उठ पाया है। भारतीय राजनीति के अध्येताओं को इस अध्ययन के निष्कर्ष निश्चित रूप से दिलचस्प और उपयोगी नजर आएंगे।

आम तौर पर काले धन या काली, दागी अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक वित्तीय तथा विशेष रूप से कराधान से जुड़ा हुआ प्रश्न माना जाता है और अर्थशास्त्र की मुख्य धारा (नव क्लासिकी आर्थिक सिद्धांतों) के दृष्टिकोण, मान्यताओं और सिद्धान्तों के आधार पर इसका अध्ययन, निदान तथा समाधान करने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन इस सीमित दृष्टिकोण से किनारा करता है। आधुनिकता, सर्वप्रचारित विकास माडल, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, उपनिवेशी विरासत, उनसे जुड़े मूल्यगत संकट तथा सामाजिक–राष्ट्रीय जीवन में उभरती व्यक्ति केन्द्रित समाज–विमुख विघटनकारी प्रवृत्तियों की तह में, कारण–प्रभाव दोनों के गड्डमड्ड रूपों में यह गैरकानूनी अर्थव्यवस्था अपना हाथ दिखाती रहती है। फलतः व्यवहार में काली और गोरी लक्ष्मी का अन्तर कर पाना टेढ़ी खीर हो गया है। मात्र करारोपण तथा सार्वजनिक वित्त के नजरिए से तो कलुषित अर्थव्यवस्था का अस्तित्व तक नहीं पहचाना जा सकता है। इसलिए समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में एकीकृत, समन्वित समाजशास्त्रीय अध्ययन की जरूरत स्वीकारते हुए उसके मुख्य अंगों का विवेचन किया गया है। मुख्य जोर यह दिखाने में है कि काली अर्थव्यवस्था महज असामान्य, आपराधिक प्रवृत्ति पर आधारित, विवेकहीन कुछ पथभ्रष्ट लोगों की सीमांत (आटे में नमक जितनी) गतिविधि नहीं है। आधुनिकता के अभिशाप से ग्रस्त असमानतापूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था, सूचना, पारदर्शिता तथा जवाबदेहीपूर्ण राजनीति और प्रशासन के अभाव से उत्पन्न एक व्यापक, व्यवस्थागत भटकाव है।

काली अर्थव्यवस्था की प्रकृति और स्वरूप का अर्थव्यवस्था के व्यापक, वास्तविक स्वरूप को उजागर करते हुए, सीमित दायरे की भ्रामक अवधारणाओं की कमियों और भ्रांतियों का सोदाहरण खुलासा किया गया है और इस विश्लेषण में संस्थागत अर्थशास्त्र से प्राप्त नई अवधारणाओं का उपयोग किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सूचना की महत्ता के समसामयिक संदर्भ की सार्थकता रेखांकित की गई है, बहुराष्ट्रीय तथा एकाधिकारिक कम्पनियों के विशाल आकार, शक्ति तथा संसाधनों के केन्द्रीकरण के कारण वैश्वीकरण, राष्ट्रों की नीतिगत स्वायत्तता में कमी, संसाधनों के राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार व्यापक स्तर पर आवागमन, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नियमन, नियंत्रण तथा प्रत्यक्ष भागीदारी के बढ़ते कानून, नियमन नियंत्रण की बढ़ती जटिलता आदि का भी काले धन की प्रकृति और स्वरूप पर गहरा असर पड़ा है। क्या इन सब अंगों की जानकारी के आधार पर काली अर्थव्यवस्था के आकार, काली आमदनी, बचत, सम्पत्ति निवेश आदि की वैज्ञानिक, तार्किक, विश्वसनीय तथा उपयोगी गणना की जा सकती है? यद्यपि यह अर्थशास्त्रियों तथा सांख्यिकीविदों का प्रिय विषय है, यह अध्ययन यह साबित

* व्याख्याता, राजनीतिशास्त्र, जानकीदेवी मेमोरियल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–1

करने की कोशिश करता है कि यह काम न केवल अतार्किक, आधारहीन, अविश्वसनीय, महंगा, अनुपयोगी होगा वरन् भ्रामक तथा हानिकारक भी हो सकता है। इसके अप्रत्यक्ष प्रमाण तथा रूप इसके हानिप्रद प्रभाव कानूनी, खुले और वैध कामों की कमियों के आधार पर इस मर्ज की गंभीरता का आकलन किया जा सकता है और इसके घुसपैठ के क्षेत्रों का जायजा लिया जा सकता है।

यह बताया गया है कि अर्थव्यवस्था का यह विकृत, गैरकानूनी रूप राजकीय निर्णय एवं कार्यकर्ताओं तथा आर्थिक इकाईयों के बीच अपने निजी स्वार्थों को सामाजिक, सामुदायिक दायित्वों तथा दीर्घकालिक बृहत जीवन मूल्यों की अपेक्षा ज्यादा तरजीह देने के कारण पैदा होता है। आधुनिक काल में इसे संभव करने वाली, लगातार फलने–फूलने देने वाली शर्तें ठोस रूप में मिलती हैं। जैसे आम आदमी, आम निवेशक, सरकारी कर्मचारी, नागरिकों आदि के पास सूचना का अभाव तथा जवाबदेही लागू कराने की शक्ति का अभाव। राजनीति और प्रशासन का आर्थिक शक्ति के केन्द्रों के साथ ऐसा सहवर्ती सह–वर्धक (सिम्बायोटिक) घनिष्ठ संबंध पैदा हो गया है कि दोनों ही पक्ष मिलकर इस काली अर्थव्यवस्था को रचते तथा बढ़ाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त होकर एक अल्पकालिक मन्द दृष्टि के तहत अपनी निजी हित साधना करते हैं। महज कर चोरी को काली अर्थव्यवस्था का आधार नहीं माना गया है। यह एक व्यापक विशिष्टता है आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं और समाज की जो प्रगतिशील कर व्यवस्था को औपचारिक रूप से मंजूर करके व्यवहार में उसे नकार देती है।

पुस्तक में काली अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों की विशद चर्चा है। कुविकास के सभी लक्षण कलुषित अर्थव्यवस्था द्वारा बढ़ाए जाते हैं। तो क्या काली अर्थव्यवस्था जनित कुविकास इस निरन्तर उत्कर्ष यात्रा का एक अस्थायी, कष्टकारी पड़ाव मात्र है? एक आदर्श अर्थव्यवस्था के माडल के छलावे से हटकर भारत के ठोस उदाहरणों के आधार पर कुविकास के विविध रूपों को काली अर्थव्यवस्था की प्रकृति और प्रवृत्ति से जोड़ा गया है, खासकर केन्द्रीकरण तथा विषमतावर्द्धक परिवर्तन द्वारा पोषित राज्य तथा बाजार के समाज–विरोधी गठजोड़ द्वारा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं तथा नकलची, अनुकरणकामी सीमित, एकांगी विकास का प्रभाव भी स्पष्ट किया गया है, खासकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पोषित अंध उपभोक्तावाद के कुप्रभावों और कुप्रेरणाओं के माध्यम से काले धन से दो–दो हाथ होने की नीति की संभावनाओं और सीमाओं का आकलन किया गया है तथा उन शर्तों का निरूपण किया गया है जिनके आधार पर इस दिशा में प्रभावी नीति–निर्धारण किया जा सकता है। इस काम को अंजाम देने में नागर समाज (सिविल सोसायटी) की भूमिका तथा इसे नजरअंदाज करने वाली गंभीर ऐतिहासिक भूलों पर रोशनी डाली गई है। इस अध्याय का उपसंहार काले धन नियंत्रक नीतियों की बाधाओं का उल्लेख करके किया गया है।

भारत में जैसे–जैसे यह राजरोग बढ़ा, जनता की बेचैनी बढ़ी, स्थिति सरकार के काबू से बाहर निकली, कई छिटपुट प्रयास इस समस्या से निपटने के लिए किए गए। इनका विशद विवरण देकर उनकी असफलता के कारणों पर प्रकाश डाला गया है आठवें अध्याय नीतिगत अनुभव में। इसमें भारत की बदलती आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, विभिन्न योजनाओं की विकास रणनीति तथा प्राथमिकताओं के संदर्भ में अपनाई गई विभिन्न नीतियों के औचित्य, स्वरूप, कार्य–विधि, प्रभाव और सफलता–असफलता का आकलन किया गया है। काली अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों की प्रकृति की व्याख्या करके उनका श्रेणी–विभाजन भी किया गया है।

कुल मिलाकर पाठक सुविधा, राष्ट्रीय मूल्यों और उद्देश्यों तथा विषय की गंभीरता और व्यापकता के साथ न्याय करने का प्रयास करते हुए आज के भारत की एक अति विकट समस्या पर सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा व्यावहारिक रास्ता सुझाने का प्रयास किया गया है। संदर्भ सूची पाठक की भावी उत्सुकता की बैसाखी बनने के साथ–साथ लेखक की जानकारी में योगदान करने वाले विद्वानों के कामों का साभार उल्लेख भी करती है। ❑

रेखा सक्सेना

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिए। रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। जिन रचनाओं के साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, *कुरुक्षेत्र*, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजें।

— सम्पादक

(द्वितीय आवरण पृष्ठ का शेष)

भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस पर काम को और तेज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन दो प्रमुख सड़क योजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।"

श्री वाजपेयी ने कहा कि देश के गरीबों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कमजोर वर्गों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए एक आवास योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया, "सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन "हुडको" करेगा। वह इस योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपये ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा।" प्रधानमंत्री ने बताया कि सेना के तीन लाख जवानों के परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए अगले चार वर्षों में तीन लाख मकान बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी दूर करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले लोगों के प्रतिशत पर कमी लाने में संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "पिछले पांच दशकों में जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि हो जाने के बावजूद हम गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने में सफल हुए हैं। नब्बे के दशक में यह प्रतिशत 36 से घटकर 26 रह गया।"

प्रधानमंत्री ने खाद्यान्न के मामले देश को आत्म निर्भर बनाने में किसानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, "अनाज का अभाव अब अतीत का विषय बन गया है। पहले हम अनाज का आयात करते थे। आज हम निर्यात कर रहे हैं। आज सरकारी गोदामों में हमारे पास छह सौ लाख टन अनाज भरा है।"

उन्होंने किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया और आश्वासन दिया कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उन्हें अपनी फसल का उचित और लाभप्रद मूल्य मिले। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि यदि जरूरत हुई तो सरकार अनुचित आयात को रोकने, आवश्यकता के अनुसार आयात शुल्क लगाने अथवा उसे बढ़ाने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि विश्व व्यापार से कृषि और अन्य अर्थव्यवस्था के लिए कुछ चुनौतियां उभरी हैं लेकिन इनका उन्होंने संगठित होकर मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "मैं देश के सभी किसानों, मजदूरों, प्रबंधकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अर्थ–व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए और अधिक तेजी से तैयार करें। इसके लिए कृषि और उद्योगों में निरंतर गुणवत्ता बढ़नी चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने वर्तमान वर्ष को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाए जाने की चर्चा करते महिलाओं द्वारा देश भर में सफलतापूर्वक चलाए जा रहे स्व–सहायता समूहों को बधाई दी और कहा कि, "इनकी वजह से एक सामूहिक सामाजिक, आर्थिक क्रांति की शुरूआत हुई है।" उन्होंने कहा, "भारत में तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी सफलता के ऐसे अनेक उदाहरण है जहां स्व–सहायता समूहों ने बैंकों से लघु ऋण का लाभ उठाते हुए गांवों और शहरों से गरीबी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए सरकार 2001 के अंत तक देश में 14 लाख बस्तियों में से हरेक में कम से कम एक स्वावलंबी समूह स्थापित करने में मदद देगी।"

श्री वाजपेयी ने कहा कि अक्सर योजनाएं बनती हैं लेकिन उन्हें लागू करते समय व्यवस्था ढीली पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने अगले वर्ष को विशेष तौर पर कार्यान्वयन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि "इसके लिए विभिन्न गरीबी निवारण और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्वरित कार्य बल (रेपिड एक्शन फोर्स) का गठन किया जाएगा।"

अंत में प्रधानमंत्री ने भारत के सभी नागरिकों को भविष्य पर भरोसा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमें स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। अपने बाजुओं और अपने हुनर पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा बड़ी पूंजी होती है। मेरी और मेरी सरकार की कोशिश है कि पारस्परिक भरोसा बढ़ता रहे। भरोसा कोई तोड़े नहीं। भरोसा, भरोसा बनाने के मार्ग में कोई बाधक न बने।

उन्होंने परस्पर विश्वास, सहयोग और सहजीवन के बल पर आशाजनक भविष्य का निर्माण और एक संगठित, शक्तिशाली, समृद्ध–शाली और उदार भारत के निर्माण के संकल्प को एक बार फिर दोहराने का आह्वान किया।

प्रस्तुति : बलदेव सिंह मदान

आर. एन. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी (डी.एल.) 12057 / 2001
आई.एस.एस.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना के अधीन आर.एम.एस. दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी.एन.)–55 / 2001

R.N./708/57
P&T Regd. No. D(DL) 12057/2001
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55/2001
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

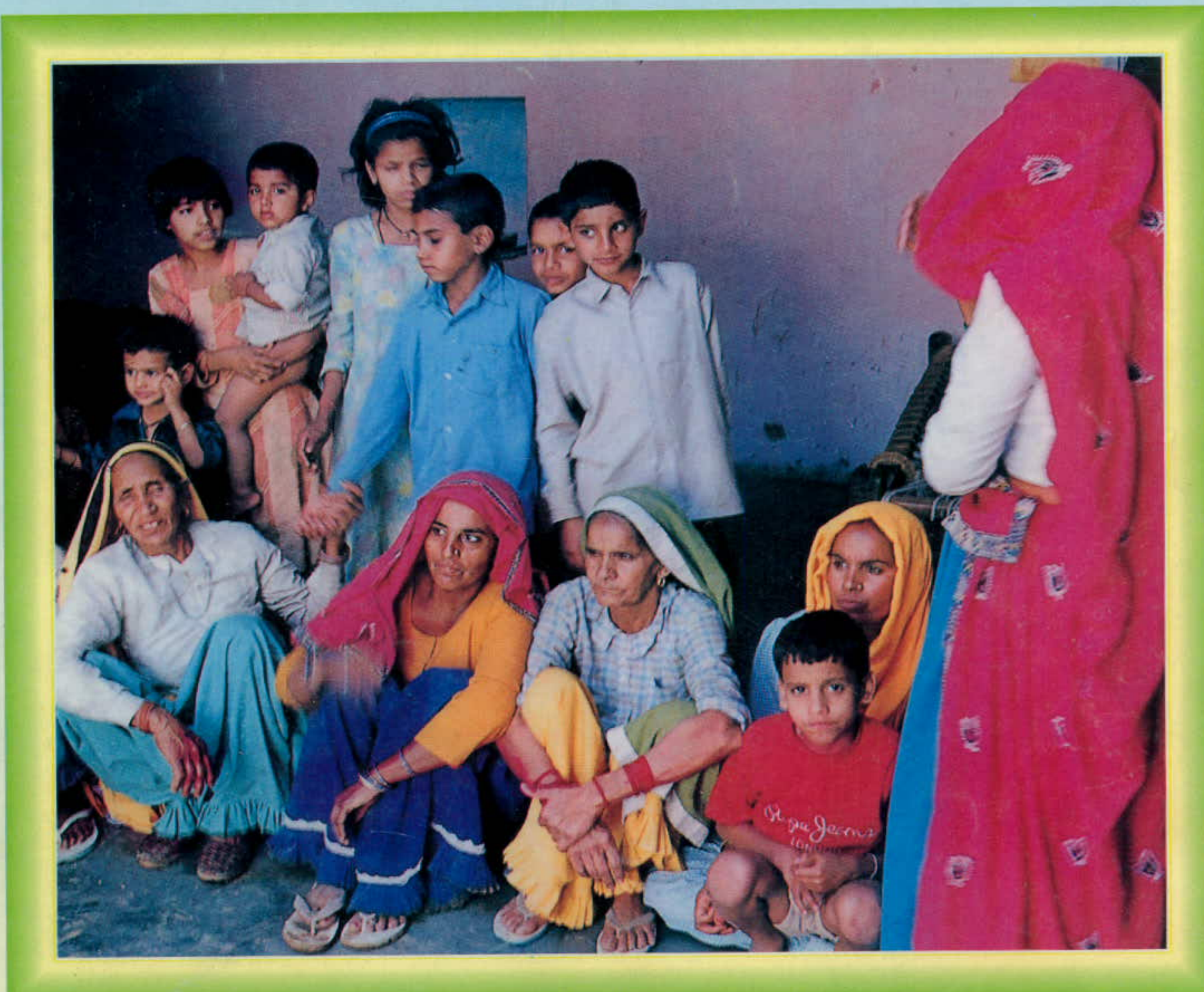

श्री सुरेश चोपड़ा, महानिदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया–II, नई दिल्ली–20 संपादक : बलदेव सिंह मदान